मंगलवार,
६ अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

मंगलवार, ६ अप्रैल, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मादक द्रव्यों का नियंत्रण

*१५९३. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वह भारतीय अधिकारी, जो गत वर्ष जिनेवा के स्थायी केन्द्रीय अफीम बोर्ड का सदस्य चुना गया था, अब भी उसका सदस्य है ; तथा

(ख) मादक द्रव्यों के नियंत्रण के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में १९५३ में भारत और क्या अधिक सहयोग दे सका ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) जी हां । सदस्यता की अवधि पांच वर्ष है ।

(ख) १९५३ में, भारत के प्रतिनिधि ने मार्च–अप्रैल १९५३ में न्यूयार्क में मादक द्रव्यों पर संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग का जो वार्षिक सत्र हुआ था, उसमें भाग लिया था तथा संयुक्त

राष्ट्र संघ अफीम सम्मेलन में भाग लिया था जिसने अफीम की खेती उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उसके प्रयोग को सीमित करने और विनियमित करने के लिये एक नियमावली बनाई और उसे स्वीकार किया ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस सदस्यता के कारण कोई वित्तीय दायित्व भी उत्पन्न हुआ, और यदि ऐसा है तो कितना दायित्व था ;

श्री ए० सी० गुहा : इस संस्था को दिया जाने वाला अंशदान संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये होता है, और यह अंशदान उसमें सम्मिलित है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या भारतीय अफीम की यूरोप तथा अमेरिका के बाज़ारों में अब भी उतनी ही मांग है या इस मांग में कुछ कमी हो गई है ?

श्री ए० सी० गुहा : अफीम पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसार अफीम का पूरा व्यापार नियंत्रित रूप में होता है भारत अफीम के निर्यातकों में से एक है और अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसार हम इस बात के लिये वाक्बद्ध हैं कि हम औषधि प्रयोजनों के अतिरिक्त अपने अफीम के उत्पादन तथा बिक्री

को प्रतिवर्ष दस प्रतिशत कम कर और अन्त में १९५९ में इसे बन्द कर दें।

सरदार हुक्म सिंह : क्या हमारे निर्यात के आंकड़े वही रहें और क्या निर्यातक देशों की तुलना में अनुपात वही रहा या उसमें काफी कमी हुई है ;

श्री ए० सी० गुहा : निर्यात तथा आयात का अनुपात विनियमित नहीं किया जाता । हमारा कोटा भी लगभग उतना ही रहा है । निस्सन्देह इसमें कुछ उत्तार चढ़ाव हुआ है किन्तु अफीम के मुख्य निर्यातक के रुप में हमने अपनी स्थिति बनाये रखी है ।

राजस्थान में सीमा शुल्क

*१५९४. **सेठ गोविन्द विन्दास :** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के एकीकरण के समय राज्यस्थान के लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि सीमा शुल्क धीरे धीरे हटा दिया जायेगा ; और

(ख) यह अश्वासन कहां तक पूरा किया गया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) राजस्थान सरकार ने इस राज्य में अन्तर्राज्य संक्रम शुल्क को १९५४-५५ के अन्त तक हटाने का उतरदायित्व लिया है ।

(ख) ऐसी आशा की जाती है कि राजस्थान सरकार इस वर्ष बिक्री कर लगा कर कुछ चीज़ों पर से शुल्क हटा देगी । भारत सरकार का राज्य सरकार के परामर्श से इस वर्ष इस पूरी समस्या की जांच करने का विचार है ।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि १९५४-५५ में राजस्थान सरकार इस कर को हटाने वाली है क्या जिस समय राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय यह १९५४-५५ का वर्ष नियत किया गया था या बाद में विचार करके नियत किया गया है ।

डा० काटजू : मेरा अनुमान यह है कि जब राजस्थान शामिल हुआ उसी वक्त यह कायम किया गया था । मुमकिन है कि छः महीने बाद हुआ हो, मगर मुदत्त जो है वह मुकर्रर हो गई थी ।

श्री शोभा राम : क्या यह सच है कि भारत सरकार इस समय सीमा को बढ़ाने का विचार कर रही है ?

डा० काटजू : मैं ने अपने उत्तर में बता दिया है कि इस पूरे प्रश्न की, न केवल राजस्थान अपितु मध्य भारत, हैदराबाद तथा सौराष्ट्र के सम्बन्ध में भी, जांच की जायेगी । इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि यह निर्णय क्या होगा ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस बात का आश्वासन दिया गया था कि आय-कर में वृद्धि तथा सीमा शुल्क में कमी साथ साथ की जायेगी ; किन्तु वास्तव में स्थिति यह है कि आय-कर में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है जब कि सीमा शुल्क उतना का उतना ही है ?

डा० काटजू : मुझे ऐसे किसी आश्वासन का पता नहीं । दोनों साथ साथ होते रहे । इस में कोई हानि नहीं ।

दिल्ली में बाल भवन

*१५९५. **श्री एस० एन० दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली नगर में एक बाल भवन बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां, दिल्ली में एक बाल भवन स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) प्रस्ताव अभी प्रारंभिक अवस्था में है किन्तु इस के लिये आय-व्ययक में व्यवस्था कर दी गई है ।

श्री एस० एन० दास : इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ।

डा० एम० एम० दास : एक परामर्श समिति स्थापित की गई है और वह इस प्रश्न पर विचार कर रही है । प्रस्तावित बाल भवन के लिए स्थान चुना जा रहा है ।

श्री एस० एन० दास : यह योजना किस प्रकार की है और इसका अनुमानित व्यय क्या है ?

डा० एम० एम० दास : अभी कोई योजना नहीं बनाई गई । किन्तु इस वर्ष आय-व्ययक में ५ लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है ।

श्री एम० डी० रामस्वामी : क्या इस प्रकार के बाल भवन राज्यों की राजधानियों में भी बनाये जायेंगे ?

डा० एम० एम० दास : मेरे विचार में इस विषय में राज्य सरकारें पहल करेंगी ।

उद्योगों को ऋण

*१५९६. **श्री राधा रमण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि १९५३-५४ में कुछ उद्योगों को ऋण दिये गये हैं ?

(ख) किन किन उद्योगों को ऋण दिये गये है ?

(ग) प्रत्येक को कितनी राशि दी गई है ; और

(घ) उन को चुनने का अधार क्या था ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी शाह) : (क) जी हां ।

(ख). (ग) तथा (घ) । यह जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । [**देखिये** परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४४]

श्री राधा रमण : ये ऋण किन शर्तों पर दिये जाते है ।

श्री एम० सी शाह : कुछ एक वर्ष के अन्दर चुकाये जाने होतें हैं, कुछ कुछ वर्षों में बराबर की किस्तों में चुकायें जानें होतें हैं । ब्याज की दर ३ प्रतिशत से ४ १/२ प्रतिशत तक अलग अलग उद्योगो के लिये भिन्न भिन्न होती है ।

श्री राधा रमण : क्या सरकार उन राज्य सरकारों से जिन्हें ये ऋण दिये जाते हैं, इन ऋणों के सम्बन्ध में और वे किस प्रकार खर्च किये जाते है, इस सम्बन्ध में और इसी प्रकार से जिन उद्योगों को सीधे केन्द्र के द्वारा ये ऋण दिये जाते हैं, उनसे कोई रिर्पोट मांगती हैं ?

श्री एम० सी० शाह : जहां तक उद्योगों के सम्बन्ध है, हमें इस प्रयोजन के लिए आवश्यक जानकारी मिल जाती है, जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, हम वे प्रयोजन जिनके लिए ऋण दिया जाता

है और जिन शर्तों पर वह दिया जाता है, निर्दिष्ट कर देती है, हमें उन से रिपोर्टें मिल जाती हैं।

श्री राधा रमण : विवरण में यह दिया हुआ है कि लगभग ६·१६ लाख रुपया केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों को ऋण के रुप में दिया गया है। क्या ये छोटे छोटे ऋण पूरे तौर से वसूल हो जाते हैं या उन में कुछ ऐसे भी हैं कि यदि वे चुकाये नहीं जाते, तो उन्हें आर्थिक सहायता मान लिया जाता है।

श्री एम० सी० शाह : ये उपराज्यपालों और मुख्यायुक्तों को कुछ प्रयोजनों के लिए दिये जाते हैं ये वसूल कर लिए जायेंगें। यदि ये वसूल न किये जा सकें, तो इस विषय पर बाद में विचार किया जायेगा।

श्री एल० एन मिश्र : राष्ट्रीय योजना के उपबन्धों के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा छोटे छोटे उद्योगों को जो ऋण दिये जाते हैं। क्या उन का कोई रिकार्ड रखा जाता है और यदि हां तो क्या यह सत्य है कि इस दिशा में सतोषजनक प्रगति नहीं हुई हैं ?

श्री एम सी० शाह : यह प्रश्न विभिन्न उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में है। यह पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों को दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में नहीं है।

आटो प्लाटिंग मशीन

***१५९७. श्री एम० आर० कृष्ण :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि अमेरिका से लगभग ५० हजार डालर के मूल्य की एक नई फोटोग्रामेट्रिक आटो प्लाटिंग मशीन खरीदी गई है, और

(ख) क्या यह सत्य है कि इसके प्रयोग से नक्शा बनाने के नवीनतम ढंग के सम्बन्ध में भारत सरकार को सलाह देने के लिए एक अमेरिकी विशेषज्ञ की सेवाएं भी उधार दी गई हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) नहीं श्रीमान् १९५३-५४ में संयुक्त राष्ट्र टेकनिकल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्विट्जरलैंड की एक फर्म से ३,४९,५०० रुपये की लागत से फोटोग्रामेट्रिक का सामान लिया गया था।

(ख) नहीं श्रीमान्। संयुक्त राष्ट्र टेकनिकल साहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी १९५४ में एक नारवेजियन फोटोग्रामेट्रिक विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त की गई थीं।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या ये मशीनें चालू की जायेंगी और यदि हां, तो किस क्षेत्र में ?

श्री के० डी० मालवीय : यह चालू की जा रही हैं इस बीच नार्वे से जो टेकनिकल विशेषज्ञ आया है, वह उसके सम्बन्ध में पुस्तक-सम्बन्धी व्याख्यान दे रहा है और क्रियात्मक प्रदर्शन भी दे रहा है। इसके पश्चात यह मशीन चालू कर दी जायेगी।

जाली सिक्के बनाना

***१५९९. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के किंगस्वे कैम्प क्षेत्र में जाली सिक्के बनाने की एक टकसाल का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो अपराधियो के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और आगे आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री डी० सी० शर्मा : इस में कौन से सिक्के बनाये जा रहे थे ?

श्री दातार: दुअन्नियां।

श्री डी० सी० शर्मा: कितनी राशि के सिक्के बरामद हुए थे ?

श्री दातार: मैं इन सिक्कों का वज़न बता सकता हूं। ५ सेर २ छटांक दुअन्नियां।

महालक्ष्मी बैंक, कलकत्ता

*१६०१. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **वित्त** मंत्री १४ अप्रैल, १९५१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३१२० के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतायेंगे:

(क) क्या महालक्ष्मी बैंक, कलकत्ता द्वारा पुनर्भुगतान किये जाने की योजना को अन्तिम रुप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख)। संभवतः माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कलकत्ता उच्चन्यायालय ने महालक्ष्मी बैंक लि० के लिए जिस प्रबन्ध योजना की मंजूरी दी है, उस की शर्तें क्या हैं और क्या ऋण दाताओं को योजना की शर्तों के अनुसार पूरा और अन्तिम भुगतान कर दिया गया है। यदि ऐसा है, तो भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के २७ फरवरी, १९५० के आदेश की एक प्रतिलिपि जिस के द्वारा उक्त योजना की मंजूरी दी गई थी, सदन पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस०-१११/५४]

श्री एस० सी० सामन्त : क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर की गई प्रबन्ध योजना में भारत के रिजर्व बैंक ने या बाद में उच्च न्यायालय ने कोई रूप भेद किया था ?

श्री ए० सी० गुहा : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बैंक के प्रधिकारी के रूप में एक विशेष पदाधिकारी को नियुक्त करने के लिए १४ सितम्बर १९४८ को प्रथम आदेश जारी किया था और यह बैंक शौध विलम्ब काल के अधीन कर दिया गया था। बाद में २७ फरवरी १९५० को दूसरा आदेश दिया गया।

उच्च न्यायालय द्वारा एक नया संचालक बोर्ड मनोनीत किया गया और अब बैंक उस की निगरानी में है भुगतान के सम्बन्ध में कोई नई व्यवस्था नहीं की गई। अशंधारियों को छोड़ कर जमा करवाने वालों के ४० लाख रुपये देने थे। उस में से नये संचालक अब तक १२·११ लाख रुपये का भुगतान कर चुके हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : करार के अन्तर्गत दावों का जो ५० प्रतिशत धन चुकाया जाना था, क्या जून १९५३ तक वह चुकाया जा चुका है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं पहले ही बतला चुका हूं कि उच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था मंजूर की थी, उसे बैंक ने पूरा नहीं किया।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या बैंक के अधिकारियों ने रिजर्व बैंक या उच्च न्यायालय की अनुमति से या अनुमति के बिना उसी प्रकार का व्यवसाय करने

वाले किसी अन्य समवाय से इसे मिलाने का प्रयत्न किया था ?

श्री ए० सी० गुहा : रिजर्व बैंक या उच्च न्यायालय की अनुमति से या अनुमति के बिना कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती ।

पहले केवल इसे कलकत्ता नैशनल बैंक से, जो कि समाप्त हो गया है, मिलाने का प्रस्ताव था और बैंक की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए, मेरे विचार में और कोई बैंक इस से मिलने के लिए तैयार नहीं होगा।

आदिम जाति कल्याण संस्थायें

*१६०२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) देश की उन गैर-सरकारी संस्थाओं की संख्या तथा नाम जिन को आदिम जातियों में कल्याण कार्यों के लिए सरकार द्वारा अनुदान मिलता है ;

(ख) १९५०, १९५१, १९५२ तथा १९५३ में इन में से प्रत्येक संस्था को दिये गये अनुदान की राशि ;

(ग) किन राज्यों में ये संस्थायें कार्य कर रही हैं ; तथा

(घ) किस प्रकार के कार्यों में वे व्यस्त हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ)। ३० जुलाई १९५२ को श्री संगण्णा के तारांकित प्रश्न संख्या २३०९ के उत्तर की ओर तथा १८ दिसम्बर १९५२ को सदन पटल पर रखे गये विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिस में इस प्रश्न के (क) से (ग) का १९५०-५१ तथा १९५१-५२ का उत्तर सन्निहित है । शेष सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार ने किसी स्थानीय आदिम जाति संस्था को अनुदान दिया है, और यदि ऐसा है तो उस संस्था का नाम तथा राशि ?

श्री दातार : मैं माननीय सदस्य का ध्यान उन भिन्न-भिन्न संस्थाओं की ओर आकर्षित करता हूं जिन का उल्लेख सदन पटल पर रखे गए विवरण में किया जा चुका है । जहां तक तत्पश्चात् के वर्षों की सूचना का सम-बन्ध है, उसकी पूछ ताछ की जा रही है और सूचना सदन पटल पर रख दी जायेगी।

श्री रिशांग किशिंग : मेरा प्रश्न है कि क्या स्थानीय आदिम जाति संस्थाओं को कुछ अनुदान दिया गया है ?

श्री दातार : अनुदान संस्थाओं को दिया गया है और इस शब्द के अन्तर्गत स्थानीय संस्थाएं भी सम्मिलित हैं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित आदिम जातियों के लिये आयुक्त का कार्यालय

*१६०३. **श्री रामानन्द दास** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आयुक्त के कार्यालय में दिसम्बर, १९५३ से नियुक्त किये गये सहायकों, उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग के लिपिकों की कुल संख्या ; तथा

(ख) उनमें श्रेणीवार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की संख्या ;

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख)। सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिष्टि ७, अनुबन्ध संख्या ४५]

श्री रामानन्द दास : क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कुछ स्नातकों तथा दोहरे स्नातकों ने भी इन स्थानों के लिये आवेदन-पत्र भेजे थे, गृह मंत्रालय ने उनकी जोरदार सिफारिश भी की थी, किन्तु फिर भी उनको मौखिक परीक्षा में नहीं बुलाया गया?

श्री दातार : यह सूचना सही नहीं है। एक स्त्री-स्नातिक ने आवेदन-पत्र भेजा था किन्तु उस को इस प्रकार के कार्य का अनुभव न होने के कारण गृह मंत्रालय में ही नियुक्त कर लिया गया था।

श्री रामानन्द दास : क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के कार्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के प्रति उचित सहानुभूति पूर्ण विचार नहीं किया जाता है?

श्री दातार : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार बहुत बड़ी संख्या में आयुक्त के कार्यालय में कर्मचारियों के स्थान पर नियुक्त किये गए हैं।

श्री इलयापेरूमल : उन की कुल संख्या क्या है?

श्री दातार : दो सहायक, एक निम्न वर्ग का लिपिक .....

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को विवरण पढ़ने की आवश्यक्ता नहीं है।

विश्वविद्यालयों को अनुदान

*१६०४. **श्री के० के० बसु** : क्या **शिक्षा मंत्री** पिछले तीन वर्षों में सामान्य शिक्षा तथा टैक्निकल शिक्षा देने के लिये विभिन्न विश्वविद्यालयों को स्वीकृत की गई कुल धन राशि अलग-अलग बताने की कृपा करेंगे?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४६]

श्री के० के० बसु : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय को कितनी राशि दी जा रही है?

डा० एम० एम० दास : केन्द्र से सम्बद्ध विभिन्न विश्वविद्यालयों को दिये गये अनुदानों की अलग अलग राशियों का विवरण मेरे पास है। किन्तु कुल योग नहीं है। यदि आप अनुमति दें, श्रीमान, तो मैं विभिन्न विश्वविद्यालयों के आंकड़े पढ़ कर सुना सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह लम्बी सूची है? सम्भवतः यह सूची दो दिन पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी।

डा० एम० एम० दास : हां।

श्री के० के० बसु : मैं जानना चाहता था कि कलकत्ता को कितनी राशि दी गई है, मैं समझता हूं कि वह राशि आप बता सकते हैं?

डा० एम० एम० दास : कलकत्ता विश्वविद्यालय को दो मदों के अन्तर्गत, अनदान दिया गया है; पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५२-५३ में कलकत्ता विश्वविद्यालय को ३ लाख रुपये की राशि मिली है तथा 'इंजीनियरिंग एवं शिल्प-

विज्ञान सम्बन्धी संस्थाओं के विकास तथा वैज्ञानिक एवं टेक्निकल शिक्षा के विकास' के अन्तर्गत, इस विश्वविद्यालय को १९५२-५३ के लिए ६,७१,५०० रुपये की राशि दी गई है।

श्री के० के० बसु : अनुदान की वास्तविक राशि किस आधार पर निश्चित की गई है तथा केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालयों द्वारा रखी गई वास्तविक मांग का साधारणतः कौन सा अनुपात स्वीकार किया है ?

डा० एम० एम० दास : विश्वविद्यालयों से उनकी योजनाओं को विस्तृत आकार में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके पास भेजा जाता है। केन्द्रीय सरकार औपचारिक रूप से इनका निरीक्षण करती है, और इसी के आधार पर अनुदान दिये जाते हैं। अब आवेदन-पत्रों की जांच करने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने हाथ में ले लिया है।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या हम जान सकते हैं कि हिन्दू यूनिवर्सिटी को क्या सहायता दी गई है ?

डा० एम० एम० दास : हिन्दू यूनिवर्सिटी को मुझे कहना चाहिये कि सब से अधिक अंश मिला है। १९५२-५३ के लिये बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को सामान्य शिक्षा पर व्यय के लिये ३०,८०,६६२ रु० की कुल राशि दी गई है। इसके साथ ही टेक्निकल शिक्षा के अन्तर्गत, इन्जीनियरिंग तथा शिल्प-विज्ञान सम्बन्धी संस्थाओं को और अनुदान दिया गया है।

रेलवे के फ़्री पास

*१६०७. **श्री राम जी वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय रेलवे से सम्बद्ध भारतीय लेखा परीक्षण विभाग के कर्मचारियों को फ़्री पास देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : नहीं, श्रीमान्।

श्री टी० एन० सिंह : क्या रेलवे विभाग में रेलवे कर्मचारियों को पास देने की प्रथा आम तौर से जारी है, और यदि ऐसा है तो यह उसका अपवाद क्यों है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार का प्रश्न माननीय सदस्य रेलवे मंत्री से पूछें तो अच्छा होगा।

केन्द्रीय चमड़ा गवेषणा संस्था

*१६०९. **श्री इलयापेरूमल :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मद्रास राज्य में १९५३-५४ में केन्द्रीय चमड़ा गवेषणा संस्था के लिए नियत की गई राशि; तथा

(ख) इस समय वहां कितने प्रशिक्षक कार्य कर रहे हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) पूंजी.....४,००,००० रु०।
आवर्तक.....६,९८,१०० रु०।

(ख) कुछ नहीं।

श्री मुनिस्वामी : क्या इस गवेषणा संस्था में कोई प्रशिक्षण शिक्षाक्रम चल रहे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : चमड़ा गवेषणा संस्था में कोई भी प्रशिक्षण शिक्षा क्रम नहीं चल रहा है क्योंकि यह एक गवेषणा संस्था है शिक्षा संस्था नहीं।

बम्बई के अनुसूचित क्षेत्रों के लिये सिंचाई योजनाएं

१६१०. **श्री नटवाडकर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने बम्बई राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के किसी भाग को सिंचाई के बड़े अथवा छोटे निर्माण- कार्यों के लिये चुना है;

(ख) यदि ऐसा है, तो वे कौन से हैं तथा अनुमानित लागत कितनी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख)। सूचना का संग्रह किया जा रहा है तथा उसे सदन पटल पर रख दिया जायगा।

आसाम को दिये गये ऋण तथा अनुदान

१६११. **श्री के० पी० त्रिपाटी** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आसाम सरकार ने एक पटसन मिल पर सूती-वस्त्र मिल, एक कागज़ मिल, एक चीनी मिल, एक फलों को डब्बों में भरने की फैक्टरी तथा एक वित्त निगम की स्थापना के लिए अनुदानों अथवा भागों अथवा दोनों की मांग की है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार ने इन में से प्रत्येक मांग के सम्बन्ध में उत्तर दे दिया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) आसाम सरकार ने केवल एक राज्य-वित्तीय-निगम की स्थापना के लिए ऋण दिये जाने के लिये कहा था।

(ख) प्रस्थापना पर विचार हो रहा है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : प्रथम पत्र कब मिला था ?

श्री एम० सी० शाह : यह दिसम्बर, १९५३ में मिला था। मामले को लगभग अन्तिम रूप दिया जा चुका है ।

श्री के० पी त्रिपाठी : यह कितनी राशि का सवाल है ?

श्री एम० सी० शाह : पन्द्रह लाख रुपये दिये जायेंगे ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : इसे कब अन्तिम रूप दिया जायगा ?

श्री एम० सी० शाह : बहुत शीघ्र, सम्भवतः इस महीने के अन्दर अन्दर ।

ग्राम्य विश्वविद्यालय

१६१३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने ग्राम्य क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिये संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय आयोग की सिपारिशों को स्वीकार कर लिया है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो ऐसी संस्थाओं के चलाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) तथा (ख)। मामले पर विचार हो रहा है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : कितने राज्यों में जनता महाविद्यालय चल रहे हैं ?

डा० एम० एम० दास: हमारी सूचना के अनुसार दिल्ली के सिवाय किसी राज्य में ऐसे किसी महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है ।

श्री जेठालाल जोशी : क्या सरकार को इस अभिप्राय की कोई सूचना मिली

है कि सौराष्ट्र में हाल में 'लोक भारती' नामक एक विश्वविद्यालय चलाया गया है, तथा क्या सरकार का विचार इसे इस रूप में मान्यता देने का है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री एस० एन० दास : क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों से विश्वविद्यालय आयोग की सिपारिशों की विशेषत: इस मामले के बारे में, कार्यान्विति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा है ?

डा० एम० एम० दास : हां, श्रीमान् ।

श्री एस० एन० दास : क्या कोई प्रतिवेदन मिल चुके हैं, तथा यदि ऐसा है, तो सिपारिशें क्या हैं ?

डा० एम० एम० दास : प्रतिवेदन मिले हैं; इनसे पता चलता है कि कुछ भी नहीं दिया गया है ।

आर्डनेन्स फैक्टरियां

*१६१४. **श्री अच्युतन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५३-५४ में आर्डनेन्स फैक्टरियों में तैयार की गई वस्तुओं का मूल्य कितना था तथा बेची गई ऐसी वस्तुओं का कुल मूल्य कितना था;

(ख) क्या इस योजना का कुछ प्रचार किया गया था, तथा यदि ऐसा है, तो किन किन तरीकों से; तथा

(ग) क्या सरकार आगामी वर्ष में इस योजना का विस्तार करने का विचार रखती है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) उत्तर में यह अनुमान किया गया है कि प्रश्न नागरिक प्रयोग के लिए उत्पादित वस्तुओं के सम्बन्ध में है, वर्ष १९५३-५४ में आर्डनेन्स फैक्टरियों में हुए काम का अनुमानित मूल्य १८५·६ लाख रुपये है । उसे कालावधि म बिक्री का अनुमानित मूल्य १५६·३७ लाख रुपये है ।

(ख) प्रचार कार्य समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर, चित्रित पुस्तिकाओं तथा प्रदर्शनियों द्वारा किया गया था ।

(ग) जी हां, उपबन्ध फ़ालतू सामर्थ्य के अनुसार अधिकतम सम्भव सीमा तक ।

श्री अच्युतन : इन आर्डिनेन्स फैक्टरियों में बनाई गई विभिन्न वस्तुओं की मुख्य किस्में कौनसी हैं ? क्या कोई वस्तुएं विदेशों में भी बेची गई है ?

श्री सतीश चन्द्र : आर्डनेन्स फैक्टरियों का मुख्य प्रयोजन रक्षा सेवाओं के लिए वस्तुऐं तैयार करना है । इसके अतिरिक्त यान्त्रिक सामर्थ्य का उपयोग रेलवे मंत्रालय संचार मंत्रालय तथा असैनिक व्यापार से प्राप्त आर्डरों अर्थात क्रय-आदेशों के अनुसार वस्तुओं के तय्यार करने में किया जाता है । इन वस्तुओं में लोहा, इस्पात तथा अलौह धातुओं से बनने वाली वस्तुएं कपड़ा तथा कुछेक दूसरे इंजीनियरिंग सम्बन्धी काम शामिल हैं ।

श्री अच्युतन : क्या सरकार इन वस्तुओं के बेचने के लिये देश के विभिन्न भागों में कुछ प्रदर्शनालय अथवा विक्रय-केन्द्रों के खोलने का विचार रखती है ?

श्री सतीश चन्द्र : किसी प्रदर्शनालय के खोलने का कोई विचार नहीं है । हमें मंत्रालयों तथा इंजीनियरी के बड़े बड़े उद्योगों से काफी क्रयादेश मिल रहे हैं—हम वस्तुओं की फुटकर बिक्री नहीं करते हैं ।

श्री के० के० बसु : क्या इन फैक्टरियों की सामर्थ्य का पूरा उपयोग किया जाता है अथवा कुछ सामर्थ्य बेकार पड़ी रह जाती है ?

श्री सतीश चन्द्र : इस सारे मामले की जांच एक समिति कर रही है। कुछ बेकार सामर्थ्य भी रहती है। परन्तु जैसा कि मैं ने प्रश्न के उत्तर में बतलाया हमने वर्ष भर में १८५ लाख रुपये के आर्डर प्राप्त किए थे जो सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं से अतिरिक्त थे ।

साहित्यिक व्यक्तियों को अनुदान

१६१५. श्री बी० एन० मिश्र : (क) क्या **शिक्षा मंत्री** ११ जून, १९५२ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ७१८ के उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि साहित्यिक में ख्याति-प्राप्त ऐसे व्यक्तियों से, जिन्हें किसी नियत समय के अन्दर वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी, निर्वाह भत्ते प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों की संख्या कितनी थी तथा उनमें से मध्य प्रदेश से कितने प्रार्थना पत्र आये थे ?

(ख) सरकार ने इन प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एस० दास) : (क) प्रार्थना पत्रों के भेजने के लिए समय की कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है। मार्च १९५४ के अन्त तक ५७५ प्रार्थना पत्र मिले थे जिनमें से १६ मध्य प्रदेश से हैं।

(ख) मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए १६ प्रार्थना पत्रों में से नौ के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा चुकी है तथा सात पर विचार हो रहा है ।

श्री बी० एन० मिश्र : सरकार ने इन प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही करते हुए क्या फैसला किया है--क्या उन्हें अनुदान दिये गये हैं या नहीं ?

डा० एम० एम० दास : अभी तक मध्य प्रदेश से १६ प्रार्थना पत्र मिले थे जिनमें से नौ के सम्बन्ध में कार्यवाही कर दी गई है । केवल एक मामले में हमने अनुदान दिया है ।

श्री बी० एन० मिश्र : अनुदान की राशि कितनी है तथा यह किसे दी गई है ?

डा० एम० एम० दास : यह अनुदान श्री ज़हूरबख्श मशेरयाही को दिया गया है। वह एक हिन्दी के लेखक हैं । मंजूर किया गया भत्ता १५० रु० प्रति मास है जो १९५३ से लेकर एक वर्ष तक दिया जायगा।

श्री रघुरामय्या : क्या इन प्रार्थनापत्रों की छान बीन करने तथा सिफारिशें करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है ?

डा० एम० एम० दास : जी हां । एक समिति इन प्रार्थना पत्रों की छानबीन करती है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या ऐसा कोई उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत सरकार ऐसे लेखकों को अनुदान दे सके जो संकट में हैं परन्तु जो सरकार को लिखित तथा औपचारिक रूप से प्रार्थनापत्र देने के लिए तैयार नहीं हैं ?

डा० एम० एम० दास : एक उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत राज्यों की महत्वपूर्ण संस्थाओं से सरकार को ऐसी सूचना भेजने के लिए कहा गया है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): यह

प्रक्रिया एक वर्ष पहले आरम्भ की गई थी। यह एक तदर्थ प्रकार की प्रक्रिया है जिसे हम अधिक निश्चित रूप देना चाहते हैं। इस प्रयोजन से कुछ धन-राशि पृथक रक्षित की गई थी। एक समिति जिसमें शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री तथा मैं सम्मिलित थे नियुक्त की गई थी तथा कुछ अनौपचारिक प्रकार की मंत्रणा समितियां विभिन्न भाषाओं के सम्बन्ध में बनाई गई थीं जिनमें इस सदन तथा राज्य परिषद के सदस्य शामिल थे--एक हिन्दी तथा एक बंगला भाषा के लिए नियुक्त की गई है। उन्हें ये प्रार्थना पत्र भेजे जाते हैं तथा तब वे फैसला करती हैं। उसके बाद इस समिति द्वारा फैसला किया जाता है।

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये रक्षण

*१६१६. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या राज्य मंत्री २४ मार्च, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १२६३ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मनीपुर तथा त्रिपुरा राज्यों की सरकारों में अनसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिए क्लर्कों तथा असिस्टेन्टों की नियुक्तियों में कितना अभ्यंश रक्षित किया गया है;

(ख) क्या अभ्यंश को पूरा किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण; तथा

(घ) कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये गय हैं?

गृह-कार्य तथा राज्य मन्त्री (डा० काटजू)। (क) से (घ)। सूचना का सग्रह हो रहा है तथा प्राप्त होने पर इसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

श्री बी० एस० मूर्ति : यह प्रश्न पिछले छः या सात महीनों से निरन्तर पूछा जा रहा है। मुझे मालूम नहीं है कि सूचना को एकत्र करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं।

डा० काटजू : मुझे मालूम नहीं कि मेरे मित्र का छः या सात महीनों का अनुमान ठीक है या नहीं। अस्तु, मैं मुख्य आयुक्त को सूचना के तत्काल भेजे जाने के लिए तार द्वारा पुनः स्मरण कराऊंगा।

सदभावना यात्रायें

१६१८. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हमारे जलयान सन १९५३-५४ में किन्ही बाहर के देशों में सदभावना यात्राओं पर गये थे; तथा

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन किन देशों की यात्रा की?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): (क) जी, हां। भारतीय नौसेना के जलयानों ने १९५३ में सदभावना यात्राओं के सामान्य कार्य-क्रम के अन्तर्गत विभिन्न देशों की यात्रा की।

(ख) राज्याभिषेक समारोह के लिये इंगलिस्तान।

इटली

यूगोस्लाबिया,

टर्की

सीरिया और लैबनान,

इज़राईल.

मिस्र,

सऊदी अरब,

एरिट्रिया,

यूनान,

श्री लंका,
बर्मा, और
मलाया ।

सरदार हुक्म सिंह : राज्याभिषेक समारोह के सम्बन्ध में इंगलिस्तान से प्राप्त हुए निमंत्रण के अनुसार जब हम ने अपने तीन जलयान भेजे तो उन पर कितना खर्च हुआ था ?

श्री त्यागी : मुझे विश्वास है कि कुछ समय पूर्व मैं ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था। मेरे पास अब वे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं; किन्तु इन यात्राओं पर कुल जो खर्च हुआ है, वह अधिकतर ईंधन अथवा केवल मनोरंजन पर होने वाला खर्च ही है। शेष सामान्य खर्च हुआ है ।

सरदार हुक्म सिंह : भूमध्य सागर में ब्रिटेन के जहाजी बेड़े के साथ जो युद्धाभ्यास किये गये थे, क्या उन के अतिरिक्त समुद्र में और भी कोई युद्धाभ्यास किया गया था ?

श्री त्यागी : कुछ युद्धाभ्यास स्थानीय रूप से भी किये जाते हैं, किन्तु इस बार हम पूर्व की ओर सद्भावना यात्रा करना चाहते हैं ।

श्री एन० एल० जोशी : क्या १९५३ में दूसरे देशों से भी कोई सद्भावना मिशन भारत में आये थे ?

श्री त्यागी : विभिन्न देशों से सदभावना मिशन आते हैं । अभी मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

भारतीय बैंकों की विदेशी शाखायें

***१६१९. श्री एस० एन० दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विदेशों में शाखायें खोलने के लिये बैंकों से प्राप्त किये गये प्रार्थना पत्रों की संख्या, और उन में से कितने मंजूर किये गये, और कितने अस्वीकृत किये गये अथवा अभी निलम्बित हैं;

(ख) विदेशों में शाखायें खोलने में बैंकों को किस प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) किन देशों में इन शाखाओं को काम करने की अनुमति नहीं दी गई; तथा

(घ) यदि इन मामलों के कुछ कारण थे, तो वे क्या थे ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा)- (क) १८ मार्च, १९५० से भारत के बाहर ३३ शाखायें खोलने के लिये रिज़र्व बैंक को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे । २७ मामलों में अनुमति दी गई, ४ मामलों को अनुमति नहीं दी गई और दो मामले निलम्बित हैं । १८ मार्च १९५० से पहले विदेशों में शाखायें खोलने के लिये किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी ।

(ख) कठिनाइयां या तो विनिमय नियंत्रण या विदेशों के अन्य विनियमनों के कारण थीं अथवा उन देशों की राजनैतिक अस्थिरता के कारण थीं ।

(ग) श्री लंका और पुर्तगाली भारत ।

(घ) श्री लंका ने कंडी में शाखा खोलने से सम्बन्धित एक मामले में अनुमति देने से इनकार कर दिया था । इस के लिये यह कारण बताया गया था कि इस नगर विशेष में पहले ही बैंकिंग की पर्याप्त सुविधायें वर्तमान थीं । पुर्तगाली अधिकारियों ने एक या दूसरे बहाने से गोवा में भारतीय बैंकों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी । उस सरकार की नीति भारतीय बैंकों के प्रति भेद भाव का व्यवहार करने की है ।

श्री एस० एन० दास : क्या पिछले वर्ष विदेशों में भारतीय बैंकों के कार्यालयों की संख्या में कमी हुई है, और यदि हां, तो किस मात्रा में ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरी बात यदि गलत हो तो सुधारी जा सकती है परन्तु मेरे विचार से माननीय सदस्य का सुझाव ठीक नहीं है। अब तक भारत से बाहर ३५ बैंक अपनी १३८ शाखाओं के साथ काम कर रहे हैं।

श्री एस० एन० दास : भारत में यहां क्या विनियम हैं, जिस के अनुसार विदेशी बैंकों को यहां पर अपनी शाखायें खोलने की अनुमति दी जाती है ?

श्री ए० सी० गुहा : यह तो बिल्कुल पृथक प्रश्न है। अस्तु, इस का विनियमन पारस्परिक आधार पर होता है। हम भारत में काम करने वाले विदेशी बैंकों को वही प्रबन्ध या सुविधायें देते हैं जो उन देशों में काम करने वाले हमारे बैंकों को दी जाती हैं।

श्री टी० एन० सिंह : क्या बैंकों के सम्बन्ध में पुर्तगाल और भारत के बीच कोई पारस्परिक समझौता है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं नहीं समझता कि किसी पुर्तगाली बैंक को भारत में काम करने की अनुमति दी गई है ?

काश्मीर संयुक्त पुनर्वास बोर्ड

*१६२०. **श्री राधा रमण** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीर में संयुक्त पुनर्वास बोर्ड के द्वारा कितने विस्थापित परिवार बसाये गये थे ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : १०,६७६ परिवार।

श्री राधा रमण : क्या पश्चिम पंजाब, और पाकिस्तान द्वाराअधिकृत काश्मीर क्षेत्रके विस्थापित व्यक्तियों सम्बन्धी पृथक पृथक आंकड़े उपलब्ध हैं।

डा० काटजू : मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं।

श्री राधा रमण : इन शरणार्थियों के पुनर्वास कार्य पर कुल कितना खर्च हुआ है ?

डा० काटजू : मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

अडमान और निकोबार द्वीप

*१६२१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी १९५३ और फरवरी १९५४ के बीच विस्थापित व्यक्तियों के कितने जत्थे अण्डमान और निकोबार द्वीपों में बसने के निमित भेजे गये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जनवरी १९५३ में कोई भी बसने वाले अण्डमान नहीं भेजे गये हैं। फरवरी १९५४ में, श्चिम बंगाल से ११६ विस्थापित परिवारों का एक समुह, जिस में ४४१ व्यस्क और बच्चे सम्मिलित थे, बसने के लिये इन द्वीपों में भेजा गया था,

श्री एस० सी० सामन्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि जनवरी १९५३ और फरवरी १९५४ के बीच कितने व्यक्ति भेजे गये थे। माननीय मंत्री ने बताया कि जनवरी १९५३ में कोई भी व्यक्ति नहीं भेजा गया था।

श्री दातार : जनवरी १९५३ में कोई व्यक्ति नहीं भेजा गया था फरवरी १९५४ में ११६ परिवार भेजे गये थे।

श्री एस० सी० सामन्त : इस समय प्रतीक्षकों की सूची में कितने व्यक्ति हैं ?

श्री दातार : जहां तक वर्तमान वर्ष का सम्बन्ध है, अधिकतर परिवार पहले

ही भेज दिये गये हैं, और केवल कुछ ही बाकी हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या पश्चिम बंगाल को छोड़ कर देश के किसी दूसरे भाग से व्यक्तियों का कोई समूह बसने के लिये अण्डमान गया है ?

श्री दातार : जी हां, प्रत्येक राज्य के लिये पृथक अभ्यंश निश्चित किया गया है, और शेष भारत के लिये २५ प्रतिशत निश्चित किया गया है । त्रावनकोर कोचीन से ६० परिवार, बम्बई से २५, बिहार से २५, तथा अथवा ब्रह्मा के भारतीय निष्क्रान्तो में से भेजे जा रहे हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या उन चार सौ परिवारों की जो अभी वहां गये हैं कोई शिकायत आई है, कि वहां चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं है ?

श्री दातार : हमें ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है । वास्तव में, चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सरकार प्रति वर्ष अण्डमान में नियमित संख्या में लोगों को भेजना चाहती है अथवा क्या वे सब केवल एक वर्ष के लिये भेजे जा रहे हैं ?

श्री दातार : जी, नहीं, यह प्रति वर्ष का कोटा होता है । हम स्थायी रूप से बसने के लिये अण्डमान में कुल मिलाकर पांच हजार परिवार भेजना चाहते है ।

श्री रधुरामय्या : इन बसने वालों को क्या विशेष सुविधायें दी जाती हैं ?

श्री दातार : धान की खेती के लिये पांच एकड़ भूमि दी जाती है, बागबानी अथवा अपना घर बनाने के लिये पांच एकड़ बिना साफ की गई भूमि दी जाती है और वहां जाने तथा दूसरे आनुषंगिक व्ययों की पूर्ति के लिये २००० रुपये का ऋण दिया जाता है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या उन में से कुछ लोगों ने भी प्रार्थना पत्र दिये हैं, जिन को श्री लंका में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, और यदि हां, तो क्या सरकार उन के मामले पर विचार करेगी ?

श्री दातार : मुझे इस का पता नहीं है, किन्तु मैं इस की पड़ताल करूंगा ।

विदेशों को भेजे गये मनीपुर निवासी

* १६२२. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से मनीपुर राज्य से केन्द्रीय सरकार के खर्च पर कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण या शिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेशों में भेजा गया है;

(ख) उनके प्रशिक्षण या शिक्षा का स्वरूप;

(ग) उन पर कितना खर्च किया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) कोई नहीं ।

(ख) तथा (ग) । प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री रिशाग किशिंग : क्या यह सच है कि विदेशों में जाकर अध्ययन करने के लिये भारत सरकार की छात्रवृत्तियां या तो गुप्त रखी जाती हैं, अथवा इतनी देरी से उनका विज्ञापन दिया जाता है

कि स्थानीय लोग प्रार्थना पत्र भेजने में असमर्थ होते हैं ?

डा० एम० एम० दास : मैं उन की बात को समझ नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : आशय यह है कि या तो ये चीज़ें गोपनीय रखी जाती हैं या तब छपवाई जाती है जब लोगों के लिये प्रार्थना पत्र देना संभव नहीं रहता है ।

डा० एम० एम० दास : यह बात ठीक नहीं है ।

श्री रिशाग किशिंग : क्या यह सच नहीं है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पुत्र अमरीका भेजा गया है, और बंगाल के एक दूसरे व्यक्ति को जो इस समय मनीपुर में ठहरा हुआ है पुनः अध्ययन के लिये अमरीका भेजा जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास : आदिम जाति तथा मनीपुर के व्यक्तियों में कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था । नागा जाति का एक व्यक्ति श्री शैज़ा था, जिसने देरी से प्रार्थना पत्र दिया था । परन्तु ठीक समय पर प्रार्थना पत्र न देने पर भी उसे लोक प्रशासन का अध्ययन करने के लिये इंगलिस्तान जाने की छात्रवृत्ति दी गई थी । किन्तु इंगलिस्तान के विश्वविद्यालयों—लन्दन, मानचैस्टर और लिवरपूल—ने उसे लेने से इन्कार कर दिया और वह केन्द्रीय सरकार से वृत्ति प्राप्त कर रहा हैं और नीलोखेड़ी सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में काम कर रहा है । उसे प्रतिमास ३५० रुपये मिलते हैं ।

श्री रिशाग किशिंग : मैं आदिम जातियों की बात नहीं करता हूं; किन्तु समस्त मनीपुर की बात करता हूं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मनीपुर के छात्र विदेशों में अध्ययन करने के लिये कभी समय के अन्दर प्रार्थना पत्र नहीं दे सकते, क्योंकि उनको छात्रवृत्तियों के विषय में कभी समय पर सूचना नहीं दी जाती है, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और आवश्यक कार्यवाई करेगी ?

डा० एम० एम० दास : मैं ठीक नहीं समझ सका कि उन का उन्हें "सूचना देने" से क्या अभिप्राय है । क्या हमें स्वयं वहां जाना चाहिये ?

श्री रिशाग किशिंग : मेरा अभिप्राय यह है कि कभी भी समय पर छात्रवृत्तियों का विज्ञापन नहीं दिया जाता है ।

डा० एम० एम० दास : उनका समय पर विज्ञापन दिया जाता है ।

अन्नामलई विश्वविद्यालय को सहायता

*१६२३. **इलयापेरूमल :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सहायता के लिये १९५३–५४ में अन्नामलई विश्वविद्यालय से कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे ?

(ख) कितने अस्वीकृत कर दिये गये थे और क्यों ?

(ग) क्या उस विश्वविद्यालय को कोई अनुदान दिये गये थे, और यदि हां तो किस आधार पर ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख) । उन आठ नई योजनाओं में से, जिनके लिये १९५३–५४ में अन्नामलई विश्वविद्यालय ने सहायक अनुदान की प्रार्थना की थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी तक केवल तीन योजनाओं पर विचार किया है और यह तय किया है कि इन योजनाओं के लिये उस विश्वविद्यालय को कोई सहायक अनुदान न दिया जाये ।

(ग) अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश की गई योजनाओं के अधीन उच्चतर वैज्ञानिक शिक्षा एवं गवेषणा कार्य के विकास तथा प्रविधिक विभागों के विकास के लिये उस विश्व-विद्यालय को वर्ष १९५३-५४ में कुल ७,५६,८८५ रुपये की राशि दी गई है। ये अनुदान उन योजनाओं के सम्बन्ध में है जो १९५३-५४ से पुर्व प्राप्त और स्वीकृत हुई थी ।

श्री कक्कन : अन्नामलई विश्वविद्यालय के हरिजन विद्यार्थियों के पास से छात्र-वृत्ति के लिये कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे?

डा० एम० एम० दास : हम आर्थिक सहायता के लिये अन्नामलई विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये प्रार्थना पत्रों के विषय में बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न विद्यार्थियों के प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में नहीं है ।

विदेश भेजे गये सशस्त्र बलों के अधिकारी

*१६२४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५३-५४ में कुछ अधिकारियों को इस विचार से विदेशों में शिक्षा क्रम को पूरा करने के लिए भेजा गया था कि सशस्त्र बलों के अधिकारियों को युद्ध के नवीनतम सिधान्तों तथा तरीकों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से सूचना प्राप्त रहें ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो कितने अधिकारियों को भेजा गया था तथा किन किन देशों में ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां।

(ख) १२४ को, जिनमें से ९० को ब्रिटेन भेजा गया था तथा ११ को अमेरिका १६ को फ्रान्स, ४ को आस्ट्रोलिया तथा ३ को कनाडा भेजा गया था।

सरदार हुक्म सिंह : क्या अभ्यर्थियों के लिए किन्हीं विशिष्ट विषयों को हमारी सरकार द्वारा चुना जाता है तथा कालावधि को निश्चित किया जाता है अथवा ये बातें उन देशों पर, जहां भेजने के लिए अभ्यर्थियों को नियत किय जाता है छोड़ दी जाती है कि वही देश इन विषयों को चुनें अथवा उनके वहां रहने की अवधि को निश्चित करें ?

श्री त्यागी : नहीं श्रीमान्, ये विषय हमारी आवश्यकताओं के अनुसार निश्चित किये जाते हैं। हम अपनी आवश्यकता को जानते हैं तथा सामान्यित उन्हें विशिष्टिकृत विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ही बाहर भेजा जाता है । अब हमने प्रशिक्षण के लिए सामान्यतः अपने प्रबन्ध कर लिए हैं। केवल टेक्नीकल प्रशिक्षण के लिये ही, विशेषतः ईजीनियरी तथा बिजली सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए ही, हम अभ्यर्थियों को बाहर भेज रहे हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस वर्ष भी किसी नये दल के भेजने की प्रस्थापना की गई है ?

श्री त्यागी : श्रीमान् इन प्रशिक्षणार्थियों की अधिकांश संख्या ऐसे व्यक्तियों की है जिन्हें नये खरीदे गये विमानों के सम्बन्ध में टेक्नीकल जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। जब कभी नये प्रकार का विमान खरीदा जाता है तो एक दल को विमान सम्बन्धी टेक्नीकल जानकारी तथा तरीकों आदि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। यदि कोई अवसर

आया तो इस वर्ष भी सम्भवतः हम कुछ व्यक्तियों को भेजेंगे।

श्री जोकीम आल्वा : क्या हमारे अधिकारियों को माननीय मंत्री द्वारा बतायें गये देशों के अतिरिक्त किन्ही दूसरे देशों को, विशेषतः उन देशों को, जिनके पास सब से बड़ी भू-सेनायें, विमान बल तथा नौ-सेनायें हैं, भेजने के कोई प्रयत्न किये गये थे?

श्री त्यागी : प्रशिक्षणार्थियों को उन देशों में भेजा जाता है जहां हमारे विचार से हमारी आवश्यकतायें अधिक अच्छी तरह से पूरी हो सकती है। हम देशों के नामों से प्रभावित नहीं होते हैं हम इस बात से प्रभावित होते हैं कि उन देशों में टेक्नीकल प्रशिक्षण की कौनसी सुविधायें उपलब्ध हैं।

श्री मुनिस्वामी : सरकार ने इन अधिकारियों को विदेशों में भेजने पर कितना व्यय किया है?

श्री त्यागी : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नौ-सेना के उपकरण

*१५९८. **श्री राघवय्या** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभाजन से तत्काल पहले जंगी जहाजों, सुरंगें साफ करने वाले जहाज़ों, सहायक जहाज़ों तथा उदस्थली यानों की संख्या कितना था?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : जंगी जहाज़--१२ ; सुरंगें साफ़ करने वाले जहाज़--२२ ; सहायक जहाज़--
- ६--मोटर से चलने वाले सुरंगें साफ़ करने के जहाज़
- ९--अग्निबोट
- ७--तट तक पहुंचाने की नावें ;

उदस्थली यान--कोई नहीं

केन्द्रीय सांख्यकीय संस्था

*१६००. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यकीय संस्था को राज्य सरकारों से उनके अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो ऐसे प्रशिक्षण के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे है?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख)। जी हां, केन्द्रीय सांख्यकीय संस्था को राज्य सरकारों से उनके अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं तथा जब कभी आवश्यकता हुई थी, ऐसा प्रशिक्षण दिया भी गया था। यह प्रशिक्षण जो सामान्यतः एक मास के लिए होता था, प्रशिक्षणार्थियों को केन्द्रीय सांख्यकीय संस्था तथा विभिन्न मंत्रालयों के दूसरे कार्यालयों के संमक कार्यालयों के बारे में प्रचुर ज्ञान प्राप्त कराने के लिए होता था। अक्तूबर, १९५३ में केन्द्रीय तथा राज्यों के सांख्यिकों के संयुक्त सम्मेलन में यह फैसला किया गया था कि राज्यों के अधिकारियों को पृथक पृथक अवसरों पर प्रशिक्षण देने की बजाय केन्द्रीय सांख्यकीय संस्था को ऐसे प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये राज्यों के सांख्यकों के लिए प्रत्येक वर्ष छः सप्ताह के शिक्षा-क्रम की व्यवस्था करनी चाहिये। केन्द्रीय सांख्यकीय संस्था द्वारा इस दिशा में आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं तथा राज्य सरकारों से उस कार्यालय को अपनी आवश्यकताओं की सूचना देने के लिए कहा गया है।

मकान-किराया भत्ता

*१६०५. **श्री टी० वी० विट्ठल राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नागपुर की नगर-सीमाओं में रहने तथा काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान-किराया भत्ता ग्राह्य है ;

(ख) क्या नागपुर हवाई अड्डा नागपुर की नगर सीमाओं के अन्दर आता है ;

(ग) क्या नागपुर हवाई अड्डे में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है ; तथा

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) मकान-किराया भत्ता १० मई, १९५० को निर्धारित नागपुर की नगर सीमाओं के अन्दर रहने वाले केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए ग्राह्य हैं। यह भत्ता उन गैर-गजटेड कर्मचारियों के लिए भी ग्राह्य हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, परन्तु बाहर रहते हैं।

(ख) नागपुर हवाई अड्डा जो पहले सीमाओं के अन्दर नही था, अब नागपुर नगरपालिका की सीमाओं में शामिल कर लिया गया है।

(ग) तथा (घ)। नागपुर हवाई अड्डे में काम करने वाले तथा नागपुर नगरपालिका की प्रारम्भिक सीमाओं के अन्दर रहने वाले कर्मचारियों के लिए मकान-किराया ग्राह्य ह ।

पता लगा है कि हवाई अड्डे पर काम करने वाले सारे ऐसे कर्मचारी जिन्हें क्वाटर नहीं दिये गये हैं, इन सीमाओं के अन्दर रहते ह, अतः वे मकान-किराया भत्ता पा रहे हैं।

सरकारी कैन्टीनें

*१६०६. **श्री वी० मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) विभिन मंत्रालयों, उनके सेलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए कैंन्टींन चलाने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ; तथा

(ख) रक्षा तथा गृह-कार्य मंत्रालयों में कैंन्टीनो का प्रबन्ध कैसे चलाया जाता है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) कर्मचारियों को उचित दामों पर तथा स्वस्थ वातावरण में खाने पीने की वस्तुयों की व्यवस्था की जाये ।

(ख) स्थानयि समितियों द्वारा, जिनमें मंत्रालयों तथा कैंन्टीनों से लाभ उठाने वाले कार्यालयों के मनोनीत व्यक्ति शामिल हैं ।

विस्थापित बैंक

*१६०८. **श्री भीखा भाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन विस्थापित बैंकों की संख्या कितनी है जिनके प्रधान कार्यालय पश्चिमी पाकिस्तान में थे तथा जिन्हों ने विभाजन के फलस्वरुप कार्य करना बन्द कर दिया था ?

वित उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मैं सदन पटल पर एक विबरण रखता हूं जिस में संगत सूचना दी गई है, [देखये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४७]

आय-कर जांच आयोग

*१६१२. **श्री एच० एस० प्रसाद** क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १९५४ तक आय-

कर जांच आयोग ने आयकर की कितनी राशि को पुनः प्राप्त किया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : फरवरी, १९५४ के अन्त तक आयकर जांच आयोग के मामलों में पुनः प्राप्त की गई धन-राशि लगभग ९·६२ करोड़ रुपये है । मार्च १९५४ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

प्रबन्ध -शिक्षा बोर्ड

*१६१७. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद ने एक प्रबन्ध-शिक्षा बोर्ड नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं, उन्होंने अभी तक क्या काम किया है और क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) क्या ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं से परामर्श किया गया है, जो कि औद्योगिक प्रशासन के पाठ्यक्रमों के आरम्भ करने के संबंध में राय देने योग्य हैं, और यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या संस्थाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता संबंधी परिषद की सिफारिशों पर विचार किया गया है और उन्हें स्वीकार किया गया है, और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० म० एस० दास) :

(क) जी हां ।

(ख) मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता हैं । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ४८.]

(ग) बोर्ड स्वयं एक विशेषज्ञ निकाय है जिसमें उद्योग तथा वाणिज्य के नेता, शिक्षा शास्त्री एवं प्रबन्ध विशेषज्ञ सम्मिलित हैं ।

(घ) संस्थाओं को दी जाने वाली आर्थि (क) सहायता के संबंध में परिषद ने अभी तक सरकार से अंतिम रुप में कोई सिफारिशें नहीं की हैं।

पश्चिम बंगाल के कृषकों को ऋण

३३६. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ और १९५३-५४ में कृषि संबंधी मौसमी कार्यों को वित्त पोषित करने और फसलों की बीक्री की व्यवस्था करने के लिये भारत के रक्षित बैंक ने पश्चिम बंगाल के कृषकों को कितना धन दिया ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : भारत के रक्षित बैंक ने पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक के द्वारा कृषि संबंधी फसली कार्यों को वित्त पोषित करने और फसल की बिक्री की व्यवस्था करने के लिये जुलाई १९५२ से जून १९५३ तक के काल में किसी भी समय अधिकतम देय राशि ६० लाख रुपये मंजूर की थी । इस काल में वस्तुतः कुल राशि ७० लाख रुपये निकाली गई । जुलाई १९५३ से ५ मार्च १९५४ तक के काल में पश्चिम बंगाल राज्य के सहकारी बैंक ने इस वर्ष के लिये भारत के रक्षित बैंक द्वारा इस काम के हेतु स्वीकृत ७५ लाख रुपये में से १८ लाख रुपये निकाले हैं।

तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग

३३७. **श्री एस० एन० दास :**
सेठ गोविन्द दास :
कुमारी एनी मस्करीन :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री वोडयार :
श्री कृष्ण चन्द्र :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से अपने उत्तर-दायित्वों को निबाहने के सम्बन्ध में और कोरिया में भरतीय संरक्षक कटक तथा तत्संबंधी अन्य मामलों के लिये भारत ने कुल कितना व्यय किया है ;

(ख) इस व्यय की कौन सी महत्वपूर्ण मदों की पूर्ति भारत को करनी होगी ; तथा

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें कितना धन देगा ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) चूंकि अंतिम हिसाब किताब अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अतः इस अवस्था पर कुल व्यय के संबंध में ठीक ठीक जानकारी देना संभव नहीं है, परन्तु वर्तमान अनुमान ९४ लाख रुपये का है।

(ख) कोरिया को भेजे गये सैनिक और असैनिक कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि के रूप में भारत सरकार को वे सभी सामान्य व्यय करने होंगे जो उसे प्रत्येक अवस्था में, भारत में करने पड़ते।

(ग) यातायात व्यय सहित सभी विशेष व्यय एक ऐसे संग्रह के खाते में लिखे जा सकते हैं, जिसमें एक ओर संयुक्त राष्ट्रीय अधिकारी और दूसरी ओर चीनी एवं उत्तर कोरियाई अधिकारी बराबर भागों में अंशदान देंगे। वर्तमान सूचना के अनुसार यह अनुमान है कि संग्रह के खाते में लिखा जाने योग्य व्यय लगभग ५९ लाख रुपये है।

विशेष पुलिस विभाग

३३८. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में विशेष पुलिस विभाग, दिल्ली, द्वारा (१) दर्ज किये गये, और (२) मुकदमा चलाने के लिये भेजे गये मामलों की संख्या क्या है ?

(ख) क्या कोई ऐसे भी मामले थे जिनमें उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय ने इस विभाग के संबंध में कोई टीका टिप्पणी की हो ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) (१) ३७६
(२) १७३

(ख) विशेष पुलिस विभाग, मद्रास, के एक मुकदमें में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा टीका टिप्पणी की गई थी।

राष्ट्रीय सेना-छात्र दल

३३९. **श्री गणपति राम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सेना-छात्र दल का चुनाव किस व्यवस्था के द्वारा किया जाता है ;

(ख) उसके कर्मचारियों के नाम क्या हैं, और उन्हें क्या सुविधायें दी जाती हैं; तथा

(ग) एक सेना-छात्र के चुनाव के लिये विहित न्यूनतम अर्हतायें क्या हैं ?

रक्षा उप मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) (क) तथा (ख). सीनियर डिवीज़न के सेना-छात्रों का चुनाव राष्ट्रीय सेना-छात्र

दल की यूनिटों के आफ़िसर कमांडिंग द्वारा और जूनियर डिवीजन में संबंधित स्कूलों के प्रधान अध्यापकों द्वारा किया जाता है। भर्ती किये जाने से पूर्व सेना-छात्रों की डाक्टरी परीक्षा की जाती है। अभ्यर्थियों की मौखिक परीक्षा लेने के लिये आफ़िसर कमांडिंग कालेजों का दौरा करते हैं। हैड मास्टर और प्रिंसिपल अपने अपने स्कूलों में मौखिक परीक्षा लेते हैं। अभ्यर्थियों के परीक्षण के लिये स्थानीय असैनिक चिकित्सा अधिकारियों के साथ प्रबन्ध किये जाते हैं।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४९]

———

अंक ३ मंगलवार

संख्या ३९ ६ अप्रैल १९५४

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक ३ में संख्या ३१ से संख्या ४५ तक हैं)

—:o:—

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद की द्वितीय पुनर्वलोकन समिति का प्रतिवेदन [पृष्ठ भाग २८५३—२८५४]

इंडियन आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा उत्पादित इस्पात के उचित धारण मूल्यों पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन [पृष्ठ भाग २८६७]

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का २५ मार्च, १९५४ का संकल्प संख्या एस० सी० (ए) २ (८९)/५२ [पृष्ठ भाग २८६७]

भारत में फ्रांसीसी बस्तियों में आन्दोलन के सम्बन्ध में वक्तव्य [पृष्ठ भाग २८५४—२८६७]

सदस्यों के वेतन तथा भत्ते व संक्षिप्त पदनाम सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिये नामनिर्देशन [पृष्ठ भाग २८६७—२८६८]

संसद् सचिवालय, नई दिल्ली।

(मूल्य ६ आने)

73 PSD

[पन्ना उलटिये]

अनुदानों की मांगें—

मांग संख्या ५२—गृह-कार्य मंत्रालय [पृष्ठ भाग २८६८—२९०६]
मांग संख्या ५३—केबिनेट [पृष्ठ भाग २८६८—२९०६]
मांग संख्या ५४—दिल्ली [पृष्ठ भाग २८६८—२९०६]
मांग संख्या ५५—पुलिस [पृष्ठ भाग २८६८—२९०६]
मांग संख्या ५६—जनगणना [पृष्ठ भाग २८६८—२९०६]
मांग संख्या ५७—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय [पृष्ठ भाग २८६८—२९०६]
मांग संख्या ५८—अण्डमान तथा नीकोबार द्वीप [पृष्ठ भाग २८६८—२९०६]
मांग संख्या १२६—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २८६८—२९०६]
मांग संख्या ८८—राज्य मंत्रालय [पृष्ठ भाग २८६८—२९०६]
मांग संख्या ८९—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते [पृष्ठ भाग २८६८—२९०६]
मांग संख्या ९०—कच्छ [पृष्ठ भाग २८६८—२९०६]
मांग संख्या ९१—बिलासपुर [पृष्ठ भाग २८६८—२९०६]
मांग संख्या ९२—मनीपुर [पृष्ठ भाग २८६८—२९०६]
मांग संख्या ९३—त्रिपुरा [पृष्ठ भाग २८६८—२९०६]
मांग संख्या ९४—राज्यों से सम्बंध [पृष्ठ भाग २८६८—२९०६]
मांग संख्या ९५—राज्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय [पृष्ठ भाग २८६८—२९०६]
मांग संख्या ६१—सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय [पृष्ठ भाग २९०६—२९४४]
मांग संख्या ६२—सिंचाई (कार्यवहन व्यय समेत) नौपरिवहन, बन्ध तथा जल निस्सारण योजनाएं (राजस्व से देय) [पृष्ठ भाग २९०६—२९४४]
मांग संख्या ६३—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाएं [पृष्ठ भाग २९०६—२९४४]
मांग संख्या ६४—सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के अधीन विविध व्यय [पृष्ठ भाग २९०६—२९४४]
मांग संख्या १२८—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २९०६—२९४४]
मांग संख्या १२९—सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २९०६—२९४४]

लोक सभा

मंगलवार, ६ अप्रैल, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

२. ४२ म० प०

सदन पटल पर रखे गये पत्र

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक-गवेषणा परिषद द्वितीय पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं सदन पटल पर औद्योगिक गवेषणा परिषद की द्वितीय पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन रखता हूं । नियमों के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् पुनर्विलोकन होता है ।यह पुनर्विलोकन प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की एक समिति द्वारा किया गया था जिस के सभापति श्री एल्फ्रेड एगर्सन थे । प्रतिवेदन की कुछ प्रतियां संसद पुस्तकालय में भेज दी गई हैं तथा सरकार समिति की सिफारशों पर विचार करेगी और अपना मत सदन पटल पर रक्खेगी [पुस्तकालय में रख दी गई **देखिए** संख्या एस० —१०६/५४]

भारत में फान्सीसी बस्तियों में आन्दोलन के सम्बन्ध में वकतव्य

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : सदन को विदत ही है कि १८ मार्च को पांडीचेरी की नगर-पालिकाओं में भारत के साथ विलय होने के संकल्प पास किये गए थे । कुछ दिनों बाद इसी प्रकार के संकल्प कारीकल की नगर-पालिकाओं द्वारा पास किये गये थे । इन संकल्पों के फ्रांसीसी भारत के कैसेसिलरों (जो मंत्री कहलाते हैं) तथा प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पूरा समर्थन प्राप्त था ।

इन नगर पालिकाओं ने जो वहां लगभग ९० प्रतिशत जनता का प्रतिनिधित्व करती है भारत में इन बस्तियों के तत्काल विलय की मांग की । उस के बाद वहां की सरकार का दमनचक्र प्रारम्भ हो गया । लोगों पर दवाब डाला गया । हम ने फ्रांस की सरकार का ध्यान इस लोकप्रिय आन्दोलन की ओर आकर्षित कर देते हुए पूर्वानुसार उसे फिर सुझाव दिया कि स्पष्ट मार्ग यह अख्तियार किया जाना चाहिए कि फ्रांस इन बस्तियों को वास्तविकता में अभी भारत को हस्तान्तरित कर दे, कानूनी हस्तान्तरण बाद को होता

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

रहेगा क्योंकि इस के लिये भारत तथा फ्रांस दोनों में संविधानिक परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी और उन पर हम बाद में चर्चा करके आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

फ्रांस की सरकार ने हमारे प्रस्ताव का अनुकूल उत्तर नहीं दिया और यही बात फिर से दोहराई कि फ्रांसीसी संविधान के अनुसार लोगों की मर्जी के बिना विलय नहीं हो सकता। जहां तक हमारा संबंध है लोगों की मर्जी पर्याप्त रूप से प्रकट हो चुकी है। उस के अतिरिक्त, यदि माननीय सदस्य किसी बड़े मानचित्र को देखें तो विदित होगा कि सारी बस्ती एक सम्पूर्ण एकक नहीं है, कहीं भारतीय क्षेत्र आगया है, कहीं फ्रांसीसी भारतीय क्षेत्र, और सारी चीज़ एक टेढामेढ़ा घिराव सा है। प्रशासी तथा राजनितिक दृष्टि कोण से भी यह ठीक नहीं है। फिर, आधार भूत रूप से भी हम भारत के किसी स्थान में फ्रांसीसी बस्तियों का होना स्वीकार नहीं कर सकते। फ्रांसीसी संविधान की अपेक्षा के लिये यही तथ्य काफी है कि लोक-मत ने स्पष्ट रूप से भारत में विलय के पक्ष में मत ज़ाहिर कर दिया है।

यह स्मरणीय है कि पांडीचेरी के अधिकारियों ने यह आरोप लगाया है कि कुछ राजद्रोही तत्व अनुचित प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं। ये राजद्रोही तत्व वे व्यक्ति हैं जो कुछ समय पूर्व, जनता द्वारा मंत्रियों, कौंसिलरों या मेम्बरों के रूप में चुने गये थे। वे कुछ काल पूर्व ही पर्याप्त उत्तरदायी थे, किन्तु बाद को क्योंकि उन्होंने अपनी समिति एक विशेष प्रकार से प्रकट की, भारत में विलय के पक्ष में मत दिया, उन्हें 'राजद्रोही तत्व' कहकर पुकारा गया।

जहां तक भारत सरकार का संबंध है वह अब भी फ्रांस की सरकार के साथ मामले को मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए शान्तिपूर्ण तरीकों को काम में लाने की आशा रखती है और अब तक लाती भी रही है। हम ने कुछ कदम उठाए हैं। उन में से एक कदम फ्रांसीसी पुलिस को भारतीय क्षेत्र में हो कर निकलने देने से रोकना है। हम उसे लोगों का दमन करने के लिये भारतीय भूमि से हो कर नहीं गुजरने दे सकते। इस के अतिरिक्त हम ने चोर-व्यापार को रोकने के लिए कुछ चौकियां स्थापित की हैं। किन्तु आवश्यक वस्तुओं को नहीं रोका गया है क्योंकि हम सामान्य आबादी पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते। केवल पेट्रोल की उपलब्धि कुछ दिनों से रोक दी गयी है क्यों कि हमें यह खबर मिली थी कि इस पेट्रोल के वितरण में बहुत भेद भाव से काम लिया जाता है, केवल उन्हें लोगों को पेट्रोल दिया जाता है जिन पर फ्रांसीसी सरकार की कृपा होती है। इस लिए हम ने पेट्रोल देना ही बन्द कर दिया। अन्यथा सब आवश्यक चीजें जा रही हैं।

एक चीज़ और। भारतीय क्षेत्र में इन बस्तियों से आने वाले लोगों के लिए हमने परमिट प्रणाली जारी कर दी है। माननीय सदस्यों को विदित ही है कि कुछ पृथक एककों ने फ्रांसीसी शासन से अपनी पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर दी है। मैं यह बिलकुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह आन्दोलन बिलकुल स्वभाविक और स्वयं-प्रेरित है और स्वभावतः ही हमारी इस से सहानुभूति है।

सदन को याद होगा कि एक मामला हुआ था। जिस में कि फ्रांसीसी पुलिस भारतीय सीमा क्षेत्र में घुस कर दो भारतीय जनों को और एक मेयर को पकड़ कर ले गयी। हम ने इस का घोर विरोध प्रकट किया था। दोनों भारतीय प्रजाजनों को तो छोड़ दिया गया

है किन्तु मेयर को अभी तक नहीं मुक्त किया गया है । हम ने उन पुलिस वालों को सजा देने को कहा है जिन्हों ने यह हरकत की थी लेकिन उन्हें कोई सज़ा भी नहीं दी गयी है । यह भी एक मुख्य कारण है जिस से हम ने फ्रांसीसी पुलिस को भारतीय क्षेत्र में आने को रोकने की कार्यवाही की ।

फ्रांस की सरकार ने भारत सरकार से पूछा कि क्या वह उन बस्तियों पर कब्ज़ा कर लेना चाहती है जहां जनता ने स्थानीय प्रशासन पर कब्ज़ा कर लिया है । भारत सरकार ने फ्रांस की सरकार को सूचित किया है कि हम इस बारे में एकांगी कार्यवाही नहीं करना चाहते । लेकिन फ्रांसीसी पुलिस के उधर जाने पर जो पाबन्दी लगी हुई है वह जारी रहनी चाहिए ।

भारतीय नागरिकों के विरुद्ध गुन्डागिरी के जो समाचार मिले हैं, उससे भारत सरकार बहुत चिंतित है । समाचार मिला है कि महा-वाणिज्य दूत के कार्यालय से संबंध पुस्तकालय और पांडीचेरी स्थित भारतीय प्रेस संवाद-दाताओं के मकानों पर हमले किये गए हैं । भारत सरकार इस विषय में जांच कर रही है और वह अपने हितों और अधिकारों की रक्षा के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

वहां होने वाली घटनाओं से स्पष्ट हो गया है कि जनमत लिए बिना ही भारत में तत्काल विलय की बात को जनता का पूरा समर्थन प्राप्त है । आंन्दोलन पूर्णतः स्वाभा-विक रूप में और ऐसे व्यक्तियों के नेतृत्व में हो रहा है, जो अब तक प्रशासन के उत्तर-दायी सदस्य थे । अन्य राजनितिक दलों और नेताओं ने भी इस लोकप्रिय आंदोलन को सहयोग देने की घोषणा की है । दमन द्वारा ऐसे आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता जो भारत का अंग बनने की लोगों की स्वा-भाविक इच्छा पर आश्रित है । फ्रांसीसी बस्तियों के निवासी महान् भारतीय परिवार के ही अंग हैं । आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य दृष्टियों से भारत के साथ उन के बड़े निकटतमसंबंध हैं । वह राजनितिक व्यवस्था जो उन्हें भारत से पृथक और एक विदेशी शासन के अधीन रखती है, भारत की जनता और सरकार को सर्वथा अमान्य है ।

भारत सरकार को आशा है कि यह व्यवस्था मैत्री पूर्वक आपसी समझौते से बदल दी जाएगी । यह बहुत दिन नहीं चल सकती क्योंकि जनता ने इस का अंत करने का पक्का इरादा कर लिया है । अतः भारत सरकार ने फ्रांस सरकार से पुनः अनुरोध किया है कि उस के अकटूबर १९५२ वाले सुझाव पर फिर विचार किया जाए । उस ने वे कारण बताए हैं, जो जनमत के प्रस्ताव को स्वीकार करने में उस के आड़े आ रहे हैं । सभी महत्वपूर्ण राजनितिक दलों ने सैधांतिक आधार पर इस प्रस्ताव को अस्वी-कार कर दिया है और फ्रांसीसी बस्तियों में आज स्थिति भी ऐसी है कि अबाध जनमत हो भी नहीं सकता । चूंकि लगभग ९० प्रतिशत जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जनता की इच्छा इतने स्पष्ट रूप में व्यक्त कर दी गई है, जनमत सर्वथा अनावश्यक है ।

भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोगों के सांस्कृतिक तथा अन्य अधिकारों का पूरा आदर किया जाएगा । वह फ्रांस की प्रभुसत्ता का कानूनी हस्तान्तरण तत्काल नहीं कराना चाहती । उसका सुझाव यह है कि प्रशासन का वास्तविक हस्तांतरण तुरंत कर दिया जाए और फ्रांसीसी प्रभुसत्ता सांविधानिक प्रश्नों का समाधान होने के समय तक बनी रहे । भारत और फ्रांस दोनों को ही अपने अपने संविधानों में तत्संबंधी परिवर्तन करने होंगे । इस में समय

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

लगेगा, जब कि जनता की मांग यह है कि जन मत के बिना तुरंत विलय कर दिया जाए। भारत सरकार का विचार है कि उन के द्वारा दिए गए सुझाव से समझौता होने में बहुत सहायता मिलेगी, जैसा वह चाहती है। इस आधार पर वह फ्रांस सरकार से प्रसन्नता-पूर्वक बात चीत चला सकेगी।

वक्तव्य

मैं सदन को फ्रांसीसी बस्तियों में होने वाली घटनाओं के बारे में बता चुका हूं। १८ मार्च को पांडीचेरी की आठ नगरपालिकाओं ने भारत के साथ तत्काल विलय की मांग करते हुए संकल्प पारित किए। कुछ दिन बाद कराईकल की ६ नगर पालिकाओं द्वारा भी वैसे संकल्प पारित किए गए। इन संकल्पों को फ्रांसीसी भारत के पारिषदों (जिन को मंत्री कहा जाता है) का तथा प्रतिनिधि-सभा का भी पूरा-पूरा समर्थन प्राप्त है।

२. इन संकल्पों को पारित करने वाली नगरपालिकाएं फ्रांसीसी बस्तियों के लगभग ९० प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्हों ने फ्रांसीसी सरकार से कहा कि जनता की इच्छा को कार्यान्वित करने के लिए तुरंत आवश्यक कार्यवाही की जाए। फ्रांस गणराज्य के सभापति, फ्रांसीसी मंत्रि-परिषद् के प्रमुख सदस्यों, राष्ट्रीय विधान सभा के अध्यक्ष तथा फ्रांस संघ की सीनेट और विधान सभा के पास तार भेजे गए हैं। इन तारों की प्रतिलिपियां मेरे पास भेजी गई थीं।

३. यह स्पष्ट है कि कि जनता का भारी बहुमत अपने चुने हुए प्रतिनिधियों और उत्तरदायी मंत्रियों के द्वारा इस लोकप्रिय मांग का समर्थन कर रहा है। मांग बिना जन मत लिए भारत के साथ तुरंत विलय हो जाने की है, क्योंकि भारत के साथ विलय के संबंध में जनता की इच्छा सर्वविदित है। मंत्रियों और चुने हुए प्रतिनिधियों को आशा थी कि फ्रांस सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। उन की आशाएं फलीभूत न हुई क्योंकि स्थानीय अधिकारियों ने संकल्पों की अवहेलना की और लोकप्रिय आंदोलन के विरुद्ध दमन नीति अपनाई।

४. मंत्रियों तथा अन्य लोगों को अपनी घोषणायें वापस ले लेने के लिए धमकियां दी गई। पांडीचेरी में गुंडागिरी की घटनाएं हुई और २० मार्च को गुंडों ने पी० टी० आई० के एक स्थानीय संवाददाता पर हमला किया। पांडीचेरी के विभिन्न भागों में पुलिस की टुकड़ियां भेजी गई और लोगों को चेतावनियां दी गई कि वे लोकप्रिय आंदोलन से अलग रहें।

५. भारत सरकार ने इन दमनात्मक कार्यवाहियों के विरुद्ध अपनी चिंता प्रकट की। स्थानीय अधिकारियों के पास एक कड़ा विरोध पत्र भेजा गया और उन को सूचित किया गया कि इन धमकियों आदि से भारत में बुरा प्रभाव पड़ेगा। भारत के पैरिस स्थित राजदूत ने वैसा ही एक अभ्यावेदन फ्रांस सरकार को दिया। फ्रांस सरकार को याद दिलाई गई कि फ्रांसीसी बस्तियों के भविष्य के प्रश्न पर कई वर्षों से इसी कारण कोई समझौता नहीं हो सका है कि उन्हें जनता की इच्छा के विषय में संदेह था। ये इच्छाएं अब विद्यमान परिस्थितियों में यथासंभव सर्वाधिक प्रभावी रूप में व्यक्त कर दी गई हैं।

६. भारत सरकार ने अक्टूबर १९५२ में एक सुझाव दिया था कि प्रशासन का सीधा हस्तान्तरण करके एक समझौते पर पहुंचा

जाए और संविधानिक तथा अन्य बातें बाद में बात चीत द्वारा सुलझा ली जाएं । फ्रांस की कानूनी प्रभुसत्ता आगे बात चीत हो ने तक बनी रहे, और प्रशासन भारतीयों को सौंप दिया जाए । राज दूत ने फ्रांस सरकार का ध्यान इस सुझाव की ओर आकर्षित किया और विलय के लिए की जाने वाली इस मांग का लाभ उठाकर मैत्रीपूर्ण समझौते पर पहुंचने की बात कही ।

७. फ्रान्स सरकार ने इस सुझाव पर स्वीकारात्मक उत्तर नहीं दिया । उस ने आरोप लगाए हैं कि भारत सरकार द्वारा कुछ ऐसे कार्य किये गए जिसे फ्रांसीसी बस्तियों के निवासियों को सामान्य आर्थिक जीवन बिताने में बाधा पहुंचे । उन का कहना है कि इन का लक्ष्य लोगों पर दबाव डालना है । फ्रांस की सरकार ने यह भी कहा है कि फ्रांस के संविधान के अधीन जनता की स्वीकृति के बिना फ्रांसीसी राज्य क्षेत्र का हस्तांतरण संभव नहीं है । अतः उन का प्रस्ताव है कि तुरंत बातचीत चलाई जाए कि फ्रांसीसी बस्तियों में जनमत लेने के लिए कैसी दशाएं होनी चाहिए ।

८. भारत सरकार को खेद है कि इस प्रश्न के शांतिपूर्ण तथा मैत्री पूर्ण निपटारे के लिए उन्होंने जो सुझाव दिया था, उसे अब तक नहीं माना गया है । उस ने बारंबार यह स्पष्ट कर दिया है कि उस ने जिन आर्थिक उपायों को अपनाया है, उन का लक्ष अपने न्यायोचित हितों की रक्षा करना है । उस का लक्ष चौर्य पणन तथा अन्य अवांछित कार्यवाहियों को रोकना है, जिन को स्थानीय प्रशासन के अजीब तरीकों और नीति से प्रोत्साहन मिलता है । इस सुझाव के लिए कोई आधार नहीं है कि लोगों पर दबाव डाला गया है । फ्रांसीसी बस्तियों के लिए बहुत से संभरण भारत से आते हैं और एक को छोड़ कर शेष सभी संभरणों को चालू रखा जा रहा है । भारत सरकार ने भी यह बात बराबर कही है कि फ्रांसीसी बस्तियों में विद्यमान परिस्थितियों में जनमत नहीं लिया जा सकता । १९५१ से ये परिस्थितियां बिगड़ती ही गई हैं , जब फ्रांस सरकार द्वारा नियुक्त किए गए निष्पक्ष प्रेक्षकों ने भी यही विचार व्यक्त किया था ।

९. पिछले कुछ दिनों से स्थानीय प्रशासन की दमन कार्यवाहियों के होते हुए यह आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है । आंदोलन २८ मार्च को शुरू किया गया था और तब से कराईकल और पांडिचेरी के भागों में प्रायः प्रति दिन जलूस निकाले जा रहे हैं और सभाएं हो रही हैं । विलय आंदोलन के कुछ समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य लोग पुलिस की हिंसा के लक्ष्य बने हैं । आंदोलन शांतिपूर्वक चलाया गया है और पांडिचेरी के पश्चिमी क्षेत्रों में जैसे नेत्तापक्कम में और बाहौर के भागों में प्रभावी शक्ति विलय समर्थक दलों के हाथ में आ गई है । समाचार पत्रों के वृत्तांतों के अनुसार स्थानीय पुलिस उन से मिल गई है और उन्होंने सार्वजनिक भवनों पर भारतीय झंडा फरा दिया है और भारत का अंग बनने की अपनी इच्छा प्रकट कर दी है । उन्हों ने फ्रांस सरकार से फिर कहा है कि वह जनमत के बिना ही फ्रांसीसी बस्तियों का भारत संघ के साथ विलय करने के लिये तुरंत कार्यवाही करे ।

१०. स्थानीय प्रशासन की दमन कार्य वाहियों की दृष्टि में भारत सरकार को अपने हितों की रक्षा करने के लिए कुछ पग उठाने के लिए विवश होना पड़ा है । कुछ दिन पहले फ्रांसीसी पुलिस ने भारतीय सीमा का उल्लंघन किया था और दो भारतीय नागरिकों को और पांडिचेरी के जिलों (कम्यूनों) के मेयर को, जो भारतीय सीमा में शरण ले रहे थे,

[श्री जवाहरलाल नहरू]

पकड़ ले गई थी। सीमा पर रहने वाले भारतीय नागरिकों को दबाने और धमकी देने की एक घटना और हुई थी। भारत सरकार ने इन घटनाओं के बारे में एक कड़ा विरोध पत्र भेजा और मांग की कि अवैध रूप में पकड़े गए तीनों व्यक्तियों को छोड़ कर तुरंत भारतीय राज्य क्षेत्र में पहुंचा दिया जाए। उस ने संबंधित फ्रांसीसी अधिकारियों को दंड देने और भविष्य के लिए कुछ आश्वासन देने की भी मांग की। उस की मांग पूरी नहीं हुई है, और ऐसी घटनाओं को फिर न होने के लिए उस ने कुछ पूर्वोपाय अपनाए हैं। अपनाए गए उपायों में एक यह भी है कि फ्रांसीसी पुलिस का भारतीय राज्य-क्षेत्र से हो कर फ्रांसीसी बस्ती के किसी भाग में जाना बिलकुल बंद कर दिया जाए।

११. भारत सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है कि फ्रांसीसी बस्तियों के किसी भाग का नियंत्रण एक पक्षीय रूप से अपने हाथ में ले ले। पर वह एक लोकप्रिय आन्दोलन को दबाने के लिए फ्रांसीसी पुलिस को भारतीय राज्य क्षेत्र का उपयोग नहीं करने देगी। इस से भारत में बुरा प्रभाव पड़ेगा, अतः जब तक वर्तमान तनाव चलता रहेगा, यह प्रतिबंध लागू रखना पड़ेगा। यह केवल भारतीय नागरिकों के ही हित में नहीं, बल्कि फ्रांसीसी पुलिस के हित में भी लगाया गया है। भारत सरकार की फ्रांसीसी बस्तियों के सामान्य प्रशासन में हस्तक्षेप करने की कोई इच्छा नहीं है, भले ही वह अपनाए जाने वाले उपायों के घोर विरोध में हो। अतः उस के द्वारा लगाया गया प्रतिबंध पुलिस के ही बारे में है। प्रशासन के अन्य अधिकारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता है।

१२. भारत सरकार को दूसरी कार्यवाही करनी पड़ी है, वह यह कि भारत से फ्रांसीसी बस्तियों को पैट्रोल के संभरण पर रोक लगा दी गई है। पैट्रोल तथा अन्य अत्यावश्यक संभरण अब तक अबाध रूप में जाते रहे, पर अब भारत सरकार को पता चला है कि पैट्रोल की बिक्री के बारे में स्थानीय प्रशासन कुछ भेद भाव कर रहा है। बिक्रेताओं से कहा गया है कि विलय-आंदोलन के समर्थकों को पैट्रोल न बेचा जाए। यदि पदार्थों का वितरण स्थानीय प्रशासन के समर्थकों तक ही सीमित रखा जाता है तो भारत सरकार उस दशा में फ्रांसीसी बस्तियों को उन पदार्थों के निर्यात की अनुमति नहीं दे सकती। उस ने पैट्रोल का सम्भरण बंद कर दिया है और वह सभी मामलों में इस सिद्धांत का कड़ाई के साथ प्रयोग करना चाहती है।

१३. भारत सरकार ने स्थानीय प्रशासन को यह भी सूचना दे दी है कि वह १९ अप्रैल से पांडिचेरी और कराईकल के बीच यातायात का नियमन करने के लिए आज्ञा-पत्र प्रणाली लागू करना चाहती है।

उन्हें यह पग वाध्य हो कर उठाना पड़ा है। यह केवल चोरी से माल लाने व लेजाने पर, जो की गई कार्यवाहीयों के बावजूद भी बंद नहीं हुआ है, प्रतिबंध के रूप में ही नहीं, अपितु आवांछनीय व्यक्तियों को भारत में स्वतन्त्रतापूर्ण आने से रोकने की दृष्टि से उठाया गया है। यदि स्थानीय प्रशासन का दमन कार्य चलता रहता है तथा विधि-विरोधी व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो फ्रांसीसी बस्तियों की हालत और भी अधिक बिगड़ जायेगी। अब उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों की दृष्टि से भारत सरकार यह आवशयक समझती है कि पांडिचेरी तथा कराईकल से भारत आने वाले व्यक्तियों को रोका जाये। साधारणतया,

भारत आने के लिये एक ओर की यात्रा का प्रवेष-पत्र दिया जायेगा परन्तु महा-वाणिज्यदूत को विशेष मामलों में बहु यात्रा प्रवेष-पत्र देने का अधिकार होगा। उसे अपनी इच्छानुसार प्रवेशपत्र के लिये मना करने की भी पूर्ण स्वतन्त्रता होगी।

१४. भारतीय नागरिकों के विरूद्ध गुन्डागर्दी की कार्यवाहियों की जो सूचनायें मिली हैं उन से भारत सरकार परेशान होती है। महा-वाणिज्य दूतालय के पुस्तकालय तथा पांडिचेरी में भारतीय पत्र-कारों के मकानों पर आक्रमण होने की भी सूचनायें मिली हैं। भारत सरकार इस मामले की जांच कर रही है तथा वे उन के अधिकारों तथा हितों की रक्षा के लिये आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

१५. घटनाओं से, जो हो रही हैं, यह स्पष्ट है कि जनमत संग्रह के बिना भारत में तत्काल विलय की मांग को जनता का सामान्य समर्थन प्राप्त है। आन्दोलन पूर्णतया स्वयं स्फूर्त है तथा इस की आगवाई वे व्यक्ति कर रहे हैं जो पिछले दिनों तक प्रशासन के उत्तरदायी सदस्य थे। अन्य राजनीति दलों तथा नेताओं ने भी इस सर्व-व्यापक आन्दोलन का समर्थन करने की घोषणा की है। दमन उस आन्दोलन को समाप्त नहीं कर सकता जो लोगों की भारत का अंग बनने की स्वभाविक इच्छा पर आधारित है। फ्रांसीसी बस्तियों के लोग वृहत भारतीय परिवार का एक अंग हैं। आर्थिक दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से तथा अन्य मामलों में उन का भारत से अत्याधिक गहरा संबंध है। एक राजनीतिक प्रणाली, जो उन्हें भारत से पृथक रखती है, तथा विदेशी शासन के अधीन रखती है, उन्हें तथा भारत की सरकार व जनता को पूर्णतया अस्वीकार्य है।

१६. भारत सरकार को आशा है कि यह प्रणाली मैत्रीपूर्ण ढंग से शान्तिपूर्वक बदली जायेगी। किसी भी परिस्थिति में यह अधिक समय तक नहीं चल सकती क्योंकि जनता ने इसे समाप्त करने की अपनी दृढ़ इच्छा व्यक्त कर दी है। अतः भारत सरकार ने फ्रांस की सरकार से पुनः निवेदन किया है कि वह उन के अक्टूबर १९५२ वाले सुझाव पर विचार करे। उन्होंने वे कारण बता दिये हैं जो उन्हें जनमत संग्रह का प्रस्ताव स्वीकार करने से रोकते हैं। सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों ने यह प्रस्ताव सिद्धान्त के आधार पर तथा इस कारण भी अस्वीकार किया है कि फ्रांसीसी बस्तियों में परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोई भी स्वतन्त्र जनमत संग्रह नहीं हो सकता है। क्योंकि लगभग ९० प्रतिशत जन संख्या के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जनता की इच्छायें स्पष्ट हो गई हैं। किसी भी हालत में जनमत संग्रह अनावश्यक है।

१७. भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोगों के सांस्कृतिक तथा अन्य अधिकारों को पूर्ण सम्मान दिया जायेगा। वे फ्रांस की वैधानिक प्रभुत्व के तत्काल ही हस्तान्तरण की मांग नहीं कर रहे हैं उन का सुझाव यह है कि प्रशासन का यथार्थ हस्तांतरण तत्काल ही हो जाना चाहिये, जब कि फ्रांसीसी प्रभुत्व को वैद्यानिक प्रश्न का निर्णय होने तक रहने दिया जाये। भारत तथा फ्रांस दोनों को ही अपने अपने संविधानों में आवश्यक परिवर्तन करने होंगे। इस सब में समय लगेगा जबकि जनता की मांग जनमत संग्रह के बिना तत्काल ही विलय की है। भारत सरकार को विश्वास है कि उन्हों ने जो सुझाव दिया है उस से निर्णय होने में सहायता मिलेगी, जिस के कि वे बड़े इच्छुक हैं। वे प्रस्ताविक आधार पर फ्रांस की सरकार से सहर्ष वार्ता करेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

(१) इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० द्वारा उत्पादित इस्पात के उचित धारण मूल्यों पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का २५ मार्च १९५४ का संकल्प संख्या एस० सी० (ए) २ (८९)/५२ ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : श्रीमान्, मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम '१९५१' की धारा ४१६ की उप धारा (२) के अन्तर्गत निम्न पत्रों में से प्रत्येक की एक प्रति पटल रखता हू, अर्थात :–

(१) इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० द्वारा उत्पादित इस्पात के उचित धारण मूल्यों पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन ।

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का २५ मार्च १९५४ का संकल्प संख्या एस० सी० (ए) २ (८९)/५२ ।

[पुस्तकालय में रखे गये **देखिये** संख्या एस–१०७।५४]

सदस्यों के वेतन तथा भत्ते व क्षिप्त पदनाम संबंधी संयुक्त समिति के लिये नाम निर्देशन

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचना देनी है कि मैंने संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते व संक्षिप्त पदनाम संबंधी संयुक्त समिति में डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु, तथा श्री अमोलक चन्द के कार्य से निवृति ले लेने के कारण रिक्त हुये स्थानों पर कार्य करने के लिये लोक सभा के श्री एन० सी० चटर्जी तथा राज्य परिषद के दीवान चमन लाल को नाम निर्देशित किया है ।

राज्य परिषद के सभापति ने संयुक्त समिति में दीवान चमन लाल की नियुक्ति स्वीकार कर ली है ।

---

*अनुदान की मांगें क्रमशः

अध्यक्ष महोदय : अब सदन गृह-कार्य तथा राज्य मंत्रालयों के अनुदानों की मांगों पर आगे विचार करेगा । मैं मांगों पर ५ बजे मत लूंगा । क्योंकि गृहकार्य तथा राज्य मंत्री को वाद-विवाद का उत्तर देने में पैंतालीस मिंट लगेंगे, अतः मैं उन्हें- सवा चार बजे पुकारूंगा ।

इस के बाद मध्यान्ह पश्चात ५ बजे से ७ बजे तक सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय की मांगों पर विचार होगा ।

श्री एन० राचय्या (मैसूर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : श्रीमान, मैं बता रहा था कि अनुच्छेद संख्या ३३५ को संविधान में सम्मिलित करने का उद्देश्य यह था कि, केन्द्र तथा राज्यों में, प्रशासन की समस्त शाखाओं में अनुसूचित जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाये । परन्तु किसी भी उपबंध की परीक्षा उस के निर्वचन पर निर्भर है । अतः मैं माननीय उपमंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह अनुच्छेद ३३५ का निर्वचन इस ढंग से करें जिस से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को देश के प्रशासन में विशेष रक्षा प्राप्त हो ।

गृहकार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार ५ करोड़ से अधिक अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये केवल ५० लाख रु० की व्यवस्था की गई है । पुनर्वास मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार ७९ लाख विस्थापित

*राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत की गई ।

व्यक्तियों पर अब तक २०१.०२ करोड़ रुपये हो चुके हैं तथा ३०.४४ करोड़ रुपये की इस वर्ष व्यवस्था की गई है। गृहकार्य मंत्रालय एक बहुत बड़ा विभाग है तथा इस के हाथ में काम भी बहुत है तथा इस प्रकार अनुसूचित जाति की समस्या पर गृहकार्य मंत्रालय उचित रूप से विचार नहीं करेगा और न वह कर सकता है। इस लिये मैं सुझाव देता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान का कार्य एक भिन्न मंत्रालय को दे दिया जाये, ताकि यह निश्चित काल में हो सके।

अन्य प्रश्न पर आते हुए मुझे यह खेदपूर्ण कहना पड़ता है कि किसी भी मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई किसी भी समिति में अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। यद्यपि यहां लगभग सौ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्य हैं तथा बहुत से भूतपूर्व मंत्री व अनुभवी विधि निर्माता हैं, परन्तु कोई भी मंत्रालय उन्हें किसी भी संस्था में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने पर ध्यान नहीं देता है। यदि माननीय उपमंत्री की कल की यह बात ठीक है कि इन जातियों का दमन किया गया है तो या तो उन्हें यह स्वीकार करना चाहिये कि हम किसी भी अन्य जाति की अपेक्षा गिरे नहीं हैं तथा हमें जीवन के प्रत्येक पहलू तथा प्रशासन में समान प्रतिनिधित्व दो। अथवा, यदि हम वास्तव में पिछड़े हुये हैं तो कम से कम ५० करोड़ रुपये प्रति वर्ष अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये दिये जाने चाहियें। तब ही हमें इस अस्पृश्यता से छुटकारा मिलेगा। इस के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों के कल्याण तथा उत्थान के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की देख भाल व पथ प्रदर्शनी करने तथा उन्हें मन्त्रणा देने के लिये एक केन्द्रीय समिति होनी चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

उपमंत्री ने मैसूर सरकार को इस कार्य के लिये केवल दो लाख रूपये के नियतन के प्रसंग में कहा था कि वे उस में से आधे धन का ही प्रयोग नहीं कर सके क्या समस्या को सुलझाने का यही ढंग है। अथवा यदि सरकार इस समस्या को सुलझाना नहीं चाहती है, तो उन्हें संविधान में यह संशोधन करना चाहिये कि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सहायता करना नहीं चाहते हैं। तब हम अपना कोई उपाय निकालेंगे। "न्याय में विलम्ब करना सदैव ही न्याय न करना माना जाता है। और जहां इच्छा होती है, वहां उपाय निकल ही आता है।"

मैसूर राज्य के प्रश्न पर आते हुए मैं यह कहूंगा कि श्री रेड्डी की सरकार ने, अन्तरिम कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ किया। उन्हों ने एक पृथक् विभाग बनाया, अनुसूचित जाति से दो प्रादेशिक अधिकारी तथा इकासी राजस्व निरीक्षक नियुक्त किये। गृह निर्माण अनुदान को ७ लाख से बढ़ा कर १९ लाख किया तथा मैसूर राज्य में हरिजनों की प्रगति पर दृष्टि रखने के लिये कुछ समितियां नियुक्त कीं। उन्हों ने हरिजन मंदिर प्रवेश अधिनियम भी बनाया। परन्तु वर्तमान सरकार दी गई सुविधाओं को समाप्त कर रही है तथा पदों पर नियुक्त हरिजन व्यक्तियों को पदों से हटा रही है। क्या हम ऐसी सरकार से अपने उद्धार की आशा कर सकते हैं? मैसूर राज्य में व्यापक कारण यह है कि सरकार निर्धनों की भलाई के लिये कार्य नहीं कर रही है। अतः मैं गृहकार्य मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि वे इस मामले की जांच करें। मझे ग़लत

[श्री एन० राचय्या]

न समझें । मैं कांग्रेस के पक्ष में हूं तथा चाहता हूं कांग्रेस सरकार सैंकड़ों वर्षों तक रहे और हमारे व्यक्तियों का वे लोग शोषण न कर सके जो केवल बातें बनाते हैं ।

रानडे तथा गोखले कहा करते थे कि देश के लिये राजकीय सुधारों की अपेक्षा सामाजिक सुधार अधिक महत्व रखते हैं । हमारे देश में अनिवार्य शिक्षा, संपूर्ण मद्यनिषेध, भूमि सुधार आदि कार्य-क्रमों से हरिजनों की उन्नति की जा सकती है। किन्तु आज का मंत्री मंडल यह करना नहीं चाहता । मैं आशा करता हूं कि इस सारी समस्या पर विचार करने के लिये तत्काल एक समिति नियुक्त की जायेगी । हमारे संविधान में तो अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है किन्तु अब चार साल बीत चुके हैं और लोगों को आशंका होने लगी है । इन आशंकाओं को हटाने के लिए संविधान में दिये गये प्रबन्ध उचित रूप से कार्यान्वित किये जाने चाहिये । राम-राज्य, स्वराज्य तथा लोक-कल्याण राज्य के हित में इस राष्ट्रीय समस्या का हल होना चाहिये ।

श्री आनंदचन्द (बिलासपुर) : मैं ने राज्य मंत्रालय की मांगों के बारे में तीन कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जिन में से एक भाग 'ग' राज्यों के शासन पर राज्य मंत्रालय के नियंत्रण पर आधारित है । किन्तु अब यह प्रकट हुआ है कि विधि एवं व्यवस्था विषयक तथा कुछ राजकीय एवं वैयक्तिक मामलों को छोड़ कर, भाग 'ग' राज्यों के अन्य प्रशासनिक मामलों के बारे में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों से सीधा संपर्क रखा जा सकेगा, सारा पत्र व्यवहार राज्य मंत्रालय के द्वारा नहीं करना पड़ेगा, इस लिए इस विषय पर बोल कर मैं सभा का समय लेना नहीं चाहता ।

मुझे और दो विषयों के बारे मे कुछ कहना है । बिलासपुर के प्रशासन तथा बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश में विलय के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है ।

१९५३-५४ के प्रतिवेदन में बिलासपुर के प्रशासन के बारे में, यद्यपि वह केन्द्र द्वारा प्रशासित भाग 'ग' राज्य है, कोई भी उल्लेख नही है । हमें यह जानने का अधिकार है कि बिलासपुर के लिये दिया गया अनुदान किस प्रकार खर्च हुआ ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): पृष्ठ ३० तथा ३१ में बिलासपुर का उल्लेख है ।

श्री आनन्दचन्द : वह तो बिलासपुर के भविष्य के संबंध में है । मैं १९५३-५४ में बिलास पुर के प्रशासन की बात कह रहा था ।

डा० काटजू : क्षमा कीजिये ।

श्री आनन्दचन्द : अब मैं माननीय मंत्री द्वारा उल्लिखित बिलासपुर के भविष्य का निर्देश करूंगा । १९५३-५४ में हम ने बिलासपुर के प्रशासन का भार एक मुख्य आयुक्त को सौंपा था । वह एक पंजाबी असैनिक व्यक्ति थे । वे वहां चार या पांच वर्षों से थे और उन्हें वहां से हटाने की मांग निरंतर की जा रही थी । गत अक्टूबर के अन्त में उन्हें उस पद से हटाया गया और हिमाचल प्रदेश के लेफ्टनंट गवर्नर को बिलासपुर के मुख्य आयुक्त के पद का भार भी सौंपा गया । इन दो राज्यों के एकीकरण के लिए संसद् की स्वीकृति आवश्यक है । किन्तु यह खेद की बात है कि इस स्वीकृति की आशा में पहले ही यह प्रशासनीय एकीकरण कर दिया गया है । मैं नहीं जानता कि यह कहां तक उचित है। संविधान के अनुच्छेद २३९

के उपबन्धों के अनुसार भाग 'ग' की जनता की सहमति बिना किसी पड़ोसी राज्य की सरकार सम्बन्धित भाग 'ग' राज्य का शासन नहीं चला सकती । इस एकीकरण के लिए हमारी सम्मति कभी नहीं ली गई थी । बिलासपुर का सचिवालय शिमले चला गया, हिमाचल प्रदेश के विभाग-प्रमुखबिलासपुर के विभाग प्रमुख बन गये, लेकिन वैधानिक तौर पर बिलासपुर अब भी एक भाग 'ग' राज्य है ।

केवल इतना ही नहीं । अब बिलासपुर में एक उपायुक्त नियुक्त किया गया । इस एक ही व्यक्ति को दस विभिन्न विभाग संभालने पड़ते हैं । इस के परिणाम स्वरूप प्रशासन में अक्षमता आ गयी है । गत तीन या चार महीनों से वहां का प्रशासन बहुत शिथिल बन गया है । विकास तथा सुधार की कई योजनाएं स्थगित हुई हैं । १९५३-५४ के वित्तीय वर्ष के लिए बिलासपुर को ५० लाख से अधिक रुपये आवंटित किये गये थे जिन में से १६ लाख रुपए वापिस करने पड़े ।

बिलासपुर के विलय से सम्बन्धित एक विधेयक इस समय राज्य परिषद के विचाराधीन है । यथा समय लोक-सभा में भी उस की चर्चा होगी । इस लिए मैं अभी उस के बारे में अधिक कुछ कहना नहीं चाहता किन्तु संक्षेप में उस की पृष्टभूमि बता देना चाहता हूं ।

१९५२ में पंजाब, पेप्सू, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में राज्य मंत्रालय द्वारा इस एकीकरण के बारे में निर्णय लिया गया कि भाखड़ा-नंगल परियोजना के लिए एक संविहित प्राधिकार स्थापित किये जाने के बाद बिलासपुर का स्वतंत्र शासन अनावश्यक बन जायेगा । क्योंकि वह एक छोटा एकक है , और इस लिए उस हिमाचल प्रदेश में विलीन कर दिया जाएगा । यह निर्णय १९५२ में लिया गया था । जहां तक मुझे विदित है , १९५३ तक इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई । १९५३ में माननीय सिंचाई तथा विद्यत मंत्री को भाखड़ा-नंगल के लिए संविहित प्राधिकार के निर्माण के संबंध में इस सभा में प्रश्न पूछा गया था । इस के उत्तर में बताया गया था कि ऐसा कोई प्राधिकार बनाया नहीं है और न बनाने का विचार है । सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय की मांगों के सिलसिले में मैं ने आपकी अनुमति से एक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया । उस पर चर्चा करते समय मैं आप को बता सकूंगा कि इस भाखड़ा तथा नंगल परियोजना के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है तथा संविहित प्राधिकार स्थापित करने के प्रस्ताव की पीठ पर वास्तव में विचार किया था । यहां तो मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि गत वर्ष भारत सरकार ने एक नया निश्चय किया जो कि रिपोर्ट के पृष्ठ ३१ पर दिया गया है । इस में कहा गया कि यह बात वांछनीय अथवा आवश्यक समझी गई कि इस अधिकार की स्थापना के समय तक प्रतीक्षा न की जाये तथा यह अच्छी बात होगी यदि बिलीनिकरण के लिए कार्यावाही की जाये । यहां मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिलासपुर राज्य के एक अलग इकाई के रूप में रखने का कारण भाखड़ा बांध का निर्माण तथा उजड़े हुए व्यक्तियों को फिर से बसाने का प्रश्न था । भाखड़ा बांध के निर्माण का प्रश्न तथा पुनर्वास की समस्या अभी भी हल नहीं की गई है । इस सम्बंध में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया । इस वर्ष शीत काल में जब से पक्के बांध का निर्माण कार्य शुरू होगा तब से पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होगी ।

[श्री आनंदचंद]

१७ हजार व्यक्तियों को पुनः स्थापित करना होगा । मेरे विचार में उस के लिए व्यवस्था किये बिना ही दोनों राज्यों को मिला देना समय से पूर्व की बात होगी ।

विधेयक के खंड ३१ में कहा गया है कि इन दो राज्यों के एक दूसरे के साथ मिल जाने के बावजूद केन्द्रीय सरकार भाखड़ा-नंगल परियोजना के सम्बन्ध में अनुदेश दे सकेगी । मेरे विचार में यह एक अनावश्यक तथा फालतू खंड है क्योंकि संविधान में इस आशय का उपबन्ध पहले ही विद्यमान है ।

राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया है । हमें मालूम है कि छोटे छोटे राज्यों को बड़ी बड़ी इकाइयों के साथ मिलाना ही पड़ेगा । इस आयोग के भारत संघ की प्रत्येक इकाई के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है । ऐसी दशा में बिलासपुर के भविष्य का एक विशिष्ट तरीके से फैसला करने की आवश्यकता क्या थी । वहां की जनता को अपनी राय प्रकट करने का मौका दिया जाना चाहिये था । जब आबू-सराय कल्ला तथा खारस्वान से सम्बन्धित सीमा के झगड़े इस आयोग को सौंपे गए हैं तो कोई कारण नहीं कि बिलासपुर का मामला क्यों न उस आयोग को सौंपा जाता ।

हिमाचल प्रदेश ने इस विवाद के सम्बन्ध में जो रवैया अपनाया है वह मेरे विचार में सही नहीं । यदि आज बिलासपुर को आत्म-निर्णय के अधिकार से वंचित किया जाता है तो कल को हिमाचल प्रदेश भी इस अधिकार से वंचित रह जायेगा । फिर तो यह एक सिद्धान्त बन जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष को, वहां के लोगों की राय जाने बिना ही, दूसरे राज्य के साथ ही मिला दिया जाय । यह एक ग़लत तरीका है तथा यदि इसे जारी रखने दिया जाय तो इस से न केवल जनता में निराशा फैल जायेगी, अपितु लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचेगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरु) : श्रीमान, मैं हरिजन कल्याण की समस्या की ओर सदन का तथा विशेषकर माननीय गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं । प्राप्त समाचारों से पता चलता है कि किसी तरह से उन की शोचनीय दशा में कोई भी फर्क नहीं आया है । पेप्सू में यह हाल है कि उन का आर्थिक तथा सामाजिक रूप से बायकाट किया जा रहा है । इस के अलावा उन की मार पीट तथा उन की स्त्रियों की बेइज्जती की जाती है, कारण यह कि उन्हों ने निर्वाचन में एक पक्ष विशेष को अपने वोट दिये । राजस्थान में इस समस्या ने इतना विकट रूप धारण किया कि एक मंत्री को मंत्रिमंडल से अपना त्यागपत्र देना पड़ा । यह स्थिति केवल पेप्सु तथा राजस्थान ही में नहीं अपितु सारे भारत में है । ब्रिटिश राज में गांधी जी ने इन के सुधार के लिए आवाज़ उठाई परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस सरकार ने इन लोगों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया और न उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए कोई कार्यवाही की । शरणार्थियों के पुनर्वास पर ३२० करोड़ रूपया खर्च किया गया । परन्तु इन लोगों पर जो कि सदियों से शरणार्थी चले आ रहे हैं, कुछ खर्च नहीं किया गया है । आप इस समस्या का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं ? गृह-कार्य मंत्री को इसकी अपेक्षा पुलिस की राज्यों की तथा निवारक निरोध अधिनियम की अधिक चिन्ता लगी है । मैं उन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस समस्या को हल करने के लिए तन मन धन लगाएं ।

हरिजनों ने कई बार यहां का धर्म बचाया है, यहां की संस्कृति बचाई है तथा

स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया है। अंग्रेज उसे खरीद न सका। परन्तु उस के बदले में आप आज उस के लिए क्या कर रहे हैं ?

मंत्री जी का ध्यान मैं एक और विषय की ओर भी दिलाना चाहता हूं। निर्वाचन क्षेत्रों में बहुत से परिवर्तन किये जा रहे हैं तथा हरिजनों को कई जगहों पर रक्षित स्थानों की सुविधा से वंचित रखा जारहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हरिजनों के लिए अब कोई स्थान रक्षित नहीं रखा गया है तथा इस का कारण यह प्रतीत होता है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जनरल सीट के लिए भी हरिजन ही निर्वाचित हुआ। क्या इस बात के लिए उन्हें अपने अधिकार से वंचित रखना उचित है।

श्री ए० एम० टामस (ऐराणाकुलम) : श्रीमान, माननीय सदस्य परिसीमन आयोग के एक निश्चय की ओर निर्देश कर रहे हैं। क्या इस सम्बन्ध में यहां चर्चा की जा सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : निर्वाचन आयोग ने आन्ध्र के सम्बन्ध में अभी अपना काम समाप्त नहीं किया है। अतः उन की प्रस्थापनाओं पर यहां चर्चा उचित नहीं। और तो और अधिनियम के अन्तर्गत उन पर यहां चर्चा करना बेकार ही है।

श्री बी० एस० मूर्ति : मुझे आप का निर्णय स्वीकार है।

संविधान के अनुच्छेद ४६ में हरिजनों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों के सुधार की बात कही गई है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस निदेशात्मक सिद्धान्त को कार्यरूप देने के लिए क्या कुछ किया है। अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित कमिश्नर की रिपोर्टों से काम नहीं चलेगा। जैसे कि मेरे मित्र श्री राघय्या ने बताया, आयोगों, समितियों तथा नियुक्तियों के सम्बन्ध में हरिजनों की उपेक्षा की गई। हमें बताया जाता है कि हम धैर्य्य से काम लें। आखिर, हम कहां तक धैर्य्य करें ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह समस्या हल न की गई तो न केवल हिन्दू समाज का अंग भंग हो, अपितु देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जायेगी।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक-मध्य) : श्रीमान, कल सदन बहुत देर तक ईसाई धर्म प्रचारकों की समस्या पर चर्चा करता रहा। डा० कृष्णस्वामी ने भी उन के काम की सराहना करने में काफी समय लिया यद्यपि वह बार बार यह भी कहते गए कि वह किसी की वकालत नहीं कर रहे हैं। ईसाई धर्मप्रचारकों ने विशेषकर पिछड़े हुये क्षेत्रों में जो काम किया है हम उस की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। परन्तु जहां वह सीमाओं का उल्लन्घन करके बहुसंख्यकों के धर्म पर उचित अनुचित रूप से प्रहार करते रहे तथा वस्तु स्थिति का अनुचित फायदा उठाये वहां तो सरकार को हस्तक्षेप करना ही होगा। अभी क्रिसमस के दिनों में उन्होंने मेरे जिले में तथा पास के एक जिले में कोई समारोह किया। उस में कोई रचनात्मक कायक्रम नहीं था, केवल हिन्दुओं को वह दूसरों की नज़रों में गिराने का प्रयत्न करते रहे। इन की इस तरह की गतिविधियों को रोकना होगा।

अनुसूचित आदिम जातियों की हालत खराब है। यह लोग दूर दूर इलाकों में बिखरे हुए हैं इन का सुधार उसी दशा में हो सकता है जब कि उन्हें एकत्र कर के देहातों में बसाया जाय। केवल ऐसा करने से ही उन्हें शिक्षा

[श्री जी० एच० देशपांडे

सम्बन्धी, चिकित्सा सम्बन्धी, सुविधायें आदि दी जा सकती हैं। जब तक वह बिखरे हुए हैं जब तक उन पर कोई धन खर्च करना बेकार है। हमें इस सम्बन्ध में एक नियमित योजना बना कर काम करना होगा। अनुसूचित जातियों के सुधार के लिए जो कुछ किया गया है, हम उस की सराहना करते हैं। किन्तु जो कुछ किया गया है, उतना ही काफी नहीं है। कुछ समय पहले हम ने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि मैसूर में दसहरे के दिनों में कुश्ती का खेल हुआ था जिस में हरिजन उम्मीदवारों ने भी भाग लेना चाहा था। उन्हें इस में भाग न लेने दिया गया क्योंकि वह जन्मजात हरिजन थे। इस पर दंगा हुआ तथा पुलिस को गोली चलानी पड़ी। यह अफसोसनाक बात है कि इस तरह की बातें अभी भी हुआ करती हैं। पांडवों के ज़माने में ऐसा हुआ करता था, परन्तु यदि हम अब इस भावना का उन्मूलन न करेंगे तो लोकतंत्र को खतरा पहुंचने का भय है।

गांधी जी कहा करते थे कि जब तक भारत में छुआछात विद्यमान है तब तक हम स्वराज्य के पात्र नहीं। परन्तु स्वराज्य की प्राप्ति के बाद भी यह कलंक यहां से नहीं गया है। जो राज्य सामंतशाही, एकतंत्र तथा पुरातनपंथियों के गढ़ रहे हैं वहां हालात और भी खराब हैं। वहां सुधार के लिए प्रगतिशील उपाय किये जाने चाहिये।

राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया है। मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि कुछ माननीय सदस्य इस का विरोध करते हुए कहते हैं कि इस से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जायगी। उन्हें इस सिलसिले में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जो लोग राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष में हैं, वह उन लोगों से कुछ कम देशभक्त नहीं हैं। हैदराबाद की लगभग शत प्रतिशत जनता उस राज्य का विघटन चाहती है। हमें पूर्व स्थिति को यथावत् रख कर प्रतिक्रियावादी नहीं बनना चाहिये। भारत सरकार ने जो आयोग नियुक्त किया है वह इस समस्या को हल करने के लिए नियुक्त किया गया है, न कि इसे उपस्थगित करने के लिए। जो इस काम को उपस्थगित करने के लिए प्रचार कर रहे हैं वह देश का अहित कर रहे हैं। हर व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह इस आयोग को अपना सहयोग दे, तथा इस समस्या को हल करवाये।

पिछले वर्ष में देश में शान्ति तथा व्यवस्था संतोषजनक रही है, किन्तु फिर भी कुछ समाज-विरोधी तत्व बड़े बड़े नगरों में छिपा हुआ है जोकि समय समय पर अनावश्यक रूप से गड़बड़ फैलाता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह उन से सावधान रहे। अन्यथा वह और भी शरारत करेंगे।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष जी, आज मैं इस सदन के सम्मुख एक ऐसी खामी को रखना चाहता हूं जो कि बहुत ही विचारणीय है। सन् १९५१ में दिल्ली में जनगणना हुई थी और जब यहां पर जनगणना हो रही थी तो पंजाब की लिस्ट को प्रयोग में लाया गया था और जो दिल्ली की लिस्ट थी उस को प्रयोग में नहीं लाया गया। पंजाब की लिस्ट में जिस में शिड्यूल्ड कास्ट की ३४ जातियां थीं उस को प्रयुक्त किया गया और दिल्ली की लिस्ट को जिस में कि ४१ जातियां हैं उस को प्रयुक्त नहीं किया गया।

१९५१ की जन-गणना में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर को छोड़ कर, पंजाब लिस्ट को ही प्रयुक्त किया गया। मेरे एक पत्र के उत्तर में डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल

ने मुझ को लिखा है कि १६ जातियां तो इस के अन्दर आ गई हैं, लेकिन २५ कास्ट ऐसी हैं जो कि प्रयोग में नहीं लायी गईं। मेरे पत्र के उत्तर में उन्हों ने मैमोरेंडम भेजा है उस में भी यही दिया हुआ है कि २५ कास्ट ऐसी हैं जो कि छूट गयी हैं और १६ कास्ट ऐसी हैं कि जिन की गिनती हुई है। तो मैं इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन १६ कास्ट की गिनती की गयी है उन की संख्या २,०८,००० है। डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल ने अपने मेमोरेंडम में माना है कि उन की संख्या २,०८,६१२ है। पंजाब लिस्ट की जो १८ कास्ट हैं उन की संख्या ६८५ होती है। और जो बाकी २५ कास्ट हैं उन में से कुछ तो नान एवेलेबल हैं और बाकी के बारे में एस्टीमेट कर के बताया है कि उन की संख्या ६०,३१० है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को पेपर नम्बर ४ से यह बतलाना चाहता हूं कि जब जनगणना की जा रही थी उस समय एक इस तरह का प्रावीज़न था कि बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन बनाया जायगा और बैकवर्ड क्लासेज़ की जो जातियां हैं उन को लिया जायगा। तो उस के लिए भी गिनती का एक प्रावीज़न है और वह स्पष्ट रूप से कुछ ग्रुप्स के लिए है।

मैं ने बार बार होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना की। मैं छः महीने से लगातार लिखा-पढ़ी कर रहा हूं लेकिन फिर भी आजतक कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसा कि मैं ने बताया मेमोरेंडम में उन १६ कास्ट की संख्या २,०८,००० दी हुई है; जो २५ कास्ट हैं उन की संख्या आज भी छटी हुई है।

मैं डीलिमिटेशन कमीशन के सामने भी गया और मैं ने प्रार्थना की और लिखकर प्रार्थना की कि यह जो खामी रह गयी है इस के सम्बन्ध में मुझे न्याय मिलना चाहिए। डीलिमिटेशन कमीशन ने मुझे लिख कर दिया और बतलाया कि हमें संख्या चाहिए। हमें आप संख्या ला कर दीजिये तो दिल्ली के अन्दर एक सीट रिज़र्व की जा सकती है। उस के बाद मैं होम मिनिस्ट्री में गया और मैं ने सेक्रेटरी साहब से अनुरोध किया, मैं ने होम मिनिस्टर साहब से अनुरोध किया और मैं ने कहा कि मुझे सही सही आंकड़े दिये जाने चाहिएं किन्तु मुझे आज तक भी वह आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके। जब जब मैं ने इस तरह की प्रार्थना की मुझे इस तरह से गोल माल मेमोरेंडम दे दिये गये जो कि किसी तरह से मेरी और वहां के लोगों की समझ में नहीं आते। मैं बताना चाहता हूं कि सन् १९३१ में जब कि जनगणना हो रही थी, उस समय कई तरह की बातें थीं, देश में उस समय कांग्रेस का असहयोग आन्दोलन चल रहा था और उस आन्दोलन के कारण बहुत लोगों ने जनसंख्या के अन्दर भाग लेने से इन्कार कर दिया और यह चीज़ सन् १९३१ की सेंसस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित है। इस के अलावा उस समय जो शेड्यूल्ड कास्ट जातियां थीं जो कि अनुसूचित जातियां थीं वह बहुत पिछड़ी हुई थीं और उन को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था। सन् १९३१ के सेंसस में मैं ने देखा कि उस में एक बहुत बड़ा आइटम जो है वह आर्य जाति के नाम से लिखा हुआ है और अगर मैं गलती नहीं करता तो वह शायद १२ हज़ार के लगभग होंगे जिन्हों ने कि अपने को आर्य लिखाया और यही कारण है कि इस मेमोरेंडम में जो यह दिया हुआ है और यह जो प्रमाणित करने की कोशिश की गयी है कि जो हमारी एस्टीमेटेड संख्या है वह ठीक है और सही है, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं और यह तो ठीक उसी प्रकार होगा जैसे किसी बच्चे को स्कूल में बहका कर कहा जाय कि यह बात सही है, वह इस को मान ले, मैं वह एस्टीमेट मानने को तैयार नहीं हूं।

एक मेमोरेंडम मैं ने शेड्यूल्ड कास्ट के २९ मेम्बरों के दस्तखतों सहित दिया था।

[श्री नवल प्रभाकर]

उस मेमोरेंडम के उत्तर में मुझे यह बताया गया कि अगर मान लिया जाय कि.....

उपाध्यक्ष महोदय : और दो मिनट

श्री नवल प्रभाकर : मैं प्रार्थना करूंगा कि जब तक मैं अपना केस हाउस में अच्छी तरह समझा न दूं, मुझे बोलने दिया जाय, मैं केवल यही बात रखना चाहता हूं और उसे बिल्कुल साफ़ करना चाहता हूं। मैं यह बता रहा था कि मेरे उस मेमोरेंडम के जवाब में मुझे यह लिखा गया कि अगर आप की संख्या ५·८ लाख हो तो आप के लिये एक सीट क़ायम हो सकती है। मैं आप को बताना चाहता हूं डिलिमीटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो गजट में छपी है और डिलिमीटेशन कमीशन के सेक्रेटरी साहब से मिलने पर मालूम हुआ कि .५१ के ऊपर एक रिज़र्व सीट कायम हो सकती है। अब दिल्ली में तीन सीटें हैं और जब ५ लाख, ८० हज़ार के ऊपर एक सीट बनती है तो उस का मतलब तो यह हुआ कि .५१ के ऊपर अगर एक सीट दी जाय तो उस में शेड्यूल्ड कास्ट की संख्या यदि २ लाख, ९१ हजार हो, तो यहां पर एक रिज़र्व सीट दी जा सकती है और सीटें इस आधार पर कायम की गयी हैं। मैं आप को आसाम के बारे में बतलाऊं कि .५६ के ऊपर एक सीट दी गयी है, विन्ध्यप्रदेश के अन्दर .५९ के ऊपर एक सीट दी गयी है, और मनीपुर के अन्दर .६७ के ऊपर एक सीट दी गयी है।

गृह मंत्रालय से मुझे जो मेमोरेंडम मिला उस में यह कहा गया है कि यदि आप की जनसंख्या ५.८ लाख हो तो आप को एक सीट मिल सकती है और इसलिए हम जो दो लाख अड़सठ हज़ार मानते हैं उस २ लाख, ६८ हज़ार को मान भी लिया जाय तो भी आप को सीट नहीं मिल सकती है। मैं कहता हूं कि २ लाख, ६८ हज़ार जनसंख्या इन्हों ने अपने मेमोरेंडम में मानी है। इस के अलावा वह कहते हैं कि आठ कास्ट्स ऐसी हैं जो नान अवेलेबुल हैं और वे कास्ट्स ये हैं : अहीरिया, बलाई घरामी, कूचाबंध, लालबेगी, मेघवाल और सींगीवाला या कालबेलिया। इस सम्बन्ध में मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि देहली में पैदा होने के नाते मैं यह बखूबी जानता हूं कि कौन कास्ट कहां पर है और कितनी है। बलाई कास्ट उन में से एक ऐसी कास्ट है जिस को ले लीजिए, देहली में बहुत सी पाकेट्स में जानता हूं जहां इस जाति के लोग बड़ी संख्या में आबाद हैं और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि अगर उन की जांच कर के हिसाब लगाया जाय तो अकेले उन की, बलाई कास्ट वालों की, संख्या यहां देहली में कम से कम ३०, ३२ हज़ार के लगभग होगी और अगर उन को शामिल कर लिया जाय तब भी हमारी जनसंख्या तीन लाख के ऊपर पहुंचती है जिस से तीन सीटों में एक सीट रिज़र्व हो सकती है.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अधिक समय लिया है।

श्री नवल प्रभाकर : सब से पहले इन्हों ने पत्र लिखा, उस के बाद टेलीफ़ोन से मुझे बतलाया गया कि आप की जो जनसंख्या है, तीन लाख से ऊपर है, लेकिन उस के बाद में मुझे जो मेमोरेंडम दिया गया उसमें २ लाख, ६८ हजार, २३७ बतायी गयी, इसलिये मैं यह सब मिनिस्टर साहब के सामने रखना चाहता हूं और उन से प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली की शेड्यूल्ड कास्ट की जो जनसंख्या है, उस का पूरा पूरा और ठीक ठीक विवरण दें और इस तरह का प्रबन्ध करें जिस से दिल्ली के हरिजनों को न्याय मिल सके।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : श्रीमान्, प्रारम्भ में मैं यह बताना चाहूंगा

कि अभी भी हमारे गृह मंत्री जी भारतीयों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि, जैसा उन्हों ने कहा भी, यहां के लोग पुलिस स्टेशनों को अपने पुलिस स्टेशन नहीं समझते न तो न्यायालयों को अपने न्यायालय समझते हैं।

इसी बात को आधार मान कर उन्हों ने भारत भर में अपनी नीति लागू की। अब देख लीजिए कि उन की नीति का क्या परिणाम हुआ। आसाम की गारो पहाड़ियों के लोगों ने वहां शरणार्थियों की सहायता, बीज पहुंचाने, कृषि के औज़ार और सस्ती दर पर कृषकों को ऋण देने, और स्कूल और अस्पताल बनवाने के लिए एक ज्ञापन भेजा था, जिस के उपचार के रूप में उन का नेता बन्दी बनाया गया और निरुद्ध कर दिया गया। मणिपुर में कालेज और स्कूल के लगभग ४५० विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया जिन में से ६२ को क़ैद कर दिया गया। त्रिपुरा में ५१ व्यक्तियों को पीटा गया और ६१ व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया। इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल में अध्यापकों पर लाठियां बरसाई गईं, बर्नपुर के कमकरों को गोली से उड़ाया गया, पंचेत पहाड़ी के कमकरों पर धावा बोल दिया गया, ट्रामों की आग वाले काण्ड में प्रेस-संवाददाताओं पर आक्रमण किया गया, आसन्सोल आदि स्थानों पर धारा १४४ लागू कर दी गई और ब्रिटिश बागानों के स्वामियों के हितों की रक्षा के लिए बार्दिघी में चाय बागान कमकरों पर गोली चलाई गई। इसी तरह बिहार में भी ज़मींदारों को बचाने के लिए बहुत से किसान मार दिए गए। उड़ीसा स्थित हीराकुड में धारा १४४ लागू हो रही है, और इसी प्रकार हैदराबाद, मध्य प्रदेश, आदि स्थानों में लोगों—स्त्रियों और पुरुषों—पर गोली चलाई गई है और कई जगहों पर अश्रु-गैस फेंका गया है।

इन सब युक्तियों के बावजूद भी हमारे गृह मंत्री जी जनता में विश्वास का संचार नहीं करा सके हैं। यह तो दरकिनार, प्रेस संशोधन विधेयक पर चर्चा होते समय सदन ने देखा होगा कि किस तरह उस की अपनी पार्टी के आदमियों ने उस का साथ छोड़ दिया। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इतने ज़ोरों से उस विधेयक का विरोध किया था, और श्री गाडगील ने भी इस बात में सरकार का विरोध किया था कि विदेशियों और बड़े पूंजीपतियों के हितों की रक्षा कर रही है। आप ने यह भी देखा होगा कि किस प्रकार श्री त्रिपाठी और स्वामी रामानन्द तीर्थ ने देश भर के कमकरों पर जुल्म तोड़े जाने को रोकने की मांग की थी और राजप्रमुखों की नियुक्ति का उत्सादन करने तथा हैदराबाद राज्य का विलीनीकरण करने की मांग की थी। कल ही आप ने सुना कि श्री एल० जोगेश्वर सिंह ने त्रिपुरा, मणिपुर, कच्छ और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में मुख्य कमिश्नरियां समाप्त करने की मांग की थी। इतना ही नहीं, आप ने यह भी देखा होगा कि वकीलों ने किस तरह इस बात की सफाई पेश की है कि वे लोगों के साथ हैं और उन्हें अन्याय से बचाना चाहते हैं। लोगों की यह भावना है। कमकरों, किसानों, विद्यार्थियों और अध्यापकों के विरुद्ध गोलीकाण्ड रचाने की इस युक्ति को देश भर की जनता ने लोकतंत्र के आन्दोलन को समाप्त करने के रूप में समझ लिया है। ऐसे तरीक़ों से हम भारत की जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते। मैं तो कहूंगा ही कि इन भाग 'ग' राज्यों में, जहां लोगों को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता, उत्तरदायी शासन चलाने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री को अपनी पार्टी के व्यक्तियों से परामर्श कर लेना चाहिए। मैं इस बात का स्पष्टीकरण करूं कि जब से त्रिपुरा, मणिपुर, आदि स्थानों में मुख्य कमिश्नरं का शासन चलने लगा है, तब से वहां लोग चैन से नहीं रह पाये हैं। यह सारा सामन्तशाही क्षेत्र था, किन्तु इस बात के

[श्री बीरेन दत्त]

बावजूद भी राज्य मंत्रालय इन में कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है । तुर्रा यह है कि मुख्य कमिश्नर को वहां लोगों को मारने-पीटने की खुली छुट्टी दी गई है । मैं सरकार को इस बात पर ज़ोर दूंगा कि इन राज्यों की स्थिति पर वह अवश्य ध्यान दें । अब बताइए कि त्रिपुरा में कोई भी विधान नहीं, वहां एक वन विधि है, और वहां के आदिम जाति के लोगों को उन के प्राकृतिक व्यसन से वंचित किया जा रहा है । भूमि या पुनर्वास की सुविधायें दिये बिना ही झूम की कृषि बन्द कर दी गई है, जिस से वहां के लाखों लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

इसी प्रकार आप देखेंगे कि मुख्य कमिश्नर के शासन से हर कहीं बरबादी छा रही है । त्रिपुरा राज्य में आधिक्य था, और अब यही राज्य एक घाटे का राज्य बना है । आप ने मणिपुर की दशा भी सुन ली । मैं इस सदन, प्रेस और भारत की जनता से यह प्रार्थना करूंगा कि वे सब इस बात का समर्थन करें कि त्रिपुरा और मणिपुर में शीघ्र ही विधान सभायें बनाई जायें ।

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुज़फ़्फ़रपुर मध्य) : आप छेद वाले ढोल को बजाते रहिये, वह फिर भी शब्द नहीं निकाल सकेगा—इसी प्रकार गृह-कार्य मंत्रालय के कार्यों पर केवल पांच मिनट में क्या बोला जायगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य दस मिनट तक बोल सकते हैं ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : वाग्विदग्धता को ही नहीं बुद्धिमत्ता को भी संक्षिप्तता प्रिय है—इसी लोकोक्ति को ले कर मैं चलूंगा ।

सदन में आप ने सभी को बोलने का अवसर दिया है, और गृह मंत्रालय के कार्य भी ठीक ढंग से चलते रहे हैं, अतः यह हमारी बधाई का पात्र है ।

माननीय गृह मंत्री अपने आप को इस बात की बधाई में कि एक ओर उन्हें कई लोग इस बात के लिए दोषी ठहराते हैं कि उन्हों ने धर्मप्रचारकों के साथ नर्मी बरती, और दूसरी ओर कई यह कहते दीखते हैं कि गृह मंत्री जी धर्मप्रचारकों के प्रति कठोर रहे हैं । कुछ भी हो, इस से यही पता चलता है कि वह बीच के स्वर्णिम मार्ग से चल रहे हैं ।

सरकार ने राज्य पुनर्संगठन आयोग बना कर जो यह बहुत बड़े महत्व का काम शुरू किया है, उस में बहुत जल्दी हुई है, वस्तुतः, अभी इस का समय नहीं था । ठीक है, उस सरकार को प्रजातंत्रवादी सरकार नहीं कहा जा सकता जो लोगों की मांगों को पूरा नहीं करती । इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि चारों ओर से इन नए राज्यों के बनाये जाने की भूतपूर्व राजाओं या शासकों के राज्यों का विलयन करने की, और एक राज्य को दूसरे राज्य में मिलाने की मांग हो रही थी, अतः सरकार को पुनर्संगठन करना चाहिए था । किन्तु ऐसा करने में सरकार ने कुछ अन्धाधुन्ध जल्दबाज़ी की है । कुछ भी हो, राज्य पुनर्संगठन आयोग एक वास्तविकता बन कर काम करने लगा है । अतः अब पछताने का कोई लाभ नहीं जब चिड़ियां खेत चुग गई हों । भविष्य में आप को सजग और सतर्क रहना चाहिए । सीमांकन और पुनर्संगठन करते समय आप को सतर्क रहना चाहिए ताकि भविष्य में और समस्यायें पैदा न हों । मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में, सरकार और उस राजनीतिक दल पर जो सरकार का निर्माण करती है, यह दायित्व होता कि जनमत पैदा करे । ऐसी बातें तो पहली बार देखने में नहीं आई हैं । हम सभी जानते हैं कि अब्राहम लिंकन को अमरीका में उन संयुक्त

राज्यों को इकट्ठा रखने के लिए कितनी भारी लड़ाई लड़नी पड़ी थी । आप यह भी जानते हैं कि सभी जर्मनों को संगठित रखने के लिए बिस्मार्क को क्या कुछ करना पड़ा था । अतः इसी प्रकार हमारे देश में भी कोई ऐसा नेता होना चाहिए जिस के साथ सारा जनमत हो और जो सारे देश की बागडोर अपने हाथ में ले, और इन बातों के होने का मौका न दे । आज देश में हालत जैसी होनी चाहिये वैसी नहीं है । सब से पहले हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिये कि राज्य पुनर्संगठन आयोग और राज्यों में रहने वाली जनता वस्तुस्थिति का निष्पक्ष अवलोकन कर सकें । प्रायः होता है कि पुरानी लकीर को पीटने वाले लोग सभाओं का आयोजन करते हैं, उस में लगभग सौ आदमी इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन हम से कहा जाता है कि सभा में सहस्रों व्यक्ति थे, तथा उपस्थित व्यक्तियों ने सर्वसम्मति से अमुक प्रस्ताव पास किया । यदि ऐसी अवस्था बनी रही तो सारे देश को हानि उठानी पड़ेगी । मेरी सम्मति में इस से बढ़ कर और कोई सत्य नहीं है कि "हू गेन्स इफ़ इण्डिया लूजेज" अर्थात् यदि भारत की हार हुई तो लाभ किसे होगा । इसलिये इस समस्या पर किसी एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से विचार नहीं करना चाहिये प्रत्युत देशहित के व्यापक दृष्टिकोण को सामने रख कर ही उसका हल ढूंढा जा सकता है ।

श्रीमान्, हम ने सदन में राज्यों के सम्बन्ध में नियम और व्यवस्था की चर्चाएं सुनीं । मैं नहीं समझता कि क्या यह अच्छा उदाहरण है या स्वस्थ परिपाटी । मेरा अपना विचार है कि यह नहीं है । लोगों की यह धारणा हो चली है कि राज्य पुनर्संगठन आयोग भूतकालीन इतिहास और बोलते हुए तथ्यों की अपेक्षा बाह्य कारणों से निर्देशित होगा । श्रीमान्, आप को यह जान कर अचरज होगा कि यह 'तुसु गीत' एक शताब्दी पुराना है । कुछ गीतों की आधुनिक काल में रचना हुई है जिन का उस कन्या से कोई सम्बन्ध नहीं है जिस की स्मृति को अमरता प्रदान करने के लिये उक्त 'तुसु गीत' की रचना हुई थी बल्कि वह हिन्दी और बिहारियों के प्रति विद्वेष फैलाने पर आमादा हैं । इस प्रकार का प्रोपेगैण्डा उचित नहीं है ।

श्रीमान्, भाषा के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं आप से कह दूं कि बिहार के मानभूम ज़िले के १४७२ स्कूलों में बंगाली भाषा पढ़ाई जाती है । मेरे विश्वविद्यालय के एक कालेज में बंगाली शिक्षा का माध्यम भी है । यह प्रचार युक्तिसंगत नहीं है कि बंगाली भाषा का उत्पीड़न हो रहा है । हमें यथार्थ विषय पर विचार केन्द्रित करना चाहिये । इन निराधार आरोपों को सुन कर मुझे उर्दू के छन्द की एक पंक्ति स्मरण हो उठी :

कुसूर ढूंढ निकाला फ़कत जफ़ा के लिये.....

डा० काटजू : श्रीमान्, यह बहस मेरे लिये अत्यधिक उपदेशप्रद सिद्ध हुई है और मेरा विश्वास है कि विदेशी धर्मप्रचारकों के सम्बन्ध में व्यक्त किये गये विभिन्न दृष्टिकोणों से सदन को बहुतसी जानकारी प्राप्त हुई होगी । मैं इस विषय पर अपने विचार प्रकट करूंगा क्योंकि इस सिलसिले में अनेक बार मेरे नाम का प्रयोग किया गया है । मैं ने विरोधी पक्ष का विचार भी सुना है लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि उन की बात मैं अभी नहीं समझ सका हूं ।

मेरे माननीय मित्र ने दिल्ली राज्य में हरिजनों के एक रक्षित स्थान के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया । मैं इस प्रश्न पर गहराई से विचार नहीं कर सकता क्योंकि उस का सम्बन्ध सम्पूर्ण रूप में परिसीमन आयोग से है । उन्हों ने कहा कि हम ने उन की प्रार्थना

[डा० काटजू]

पर गोलमाल ढंग से विचार किया है। न्यायालय में प्रत्येक प्रार्थी अथवा मुकदमेबाज़ यही कहता है कि न्यायाधीश उस के दृष्टिकोण को नहीं समझ सके हैं। लेकिन न्यायाधीश अभी भी वहां अवस्थित हैं। परिसीमन आयोग ने कतिपय प्रस्तावों के विज्ञापक दिये हैं। वह सार्वजनिक सभा की आयोजना करेगा। उस में सदन के ३०० या ४०० सदस्यों के सामने बातचीत करने सरीखा कोई प्रश्न नहीं है। परिसीमन आयोग में रिटायर्ड न्यायाधीश हैं। माननीय मित्र को चाहिये कि वह आयोग के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करें।

इस के बाद बिलासपुर के राजा साहिब की बात है। यह सच है कि हम सभी प्रश्नों को विरक्त भाव से हल करते हैं। मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि क्या सदन के सदस्यों को बिलासपुर के विशाल राज्य के क्षेत्र के सम्बन्ध में परिचय है। यह एक सौ या चार सौ वर्ग मील का पर्वतीय क्षेत्र है। जनसंख्या कम होने से उस के महत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

श्री सी० डी० पांडे (ज़िला नैनीताल व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली—उत्तर) : उस की आबादी एक लाख है।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : चार सौ तिरपन वर्ग मील।

डा० काटजू : वहां सतलुज का प्रवाह है। भाखड़ा बांध बन जाने पर लगभग २०० मील भूमि जलमग्न हो जायेगी। इस में बिलासपुर नगर का कुछ भाग भी सम्मिलित है। हमें यह बात मालूम है श्री आनन्दचंद से भी अधिक हम इस तथ्य के प्रति सजग हैं कि जिन लोगों की जमीनें और मकान डूब जायेंगे उन्हें उचित मुआवज़ा मिलना चाहिये और उन्हें पुनर्वासित करना पड़ेगा। लेकिन बड़े बड़े राज्यों के पुनर्गठन से इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है। जल प्लावन के बाद यह क्षुद्र राज्य नहीं रह सकता है। माननीय मित्र ने कहा कि यह भाग 'ग' राज्य है और उस के अपने अधिकार हैं। वहां की प्रशासन अवस्था कैसी थी? वहां मुख्य आयुक्त था। इन सब से वही निर्देश करते थे। जब उन्हों ने कहा कि सब विभाग बन्द कर दिये गये हैं और सचिवालय हटा लिया गया है तो मुझे बड़ा अचम्भा हुआ कि मानों वह दूसरा उत्तर प्रदेश या बम्बई राज्य हो जहां अनेक सचिव और बेगिनती विभाग हैं। यहां का प्रशासन अत्यन्त खर्चीला था। प्रशासन में गड़बड़ी थी। क्यों? वह इसे भलीभांति जानते हैं। हम ने क्या किया। जब तक हमें संसद् की स्वीकृति नहीं मिली हम ने हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर को नहीं मिलाया। हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उच्च सरकारी पदाधिकारी हैं। इस छोटे से राज्य के लिये एक मुख्य आयुक्त रखने के स्थान पर हिमाचल प्रदेश के उप राजपाल से कहा कि वह वहां जा कर राष्ट्रपति की ओर से कार्यभार संभाल लें। वस्तुतः मेरा विचार था कि बिलासपुर की जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से माननीय मित्र यहां धन्यवाद प्रकट करने की मनोदशा में होते। लेकिन उन्हों ने कहा कि संपूर्ण जनतंत्र की इतिश्री कर दी गई है केवल इसलिये कि बिलासपुर से सचिवालय पदाधिकारी हटा लिये गये हैं।

माननीय मित्र श्री पटनायक ने भी कुछ प्रश्न उठाये हैं। वह प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। असैनिक रक्षा का उन्हें बड़ा चाव है और उन्होंने इस का अध्ययन भी किया है। उन्हों ने सशस्त्र सेना, रक्षा सेना और असैनिक रक्षा के महत्वपूर्ण विषय में रुचि ली है। उस दिन हम ने रायफल ट्रेनिंग पर चर्चा की थी।

रक्षा संगठन मंत्री ने अपने भाषण के दौरान में इस का जिक्र किया था । हम देश के सब नागरिकों को रायफल ट्रेनिंग के लिये सुविधाएं देना चाहते हैं । रक्षा विभाग ने सहयोग देना स्वीकार कर लिया है । तत्सम्बन्धी योजना विचाराधीन है । इस योजना के अनुसार रायफलें उपलब्ध की जा कर प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर प्रशिक्षण दिया जा सकेगा । प्रशिक्षणार्थी को मुफ्त में रायफल मिलेगी और प्रत्येक राउण्ड के लिये उसे एक या दो पैसे अथवा एक आना देना होगा । मैं समझता हूं कि यह नाममात्र की फीस है । मेरा विश्वास है कि देशवासी इस व्यवस्था का स्वागत करेंगे और मैं आशा करता हूं कि वह इस से पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या आप को विश्वास है कि लोग बन्दूकें ले कर नहीं भागेंगे ?

डा० काटजू : नहीं, नहीं । मेरे पास दूसरी व्यवस्था है । जब वह बन्दूकें ले कर भागेंगे तो पुलिस स्टेशन उन की सहायता करेगा ।

रेलवे पुलिस के बारे में भी कुछ कहा गया था । सदन को मालूम है प्रारम्भ में यह केन्द्र के अधीन थी । अब हम इस प्रबन्ध को विकेन्द्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं । आशा की जाती है कि कुछ महीनों में ही ऐसा प्रबन्ध कर दिया जायेगा कि राज्य सरकारें अपनी अपनी सीमाओं में रेलवे पुलिस की व्यवस्था संभाल लेंगी ।

नीमच के माननीय मित्र ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का उल्लेख किया । सदन में मैं ने बहुधा उस का चर्चा किया है । मेरा विश्वास है कि देश को नीमच की रिजर्व पुलिस पर गर्व होना चाहिये । पुलिस दल होते हुए भी उसे सेना के स्तर पर भर्ती किया गया है । उन्हों ने भारत के प्रत्येक भाग में और विशेष-तौर पर उत्तर भारत में सेवा की है । कदाचित् सदन को मालूम होगा कि अंग्रेज़ों ने जाने के पहले यहां क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव पुलिस फोर्स की स्थापना की थी । उसे ही अब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स कहा जाता है । इस में २,००० व्यक्ति हैं । एक हजार की भर्ती स्थायी आधार पर की गई है और काम में वृद्धि होने के साथ साथ एक हजार व्यक्ति अस्थायी आधार पर लिये गये हैं । इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि इन हजार व्यक्तियों को स्थायी रूप से लगा दिया जाये अथवा नहीं ।

चूंकि इन्हें सशस्त्र बल की तरह बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, इसलिए इन के वेतन का आधार भी भिन्न है । मैं फिर कहता हूं कि इन के काम की हर स्थान पर सराहना की गई है । जहां भी विधि और व्यवस्था की स्थिति खराब हो, हमें इन की सहायता के लिए प्रार्थना की जाती है और इस सहायता की सदा सराहना की जाती है ।

नीमच के माननीय मित्र ने कहा है कि शस्त्र अधिनियम के नियमों का उचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा और भाग 'ख' राज्यों में ज़िला न्यायाधीशों को पूर्ण रूप से प्राधिकृत नहीं किया गया । यह कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत, क्योंकि पिस्तौल और रिवाल्वर के सम्बन्ध में मंजूरी ज़िला न्यायाधीश नहीं बल्कि स्वयं सरकार देती है । जहां तक अन्य शस्त्रों का सम्बन्ध है, भाग 'ख' राज्यों के ज़िला न्यायाधीशों के पास वही अधिकार है, जो भाग 'क' राज्यों में है किन्तु मैं इस मामले की जांच कर रहा हूं और मैं भाग 'ग' राज्यों को लिखूंगा कि वे इस विषय में ज़िला न्यायाधीशों को अधिकार देने के लिए उचित आदेश जारी करें ।

[डा० काटजू]

विभिन्न उच्च न्यायालयों में, विशेषतया राजस्थान उच्च न्यायालय में शेष काम का प्रश्न उठाया गया है और कहा गया है कि वहां एक सातवां न्यायाधीश नियुक्त किया जाये ।

माननीय सदस्य जानते हैं कि सदन में उच्च-न्यायालयों के सम्बन्ध में चर्चा करना वांछनीय नहीं है, किन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उच्च न्यायालयों में काम जमा हो गया है, कुछ में कम, कुछ में अधिक । परन्तु मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा देने से यह समस्या हल नहीं होगी । हम ने यह अनुभव कर के देख लिया है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के बाद भी काम जमा होता रहा है । इस मामले पर न्यायाधीशों द्वारा सावधानी से विचार किये जाने की और वकीलों के सहयोग की आवश्यकता है । वास्तव में प्रश्न न्यायाधीशों की संख्या का नहीं है, न्यायिक कार्यवाही पर नियन्त्रण करने का है । मेरे विचार में तर्क वितर्क की सारी प्रणाली पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है । मुकदमा करने वाले को इस बात पर संतुष्ट करना आवश्यक है कि उस का पक्ष अच्छी तरह न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया गया है, किन्तु साथ ही हमें यह ध्यान भी रखना चाहिए कि तर्क वितर्क दिनों, सप्ताहों और मासों तक जारी न रहे ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

दूसरी बात जिस का महत्व अच्छी तरह नहीं समझा जाता यह है कि हमारी मौखिक तर्क वितर्क की प्रणाली के अनुसार न्याय के उचित प्रशासन के लिए यह अत्यावश्यक है कि किसी समय भी ६ से १२ तक पर्याप्त ज्ञान और अनुभव के वकील तैयार रहने चाहिएं जो कि मामले का अच्छी तरह अध्ययन कर के और समझ कर इसे आधे घंटे के अन्दर अन्दर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत कर सकें । यदि वे सफल न हों, तो उन्हें बैठ जाना चाहिए । किन्तु इस मामले में सब ओर कठिनाइयां हैं, जो कि हमारे राष्ट्रीय जीवन में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न हुई हैं । मैं इस मामले के विस्तार में नहीं जाना चाहता किन्तु मैं माननीय सदस्य को कहता हूं कि इस पर विचार किया जा रहा है ।

मेरे हैदराबाद के माननीय मित्र ने उसमानिया विश्वविद्यालय का उल्लेख किया है । हम ने लगभग १½ वर्ष पूर्व हैदराबाद विधान सभा की प्रार्थना पर एक समिति नियुक्त की थी, जिस के अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्रदेव थे किन्तु इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई, क्योंकि आचार्य नरेन्द्र देव बीमार थे । जनवरी १९५४ में इन्हों ने त्यागपत्र दे दिया था । फिर शिक्षा मंत्रालय ने इन के स्थान पर डा० जाकिर हुसैन को अध्यक्ष नियुक्त किया । समिति की बैठक अब भी नहीं हो सकी क्योंकि वह यह चाहती थी कि हैदराबाद सरकार इस विषय में अपने विचारों का एक ज्ञापन प्रस्तुत करे, किन्तु हैदराबाद सरकार ने ऐसा नहीं किया । उस का कहना है कि वह अपने आयव्ययक सत्र में बहुत व्यस्त रही है । अब नवीनतम स्थिति यह है कि उस ने दो सप्ताहों के अन्दर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का वचन दिया है । मैं आशा करता हूं कि जांच समिति अब प्रगति कर सकेगी और एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

मणिपुर और त्रिपुरा के बारे में पहले की तरह बहुत सी बातें कही गई हैं । वहां की प्रत्येक चीज़ के बारे में यहां प्रश्न उठाये जाते हैं । वहां से आने वाले सदस्य बहुत सचेत रहते हैं । इस बार पुलिस के अत्याचारों के

बारे में शिकायत की गई है । किन्तु उन्हों ने कलकत्ता के अध्यापकों की हड़ताल का और इस का त्रिपुरा के गर्ल्ज़ हाई स्कूल पर जो प्रभाव पड़ा है, उस का उल्लेख नहीं किया । मैं स्वयं इस स्कूल में गया हूं और मैं ने देखा है कि लड़कियां तो स्कूल में जाना चाहती थीं किन्तु साम्यवादी दल के महान सदस्य वहां खड़े थे और उन्हें स्कूल में प्रवेश करने से रोक रहे थे । यह तथ्य है । परिणाम यह है कि पुलिस के सिपाही आहत हुए हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं । मामले की जांच की जा रही है । यदि पुलिस ऐसे अवसर पर हस्तक्षेप न करती तो, इस पर बहुत आपत्ति उठाई जाती । उसे अपना कर्तव्य पूरा करना है । मैं इस मामले में आगे नहीं जाना चाहता ।

मेरे माननीय मित्र ने राज्य पुनर्संगठन आयोग की ओर निर्देश किया है । मेरे विचार में उस के निर्णयों का पहले से ही अनुमान लगा लेना या इस विषय में यहां कुछ कहना मेरे लिए बहुत अवांछनीय होगा । हम सब नागरिक हैं और आयोग के सामने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं । मेरे मणिपुर के माननीय मित्र ने कहा है कि मणिपुर को किसी निकटवर्ती राज्य में विलीन नहीं करना चाहिए । बहुत अच्छी बात है किन्तु इस का निर्णय करना आयोग का काम है । वही इस मामले पर विचार करेगा ।

अब मैं अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेता हूं । मैं आप को आश्वासन देता हूं कि इन की स्थिति के सुधार के प्रश्न की ओर सदा मेरा ध्यान रहता है । यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति इन के कल्याण के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न नहीं करता तो वह अपने कर्तव्य के पालन में असफल समझा जायेगा ।

यह केवल कहीं कहीं किसी व्यक्ति विशेष का दर्जा बढ़ाने का प्रश्न नहीं है । यह भी निस्सन्देह होना चाहिए । उन में से यथासंभव अधिक से अधिक व्यक्तियों को ज़िला न्यायाधीश के लिए चुनना चाहिए और उन्हें अधिक ऊंचे पद देने चाहियें।

उन्हें लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया जाना चाहिये । यदि वे योग्य हैं तो उन्हें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जाना चाहिये । किन्तु कभी कभी मेरे मस्तिष्क में यह बात आती है कि यदि आप इनको उन पदों पर नियुक्त करते हैं जिन पर उनकी नियुक्ति की जानी चाहिये, तो इससे अप्रत्यक्ष रूप से समाज की स्थिति में तो सुधार होता है, किन्तु जहां तक भौतिक उन्नति का सम्बन्ध है, उसमें केवल उनमें से दस हज़ार या पचास हज़ार लोगों की ही स्थिति में सुधार हो पाता है । परन्तु जिन लोगों की स्थिति में हमें सुधार करना है वे तो गांवों में हैं । यदि आप गांवों में जायं तो जैसा कि हममें से प्रत्येक को विदित है कि वे निर्धन व्यक्ति हैं, अतः उनकी सहायता की जानी चाहिये जिससे वे शिक्षित होकर अपनी स्थिति में सुधार कर सकें । गांधी जी ने भी यही अनुभव किया था । अतः मेरा सदैव यही प्रयत्न रहा है कि कम से कम एक चीज़ विद्युत् गति से की जाय और वह यह कि इनको शिक्षित बनाया जाय, जिससे निरक्षरता दूर करने में उनकी सहायता की जा सके और वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें । उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिये । अधिकांश राज्यों में सम्भवतः प्रायमरी शिक्षा निःशुल्क दी जाती है । इसके अतिरिक्त वृत्तिका भी दी जाती है । यदि मेरी इच्छा से कार्य हो और वित्तीय व्यवस्था से हो तथा सदन अपनी अनुमति दे सके तो हम हाई स्कूल तक ही नहीं वरन् विश्वविद्यालय तक की शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था करना चाहते हैं । उनको न केवल साहित्यिक शिक्षा के लिये ही वरन् विज्ञान, इंजीनियरिंग, तथा

[डा० काटजू]

चिकित्सा विज्ञान आदि में अधिकतम छात्र-वृत्तियां दी जानी चाहियें। इन लोगों में से हमें इंजीनीयर, डाक्टर तथा अध्यापक बनाने चाहियें जिनको विदेश भेजा जा सके। उनकी उन्नति करने का यही मार्ग है। उन्हें टेक्निकल तथा व्यावसायिक प्रशिक्षा मिलनी चाहिये तथा उनके व्यावसायिक एवं कुटीर उद्योगों में तथा अन्य इसी प्रकार के सभी उद्योगों में प्रशिक्षण देने के लिये अच्छी शिक्षा संस्थायें होनी चाहियें। इसी प्रकार आगे बढ़ा जा सकता है। मैं अधिक विस्तार में जाकर सदन को थकाना नहीं चाहता हूं।

आज यह सभी जानते हैं कि राज्य सरकारें क्या कर रही हैं और केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है। २ करोड़ रुपया या इससे भी अधिक की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है और उनके हितों की देख-रेख करने के लिये एक विशेष आयुक्त की नियुक्ति की गई है। यदि इसमें कुछ विलम्ब होता है तो वह केन्द्र के विलम्ब से नहीं और न मैं राज्यों को ही इसके लिये दोष दे सकता हूं क्योंकि उन्हें योजनायें बनानी पड़ती हैं और कभी-कभी ये योजनायें बिल्कुल नई होती हैं, इसलिये बहुत से लोगों के विचार जानने पड़ते हैं, इसके पश्चात् योजनायें प्रस्तुत की जाती हैं और उनको स्वीकार करने में कुछ समय लग ही जाता है। अब हम नियमों पर पुनर्विचार कर रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो सके। मैं इसके लिये प्रयत्न कर रहा हूं और आशा है कि मैं वित्त मंत्रालय को इस सम्बन्ध में राज़ी कर लूंगा कि यह अनुदान कभी बन्द न हो और मुझे पूर्ण आशा है कि १९५४–५५ में उन निधियों में से किसी भी निधि को व्यपगत न होने दिया जायगा जिनके लिये संसद् ने अनुमति दे दी है।

मैं इस विषय को पूर्णतः दल से भिन्न विषय समझता हूं। यह नहीं कि ऐसा कह कर मैं अपनी कोई महानता प्रकट करना चाहता हूं वरन् मैं तो अपनी टूटी-फूटी भाषा में यहां के सभी लोगों की भावनायें व्यक्त करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यह मामला ऐसा है कि जिसके परिणाम अत्यन्त महत्वपूर्ण होंगे इस कारण इसमें तीव्र गति से उन्नति करने की आवश्यकता है। इसी भावना से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें कार्य कर रही हैं।

मैं अब मिशनरी समस्या के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैं अत्यधिक नियन्त्रण के साथ इस विषय पर बोलूंगा क्योंकि इस विषय पर बहुत काफी चर्चा हो चुकी है, और मेरी वह विचारधारा बताई गई है, जो वास्तव में है नहीं और जो मैंने कभी व्यक्त ही की है।

जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, मैं इस क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में भी, सम्भवतः सफलतापूर्वक तो नहीं फिर भी गांधी जी के उपदेशों का पालन करने का प्रयत्न करता रहा हूं। इस सम्बन्ध में वह हरिजन में लिखते रहे थे और प्रार्थना सभाओं तथा अन्य स्थानों पर इसके विषय में भाषण देते रहे थे। मैं सदन के सभी सदस्यों, अपने भारतीय ईसाइयों तथा अन्य लोगों से उनके उपदेश स्मरण करने के लिये कहूंगा जो उन्होंने अपनी पुस्तकों में दिये हैं। मेरे पास इस समय उनकी दो पुस्तकें हैं। एक का नाम है "क्रिश्चियन मिशन—देयर प्लेस इन इण्डिया।" (ईसाई मिशन—भारत में उनका स्थान) यह महात्मा जी के हरिजन में प्रकाशित लेखों का प्रतिनिधिकारी संग्रह है जो १९४१ में प्रकाशित हुआ था। दूसरी पुस्तक हाल ही में अमरीका में प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है "दि महात्मा ऐण्ड दि मिशनरी।" यह एक अमरीकी प्रकाशन है, जिसने अपने प्रतिपादित विषय में

बापू जी के शब्दों को उद्धृत किया है। मैंने जो कुछ भी ग्रहण किया है वह इन्हीं पुस्तकों से किया है। हो सकता है कि मैंने जो कुछ समझा है वह बिल्कुल गलत हो। इस विषय में कुछ कहने से पूर्व मैं उस गलत धारणा को दूर करना चाहूंगा। यह विचार फैल रहा है कि मिशनरियों को देश से निकाला जा रहा है और उनको यहां आने की अनुमति नहीं दी जाती है तथा प्रवेश पत्र नहीं दिये जा रहे हैं। मेरे मित्र डा० कृष्णास्वामी ने अपने सुन्दर भाषण में कहा कि इन मिशनरियों की स्वतन्त्रता पर रोक लगाई जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि इस प्रकार की उत्तेजना का कोई कारण नहीं था। उन्होंने न कहने योग्य सारी बातें कहीं। मैं इस विषय पर और कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे मित्र श्री दातार यह बात कह चुके हैं कि अनुच्छेद १४, १५, १६, १७, १८, १९, २५, २६ और वास्तव में लगभग पूर्ण संविधान के अनुसार ही सभी विदेशियों को भारत में आने का अधिकार है, चाहे वह समुद्र-मार्ग से आये, चाहे हवाई जहाज़ से अथवा अन्य किसी मार्ग से। मैंने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं सुनी है। भारतीयों ने संविधान अपने लिये ही बनाया है। और अमरीकी नागरिकों के लिये संविधान बनाने का कार्य संसद् के लिये अत्यन्त धृष्टतापूर्ण होगा। (अन्तर्बाधा) वे ऐसा नहीं कर सकते। यदि वे आयेंगे भी तो अपने देश के पारपत्र से और हमारे प्रवेश पत्र (वीज़ा) के द्वारा ही आयेंगे। भारतीय झण्डे के प्रति निष्ठा रखना उनके लिये आवश्यक नहीं है। यदि वह भारत में रहते हैं तो कुछ सीमित हद तक हमारे कानून उन पर लागू होंगे। वे जिस दिन भी चाहें यहां से जा सकते हैं। अतः इस चीज़ की ओर ध्यान आकर्षित कर मामले को गलत समझाने से क्या लाभ है ?

एक और प्रकार की भावना भी चल रही है मैं नहीं कह सकता कि वह किस प्रकार लाई गई है—वह यह है कि मिशनरियों को देश से निकाला जा रहा है। मेरे पास इस समय इसके आंकड़े हैं। बिहार के ये नवीनतम आंकड़े हैं। बिहार में अगस्त, १९४७ के अन्त तक २६ अमरीकी मिशनरियों को मिला कर कुल ५४ विदेशी मिशनरी थे। अगले पांच वर्षों में, अर्थात् १९४७ से १९५२ तक २१३.....

श्री श्यामनन्दन सहाय : वे सब वहां बड़े प्रसन्न हैं।

डा० काटजू :.....१३५ अमरीकी मिशनरियों को मिला कर मेरे पास काफी लम्बी सूची है। १९४२–४७ पांच वर्षों में—प्रोटेस्टेंट मिशनरियों की संख्या १४५१ तथा कैथोलिक की ८२० थीं जिनका योग २२७१ था। अगले पांच वर्षों में, प्रोटेस्टेंटों की संख्या २८१४ हो गई, पहले की संख्या से ठीक दुगुनी। कैथोलिक १८७९ थे दुगने से भी अधिक इस प्रकार योग संख्या ४६८३ थी। अब क्या शिकायत रह जाती है ? (अन्तर्बाधा) १९४२ से १९४७ तक उनकी संख्या २२७१ थी और १९५२ में यही संख्या ४६८३ हो गई थी। एक बात और स्मरण रखिये। ये सभी लोग विदेशी हैं। हम भारत के राष्ट्रीयों राष्ट्र मंडल के नागरिकों तथा विदेशियों में भेद करते हैं। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं.....

श्री श्यामनन्दन सहाय : राष्ट्र मंडल के लिए।

डा० काटजू :.....राष्ट्र मंडल के नागरिकों की यहां कितनी संख्या है यह मुझे ज्ञात नहीं। मूल वस्तु क्या है ? जैसा कि मेरे माननीय साथी ने कल बताया था कि इसका धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह बहुत कुछ राजनीतिक तथा राष्ट्रीय समस्या है।

डा० राम सुभग सिंह (शाहाबाद–दक्षिण) : आप इस समस्या को उत्पन्न क्यों कर रहे हैं ?

डा० काटजू : गांधीजी ने क्या कहा है ?

श्री श्यामनन्दन सहाय : उन्होंने क्या कहा है ?

डा० काटजू : यह बड़ा मनोरंजक प्रश्न है— मैं केवल उद्धृत कर रहा हूं कि इन मिशनरियों ने अपने काम करने का ढंग बिल्कुल ही बदल दिया है ।

एक माननीय सदस्य : यह बदल नहीं सकता ।

डा० काटजू : "क्रिश्चियन मिशन्स—देयर प्लेस इन इण्डिया" नामक पुस्तक के पृष्ठ ९५ पर एक लेख में गांधी जी ने लिखा है :

"इंग्लैण्ड की चर्च मिशनरी सोसाइटी ने प्रीवेण्डरी डब्लू० डब्लू० कैश द्वारा तैयार की गई एक पुस्तिका प्रकाशित की है ....."

इसमें २०,००० पौण्ड के लिये निवेदन किया गया था—

यह निवेदन इस प्रकार समाप्त होता है:—

"दलित जातियों से यह आन्दोलन अब उच्च जाति के लोगों में फैल रहा है, और अनुमान यह लगाया जाता है कि पिछले पांच वर्षों के अन्दर कम से कम ३०,००० विभिन्न उच्च जातियों के लोग ईसाई हो चुके हैं ।"

गांधी जी का कहना है कि यह सब झूठ है ।

"यह आन्दोलन इतना महत्वपूर्ण है कि हम सहायता से इंकार नहीं कर सकते । आज के हजारों लोग कल करोड़ों की संख्या में हो सकते हैं । क्या आप हमें आगे बढ़ने में सहायता करेंगे कि जिससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो सके ।"

एक अन्य लेख में पृष्ठ १०८ पर एक लेख है जिसका तात्पर्य यह है कि गांव में जाकर हरिजनों से घुल मिल कर ये लोग एक स्कूल खोल देते हैं और किसी प्रभावशाली हरिजन को उस स्कूल का प्रभारी बना देते हैं । जब कभी हरिजनों तथा अन्य गांव वालों में झगड़ा होता है तो हरिजनों की धन से तथा अपनी सम्मति देकर सहायता करते हैं । इस प्रकार इनका रक्षकों की भांति स्वागत होता है और लोग ईसाई बनने लगते हैं ।

मैं अपने ईसाई मित्रों को विश्वास दिला सकता हूं कि मैं उनसे घृणा नहीं करता । वे भी उसी भारत माता की सन्तान हैं जिसके लिये हमारे दिलों में श्रद्धा है । उनको भी अपने धर्म के पालन करने का अधिकार है । किन्तु मैं इस प्रश्न पर शान्ति तथा व्यवस्था की दृष्टि से विचार करता हूं । हमारे पूर्वजों तथा गांधी जी ने हमें बताया है कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाना चाहिये मैं सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता हूं । किन्तु, जैसा कि गांधी जी ने भी बार बार कहा था, यदि किसी धर्म के प्रचारक लोगों से यह कहें कि हमारा धर्म अच्छा है, तुम्हारे धर्म में मूर्त्ति पूजा है और वह अनैतिकता और देवदासी जैसी प्रथा सिखाता है' तो यह धर्म का प्रश्न नहीं रह जाता, अपितु शान्ति तथा व्यवस्था का प्रश्न हो जाता है । लोग इसे सहन नहीं कर सकते ।

जब राज्य-परिषद् में मैंने यह उत्तर दिया था तो वहां इसके बारे में बड़ा शोर मच गया । २० जून १९५३ के 'हरिजन' में

कुछ लेख प्रकाशित हुए थे और निम्नलिखित भाग गांधी जी के वक्तव्य का उद्धरण है ।

"अब तक ईसाई धर्म प्रचारक भारत में अध्यापकों तथा धर्म प्रचारकों के रूप में आये और भारत तथा भारत के धर्मों के बारे में उनकी विचित्र धारणायें थीं । उन्होंने हमें अन्ध विश्वास पर चलने वाला और ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाला बताया । मैं समझता हूं कि यह बात ईसा महसीह की भावना के विपरीत है । अतैव मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि यदि वे यह समझते हैं कि कि भारत भी सारे विश्व को कोई संदेश दे सकता है या यह कि भारत के धर्म भी सच्चे हैं केवल तब ही उनके लिये यहां स्थान है । परन्तु यदि वे केवल उपदेशक के रूप में ही प्रकट होते हैं तो उनके लिये यहां कोई स्थान नहीं है ।"

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मुझे बहुत सी फाइलें मिली हैं जिनमें बहुत से समाचार हैं, और उनमें से बहुत सी भारतीय ईसाइयों से आई हैं । इनमें से एक को आप पढ़ सकते हैं । जिसमें यह दिया हुआ है कि भारत में आने वाले ईसाई धर्म प्रचारक विदेशों में अपने भारतीय बन्धुओं को बदनाम करते हैं । यह कहा जाता है कि भारतीय ईसाइयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता । मैं ईसाई धार्मिक पुस्तकों का गीता के समान ही सम्मान करता हूं । आपने मध्य भारत से किये जाने वाले विरोध को सुना है ।

अध्यक्ष महोदय : अब मुखबन्ध प्रयोग का समय आ गया है । वित्तीय चर्चा के समय हमें समय का पालन करना चाहिये । पहिले मैं गृह-कार्य मंत्रालय को लूंगा और सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ प्रस्तुत करूंगा ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा शेष मांगें—५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८ तथा १२६—मतदान के लिये प्रस्तुत की गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं राज्य मंत्रालय से सम्बन्धित मांगों पर रखे गये कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करूंगा ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा शेष मांगें—८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५ तथा १३४—मतदान के लिये प्रस्तुत की गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों के लिये मांग संख्या ६१, ६२, ६३, ६४, १२५ तथा १२९ पर विचार करेगा ।

१९५४–५५ के लिये अनुदानों की ये मांगें अध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत कीं :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
		रुपये
६१	सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय	९,७०,०००
६२	सिंचाई (कार्यवहन-व्यय समेत) नौपरिवहन बंध तथा जल निस्सारण योजनायें (राजस्व से देय) ।	२७,०००

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
		रुपये
६३	बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनायें	३८,२३,०००
६४	सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३१,७५,०००
१२८	बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	३,६५,६१,०००
१२९	सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	४,६३,०००

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
६१	श्री तुषार चटर्जी	दामोदर घाटी निगम द्वारा अर्जित भूमि के लिये क्षतिपूर्ति के भुगतान में विलम्ब	१००
६१	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में छोटे सिंचाई कार्यों की तुरंत आवश्यकता	१००
६१	श्री मेघनाद साहा	बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं के सम्बन्ध में असंतोषजनक नीति	१००
६१	श्री टी० के० चौधरी	किसानों पर लगाया गया सिंचाई शुल्क	१००
६१	श्री एन० बी० चौधरी	सिलाई तथा कसाई योजनाओं में सिंचाई की आवश्यकता	१००
६१	श्री के० के० बसु	बाढ़ नियन्त्रण की तुलना में विद्युत् परियोजनाओं को अनुचित अधिमान देना	१००
६१	श्री नटवर पांडे	हीराकुड परियोजना के लिये अर्जित की गई भूमि की क्षतिपूर्ति के लिये मकान के बदले मकान तथा घर के बदले घर देने की व्यवस्था न कर सकना	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
६१	श्री नटवर पांडे	हीराकुड परियोजना में क्षतिपूर्ति के भुगतान में विलम्ब तथा असंतोष	१००
६१	श्री नटवर पांडे	हीराकुड परियोजना के विभिन्न कार्यालयों द्वारा किये गये कार्य में कुप्रबन्ध	१००
६१	श्री आनन्द चन्द	भाकरा नांगल परियोजना विशेष कर पुनर्वास के सम्बन्ध में एक निश्चित नीति को अपनाने में असफलता	१००
६२	श्री के० के० बसु	गंगा बांध परियोजना के लिये पर्याप्त रूप से व्यवस्था करने में असफलता	१००
६३	श्री सी० आर० चौधरी	पंचवर्षीय योजना की कृष्णा नदी योजना में नन्दीकोंडा परियोजना का सम्मिलित किया जाना	१००
६३	श्री मेघनाद साहा	योजना बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने, दोनों के बारे में सरकार की नीति तथा कार्यक्रम	१००
६३	श्री के० के० बसु	२४ परगना में बाढ़ के समय चलने वाली नदियों तथा नहरों को राष्ट्रीय स्तर पर चलाने में असफलत	१००
१२८	श्री गाडिलिंगन गौड़	तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र में खेती करने के लिये भूमि तय्यार करने के मामले में आंध्र राज्य को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने में असफलता	१००
१२८	श्री गाडिलिंगन गौड़	तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र में भूमि में खेती करने के लिये आंध्र राज्य को केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की सहायता देने में असफलता	१००

योजना व सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : मुझे इस समय बोलने का अवसर देने के लिये मैं आपका आभारी हूं; परन्तु मैं अधिक समय नहीं लूंगा । मैं समझता हूं कि यदि मैं शुरू में ही सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय के काम के बारे में सदन को कुछ आंकड़े तथा सूचना दे दूं तो इससे बहस में भी सुविधा हो जायेगी और आगे चल कर सदन का समय भी बच जायेगा ।

[श्री नन्दा]

योजना काल के दौरान में सरकार के किसी विभाग के कार्य को योजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में ही आंका जाना चाहिये। उसके कार्य को जानने के लिये यही कसौटी है। सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय को भी इसी प्रश्न का उत्तर देना है कि पंचवर्षीय योजना में उसने अपना उत्तरदायित्व कहां तक निभाया है। इसलिये मैं आपको केन्द्र तथा राज्यों के सिंचाई एवं विद्युत कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में कुछ आंकड़े बताऊंगा ताकि आपको स्थिति का पूर्ण रूप से ज्ञान हो सके।

योजना में चार परियोजनाओं यानी भाकड़ा नंगल, दामोदर घाटी निगम, हीराकुड और हरिके के लिये जिनकी केन्द्र द्वारा अर्थ-व्यवस्था की जा रही है, प्रारम्भिक रूप से १७४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। परियोजनाओं के क्षेत्र विस्तार के लिये प्राक्कलनों में पुनरीक्षण होने के कारण जो वृद्धि हुई थी उसके लिये ५० करोड़ रुपये की इकट्ठी राशि की भी व्यवस्था की गई थी। इन सब परियोजनाओं पर, प्रथम वर्ष यानी १९५१–५२ में ३३ करोड़ पया खर्च हुआ था जो पंचवर्षीय काल के लिये नियत धनराशि का १४.९ प्रतिशत है। १९५२–५३ में खर्च ४२ करोड़ रुपये यानी १८.८ प्रतिशत हुआ था। १९५३–५४ के सम्बन्ध में पुनरीक्षित प्राक्कलन ५४.५९ करोड़ रुपये है, यानी २४.४ प्रतिशत है। इन तीनों वर्षों में मिला कर ५८ प्रतिशत खर्च हुआ है। यदि १९५४–५५ के आय-व्ययक आंकड़ों को इसमें जोड़ा जाये तो चार वर्षों का खर्चा सिंचाई तथा विद्युत सम्बन्धी योजना के ८२.७ प्रतिशत के बराबर आयेगा। १९५१–५२ की यानी प्रथम वर्ष की तुलना में, खर्चे में दूसरे वर्ष में २६ प्रतिशत की और तीसरे वर्ष में ६५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मैं अब आपको वर्ष १९५२–५३ के बारे में कुछ विस्तृत सूचना देना चाहता हूं जिसके बाद के वास्तविक आंकड़े हमें अभी उपलब्ध नहीं हैं। मैं ऐसा विशेष रूप से इसलिये कर रहा हूं क्योंकि इस वर्ष के आंकड़ों को ग़लत रूप से उद्धरित किया गया है। इस वर्ष के आय-व्ययक में मूल रूप से ४० करोड़ रुपये नियत किये गये थे। बाद में, और अधिक राशि नियत की गई थी और पुनरीक्षित प्राक्कलन ४५.५७ करोड़ पये हो गया था। वर्ष १९५२–५३ में जो खर्चा हुआ है वह आय-व्ययक में मूल रूप से नियत राशि से २ करोड़ अधिक है परन्तु पुनरीक्षित प्राक्कलन से ३.५ करोड़ कम है। इन ३.५ करोड़ रुपये में से हरिके परियोजना पर, जो अब पूरी हो चुकी है, १.८२ करोड़ खर्च हुआ था।

अब मैं राज्यों को लेता हूं। मैं राज्यों के बारे में सूचना इसलिये दे रहा हूं कि सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय पर राज्यों में योजना की क्रियान्विति का भी कुछ उत्तरदायित्व था। राज्यों की योजना में, पहिले तीन वर्षों में कुल १७० करोड़ रुपया खर्च हुआ था, जो योजना में व्यवस्थित कुल खर्चे के ५८ प्रतिशत के बराबर है, जबकि इन परियोजनाओं पर १९५१–५२ में ४२.७ करोड़, १९५२–५३ में लगभग ५६ करोड़ और १९५३–५४ में लगभग ६६ करोड़ रुपया खर्च हुआ था। आशा की जाती है कि योजना के चौथे वर्ष के अन्त तक कुल खर्चे का ८५ प्रतिशत भाग खर्च हो जायेगा। कार्य में जो प्रगति हुई है वह इस बात से स्पष्ट है कि १९५१–५२ के मुक़ाबले में दूसरे वर्ष में पहले वर्ष की अपेक्षा १८ प्रतिशत खर्चा अधिक हुआ था और तीसरे वर्ष में ३८.५ प्रतिशत अधिक हुआ था। १९५४–५५ में जो व्यवस्था की गई है उससे ७० प्रतिशत की वृद्धि होगी। केन्द्र और

राज्य दोनों में योजना के लिये नियत कुल राशि का प्रथम तीन वर्षों में ५८ प्रतिशत और चौथे वर्ष को मिला कर ८४ प्रतिशत व्यय हुआ है

अब मैं बड़ी बड़ी परियोजनाओं के सम्बन्ध में कुछ अलग अलग सूचना दूंगा।

दामोदर घाटी परियोजना में संतोषजनक रूप से प्रगति हो रही है। तिलैया और बुकारो १९५३ में पूरे हो चुके हैं और कोनार इस वर्ष वर्षा आरम्भ होने से पहले पूरा हो जायेगा। बाहर से सब स्टेशन की मशीनों के देर से आने के कारण, भावी उपभोक्ताओं को बिजली देने में देर हो गई है। आशा की जाती है कि इस समय बुकारो में जो २६,००० किलोवाट बिजली पैदा की जाती है वह धीरे धीरे बढ़ा कर दिसम्बर १९५४ में ६५,४५० किलोवाट कर दी जायेगी। प्रथम प्रक्रम में दामोदर घाटी निगम की परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता २,७६,५०० किलोवाट होगी, जिसमें सिन्दरी की २२,५०० किलोवाट अतिरेक बिजली शामिल है परन्तु कोनार विद्युत् स्टेशन शामिल नहीं। ऐसा अनुमान है कि यह बिजली १९५८-५९ तक पूरी खपने लगेगी। कलकत्ता तथा गया-पटना डालमिया नगर तक ले जाई जाने वाली हाल ही में स्वीकृत लाइनों को छोड़ कर ट्रांसमिशन व्यवस्था के जून १९५५ में पूरे हो जाने की आशा है। यह भी आशा की जाती है कि मैथौन बांध अगले वर्ष के आरम्भ में, दुर्गापुर बांध जून, १९५५ में और पांचेत पहाड़ी योजना अप्रैल १९५६ में पूरी हो जायेगी। खरीफ़ की सिंचाई १९५५ के मध्य में आरम्भ हो जायेगी, यद्यपि समस्त नहर प्रणाली १९५७ के अन्त तक ही पूरी होगी।

मैं अनुभव करता हूं कि इकट्ठे किये हुए पानी का सिंचाई के काम में पूरा उपयोग करने के लिये नहरों को बनाने के कार्य में समय का और अधिक ध्यान रखा जाना चाहिये था। परियोजनाओं की लागत का प्राक्कलन १९५१-५२ में ७६·८७ करोड़ रुपये था और अब नवीनतम पुनरीक्षित प्राक्कलन ८८·९९ करोड़ रुपये है, जिसमें 'रोपवे' और खुदाई पर पूंजी-व्यय के लिये १·६ करोड़ रुपये शामिल हैं परन्तु कोनार विद्युत् स्टेशन (३·८५ करोड़ रुपये) और कलकत्ता तथा गया-पटना डालमिया नगर तक ले जाई जाने वाली हाल में स्वीकृत ट्रासमिशन व्यवस्था (६·४१ करोड़ रुपये) शामिल नहीं हैं। परियोजना को क्रियान्वित करने के काम में निरन्तर प्रगति हो रही है। योजना के प्रथम तीन वर्षों में कुल व्यय ४१·९३ करोड़ रुपये हुआ है। योजना से पहले १६·८७ करोड़ रुपये के खर्चे को छोड़ कर, परियोजना का कुल व्यय लगभग ५९ करोड़ रुपये आता है।

दामोदर घाटी निगम के बोर्ड का पुनर्संगठन कर दिया गया है और श्री पी० एस० राव इसके अध्यक्ष हो गये हैं।

अब कुछ भाकड़ा नंगल परियोजना के बारे में सुनिये। भाकड़ा नंगल परियोजना के प्राक्कलित आंकड़ों का कई बार पुनरीक्षण हो चुका है। नवीनतम यानी १९५३ का प्राक्कलन, जिस पर कि केन्द्रीय बोर्ड तथा केन्द्रीय जन तथा विद्युत आयोग द्वारा जांच की जा रही है, १५६ करोड़ रुपये है, जबकि अवमूल्यन से पहले यानी १९४९ में यह १३३ करोड़ था। परन्तु विचाराधीन प्राक्कलन में बिजली को इकट्ठी मात्रा में दिये जाने और सड़कों तथा मंडियों के विकास की व्यवस्था नहीं है, जिसके लिये १९४९ के प्राक्कलन में १५.२ करोड़ की राशि रखी गई थी। मुझे अभी तक पुनरीक्षित प्राक्कलनों की जांच करने का अवसर नहीं मिला है, क्योंकि उन पर अभी भाकड़ा नियन्त्रण

[श्री नन्दा]

बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है। इनके बढ़ने के कारण यह बताये जाते हैं: १९४९ की परियोजना के तैयार करते समय अपर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होने के कारण कार्य में वृद्धि; डिज़ाइन तथा विवरण में सुधार; परियोजना के क्षेत्र में विस्तार; अवमूल्यन तथा कोरियाई युद्ध के कारण मशीनों आदि के मूल्यों में वृद्धि; सामान के दामों में तथा मज़दूरों की मजूरी में वृद्धि; निर्माण संयन्त्र तथा अन्य कार्य सम्बन्धी सुविधाओं के लिये अपर्याप्त व्यवस्था; मशीनों के कार्य-काल तथा फिर से बेचने के दामों का ज़रूरत से ज़्यादा अनुमान लगाया जाना और उपरिव्यय तथा मरम्मत के लिये अपर्याप्त व्यवस्था; विदेशी विशेषज्ञों का रखा जाना। मैं इस मामले में स्वयं देख भाल कर रहा हूं और यथा समय इसकी रिपोर्ट सदन को दूंगा।

योजना के पहले इस परियोजना पर २३.५६ करोड़ रुपया ख़र्च हुआ था। इस परियोजना पर धीरे धीरे ख़र्चा बढ़ाया जा रहा है। योजना के प्रथम वर्ष में ९.८६ करोड़ व्यय किये गये थे। दूसरे वर्ष में १८.८२ करोड़ रुपये और तीसरे वर्ष में २८.८३ करोड़ ख़र्च किये गये थे। स्वयं भाकड़ा बांध पर अनुमानित व्यय का ३३ प्रतिशत ख़र्च हुआ है। भाकड़ा बांध के सम्बन्ध में कार्य-सम्बन्धी सुविधाओं में काफ़ी प्रगति हुई है और इन पर १२.५ करोड़ रुपये ख़र्च किये गये हैं। इस समय नदी से जितना पानी निकाला जा रहा है वह सारा दाहिनी ओर की सुरंग से ले जाया जा रहा है। 'कॉफ़र' बांध बनाने का काम अक्टूबर नवम्बर १९५४ में शुरू हो जायेगा। एक विस्तृत निर्माण योजना तैयार कर ली गई है और संयत्र आगया है या आने वाला है। लगभग ३००० मील नहरों के बनाने के काम में पंजाब कार्यक्रम से आगे चल रहा है और राजस्थान तथा पेप्सू पीछे हैं। परन्तु पेप्सू के मुख्य इंजीनियर का यह विश्वास है कि आने वाले ख़ीरीफ़ के मौसम में वे सिंचाई के लिये पानी ले सकेंगे। राजस्थान को थोड़ी ही मात्रा में पानी मिल सकेगा। पंजाब में, जून १९५४ में सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध हो जायेगा। आशा है कि इन तीनों राज्यों में ६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होने लगेगी।

नंगल हायडेल चैनेल पर बना बिजली घर नम्बर १ जुलाई, १९५४ से काम करना आरम्भ करेगा। बिजली घर नम्बर २, नवम्बर, १९५५ से काम करना आरम्भ करेगा। १९५९–६० तक बांध बन कर तैयार हो जायेगा। भाकड़ा-नंगल परियोजना में भ्रष्टाचार के कुछ गम्भीर मामलों की जांच करने के लिये अक्तूबर १९५२ में एक विशेष जांच एजेंसी नियुक्त की गई थी जिसके सदस्य एक सुपरिन्टेन्डेंट इंजिनियर (अंशकालिक), और पुलिस के एक उप-सुपरिन्टेंडेंट थे और कुछ आवश्यक अधीनस्थ कर्मचारी थे। एक उप-इंजीनियर, तीन ओवरसियरों और दो क्लर्कों पर मुकद्दमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है। दो कार्यपालक इंजीनियरों और तीन सब-डिवीज़नल अफ़सरों के सम्बन्ध में मुकद्दमा चलाने के मामले पर विचार किया जा रहा है। अन्य मामले अब भी विचाराधीन हैं।

अब मैं हीराकुड के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हीराकुड परियोजना के पहले प्रक्रम के लिये मूल प्राक्कलन में संशोधन कर के उसे ६७ करोड़ रुपये कर दिया गया था, और अब उड़ीसा सरकार द्वारा स्वीकृत रूप में वह प्राक्कलन ७०.७८ करोड़ रुपये है। ३१-३-५४ तक ३३ करोड़ रुपये की

जो कुल राशि खर्च की गई है उसमें से २६ करोड़ रुपये की राशि योजना अवधि में खर्च हुई है। चालू वर्ष में खर्च अधिक बढ़ जायेगा। मार्च १९५४ के अन्त तक प्रगति इस प्रकार हुई थी; कांकरीट के बांध में ३७ प्रतिशत; मिट्टी के बांध में ४३ प्रतिशत; अन्य बांधों में ५६ प्रतिशत; मुख्य नहरों और उनकी शाखाओं में ८५ प्रतिशत; सहायक तथा छोटी नालियों में ३० प्रतिशत। जनवरी फरवरी, १९५४ में आंशिक रूप से हड़ताल हो जाने के कारण प्रगति कुछ कम हो गई थी लेकिन इस सीजन में उसे पूरा करने की पूरी कोशिस की जा रही है।

जुलाई १९५६ तक बांध काफी हद तक तैयार हो जायेगा। आरम्भ में, यही अनुमान लगाया गया था कि परियोजना से सिंचाई का काम १९५५–५६ तक आरम्भ हो जायेगा किन्तु पुनरीक्षित कार्यक्रम के अन्तर्गत मट्टी का बांध बनाने के काम में ढील हो गई है और अब वह जून १९५६ तक बन कर तैयार हो जायेगा। विद्युत भी उसी समय तक उपलब्ध होने लगेगी। इस्पात फैक्टरी और अल्यूमीनियम तथा फेरो मेंगनीज़ फैक्टरी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए १९५६ में २८,००० किलोवाट और १९५७ में ७८,००० किलोवाट विद्युत उपलब्ध होने का अनुमान है। आशा की जाती है कि १९६१ तक मांग बढ़ कर १,३५,००० किलोवाट हो जायेगी क्योंकि इस्पात और फेरो मेंगनीज़ तथा अल्यूमीनियम फैक्टरियों की मांग बढ़ जायेगी, जबकि मुख्य बांध से केवल ८५,००० किलोवाट विद्युत उत्पन्न हो सकेगी। प्रत्यक्षतः इस बात की आवश्यकता है कि मुख्य बिजली घर के नीचे वाले पानी का भी विद्युत बनाने में प्रयोग किया जाये। हीराकुड परियोजना के पहले प्रक्रम पर सम्बलपुर और बोलनगिर पटना जिलों की ४,४८,६०० एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये पानी मिलने लगेगा जिससे खरीफ और रबी दोनों फसलों में ६,७२,९०० एकड़ भूमि में खेती हो सकेगी। महानदी के डेल्टे में सिंचाई का विस्तार करने के लिये एक अलग योजना बनाई गई है जिस पर लगभग १५ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इससे १०.७७ लाख एकड़ उपजाऊ भूमि को पानी मिल सकेगा तथा खरीफ़ और रबी दोनों फसलों में १७,८९,००० एकड़ भूमि में खेती हो सकेगी।

हीराकुड बोर्ड ने योजना मंजूर कर ली है तथा उसे उड़ीसा सरकार और योजना आयोग के पास विचारार्थ भेज दिया है। इस प्रकार हीराकुड परियोजना से २० करोड़ एकड़ की भूमि के लिये नहर का पानी मिलने लगेगा।

पंचवर्षीय योजना में जो नई परियोजनाएं शामिल की गई हैं। उनके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं।

कोसी : कोसी के बारे में बातचीत करने के लिये हाल ही में एक प्रतिनिधि मंडल काठमांडू जा रहा है क्योंकि प्रस्तावित बांध के स्थान––हनुमान नगर––का कुछ भाग नैपाल प्रदेश में भी आता है।

चम्बल : राजस्थान और मध्य भारत की सरकारों की प्रार्थना पर एक नियंत्रण बोर्ड बनाया जायेगा जिसमें केन्द्र के भी प्रतिनिधि होंगे। इससे दोनों राज्यों में अधिक समायोजन हो सकेगा।

कोयना : विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने हाल ही में परियोजना का उस स्थान पर जा कर अध्ययन किया है और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

रिहांद : रिहांद पर प्रारम्भिक कार्य आरम्भ हो गया है तथा टी० सी० एम० से एक समझौता भी हो गया है जिसके अनुसार उन्होंने परियोजना के लिये उपकरणों के वास्ते ८५ लाख डालर और यदि विशेषज्ञों

[श्री नन्दा]

की आवश्यकता पड़ी तो २५ लाख डालर और देने के लिये कहा है।

कृष्णा : विभिन्न वैकल्पिक योजनाओं पर आन्ध्र और हैदराबाद सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

ग्राम्य विद्युतीकरण : ग्राम्य क्षेत्रों तक विद्युत ले जाने की समस्या पर योजना आयोग और मंत्रालय विचार कर रहा है। हाल ही में राज्य सरकारों को एक पत्र भेजा गया है जिसमें राज्यों को ऋण रूपी सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया है जिससे वे उन सामूदायिक परियोजना क्षेत्रों तक विद्युत पहुंचा सकें जहां स्थानीय हुनर और साधनों का विकास कार्यक्रम के लिये, रोजगार बढ़ाने के लिये प्रयोग किया जा सकता है। १०,००० या इससे अधिक आबादी वाले ग्राम्य क्षेत्रों के आसपास के छोटे छोटे कस्बों तक विद्युत पहुंचाने के लिये भी यह ऋण दिया जा सकेगा।

यह बात तो माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार करने का काम आरम्भ हो गया है।

मैंने यह भी सोचा था कि मैं सदन को इस सम्बन्ध में सूचना दे दूं कि विभिन्न कमेटियों द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने में मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है। परन्तु क्योंकि ऐसा करने में अधिक समय लग जाने की सम्भावना है इसलिये मैं इसका उल्लेख अपने उत्तर में करूंगा।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है क्या वह उसकी एक प्रति सदस्यों में परिचालित करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री नन्दा : जी हां।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : यद्यपि माननीय मंत्री ने नदी घाटी परियोजनाओं की प्रगति का अवलोकन किया है किन्तु उन्होंने राव कमेटी की उपपत्तियों और सिफारिशों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। पिछले सत्र में नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में जो आलोचना की गई थी वह बहुत कुछ ठीक निकली है। राव कमेटी ने भी विरोधी दल द्वारा कही गई बातों का समर्थन किया है। दामोदर घाटी निगम में जो गड़बड़ी हुई है उसका मुख्य कारण मुख्य इंजीनियर का नियुक्त न किया जाना है। निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष ने ऐसा जान कर किया था, क्योंकि उनका विचार था कि वह स्वयं मुख्य इंजीनियर का काम कर सकते थे। यद्यपि अब सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि ऐसा करना गलती थी किन्तु यह कहीं अच्छा होता यदि यह बात पहले ही मान ली गई होती। कमेटी की रिपोर्ट में बतलाया गया है कि डालर की कमी होने के कारण मुख्य इंजीनियर को नहीं रखा जा सका था। ससे स्पष्ट हो जाता है कि सिंचाई और विद्युत मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में तनातनी चल रही थी। राव कमेटी ने दामोदर घाटी निगम अधिनियम को सैद्धान्तिक दृष्टि से ठीक पाया है तथा उसकी राय में ऐसे अधिनियम अन्य नदी घाटी परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी बनाये जाने चाहियें।

राव कमेटी ने इस मामले की पूरी तरह से छानबीन की है तथा उसने बताया है कि दामोदर घाटी निगम को १ करोड़ ६४ लाख रुपये का धोखा दिया गया है। इसमें ग्रुनर ब्रदर्स नामक स्विस कम्पनी, निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों का हाथ था। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने अपराधियों को दंड देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? मैं राव कमेटी की रिपोर्ट में से कुछ पढ़ कर सुनाता हूं।

श्री टी० एन० सिंह : श्रीमान, क्या कोई सदस्य गुप्त कागजात को पढ़ कर यहां सुना सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को रिपोर्ट की कापी कहां से मिली ?

श्री नन्दा : हमने यह मान लिया था कि रिपोर्ट की प्रति सदन-पटल पर रख दी जायेगी तथा जैसा कि आम तौर पर होता था हमने उसे परिचालित कर दिया था मगर साथ ही यह भी हिदायत दे दी थी कि इसे तब तक प्रकाशित न किया जाये जब तक यह सदन-पटल पर न रख दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इसका यह अर्थ हुआ कि माननीय सदस्य ने वह प्रति कानूनी तरीके से प्राप्त की है । जब ग़लती की गई तो उसके परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे । मैं माननीय सदस्य को रिपोर्ट में से पढ़ने पर मना नहीं कर सकता । हां, एक बात हो सकती है कि माननीय सदस्य अक्षरशः पढ़ने की बजाय अपनी दलीलें उस पर आधारित कर सकते हैं ।

श्री मेघनाद साहा : मुझे आपका निर्णय स्वीकार है ।

पहले कोनार परियोजना पर ४ करोड़ खर्च करने का अनुमान लगाया गया था किन्तु अब वह बढ़ कर ८ या ९ करोड़ रुपये हो गया है । मेरे विचार में इस सम्बन्ध में भी लगभग ४ करोड़ का धोखा दिया गया है । इसकी जांच की जानी चाहिये ।

राव कमेटी ने दामोदर घाटी को भारत की "रुहर घाटी" बताया है । वहां पर लोहा, कोयला तथा अन्य सभी आवश्यक खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं । लेकिन रेलवे बोर्ड की राय में दामोदर घाटी में यातायात के सम्बन्ध में बहुत दिक्कत है अतः इस घाटी के विकास में और कदम न बढ़ाया जाये । मैं कहता हूं कि जब इस घाटी पर ६० या ७० करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है तो अब उसकी प्रगति रोकने से क्या लाभ । रेलवे बोर्ड को चाहिये कि वह यातायात बढ़ाने की कोशिश करे । लाइनों की कमी हो तो नई लाइनें बिछाये । इस घाटी की प्रगति से देश का नक्शा-ही बदला जा सकता है । अतएव, मेरा निवेदन है कि सिंचाई मंत्री, जो योजना मंत्री भी हैं, इस ओर ध्यान दें ।

नदी घाटी योजनाओं में से कोई भी व्यवस्थित ढंग पर नहीं है । इंजीनियरों का यह नारा कि वे विश्व के सबसे ऊंचे बांध बना रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बुरा है ।

हिमालय पर्वत नवीन है और उसकी चट्टानें निर्बल हैं । उन पर आप बहुत ऊंचा बांध नहीं बना सकते । यही कारण है कि भाकड़ा नांगल योजना में इतना अधिक धन व्यय हो रहा है, और हम कोसी में अति उच्च बांध की बात कर रहे थे परन्तु अन्त में उसे छोड़ कर बहुत छोटे बांध की योजना बनानी पड़ी । हमें इंजीनियरों के साथ साथ भूगोलवेत्ताओं की सहकारिता प्राप्त करनी चाहिये । हमने परिमाप की उपयुक्त जांच के बिना अति शीघ्र योजनाएं आरम्भ कर दी हैं । मेरा विचार है कि इन योजनाओं के फलस्वरूप धन लाभ में बहुत देर लगेगी क्योंकि विभिन्न योजनाएं स्थापित करने और उनके प्रयोग में बहुत देर लग जाती है । तुगभद्रा योजना में सिंचाई की परियोजनाएं तीन वर्ष पश्चात् तैयार हुई थीं । दामोदर घाटी योजना में नहरें बनने के बहुत समय पश्चात् सिंचाई योजनाएं बनेंगी । आवश्यकता यह है कि विद्युत इत्यादि के निर्माण के साथ साथ उसके प्रयोग की योजनाएं भी तैयार हों ।

[श्री मेघनाद साहा]

अन्त में मैं एक यह बात कह देना चाहता हूं कि हम नदी घाटी योजनाओं के सम्बन्ध में केवल अमरीका की ओर निर्देश करते हैं। परन्तु रूस ने भी कई बहुपरियोजनीय नदी घाटी योजनाएं तैयार की हैं। वोल्गा की बड़ी नदी की कई झीलें बना कर उसे नौ-चालन और सिंचाई के उपयुक्त बनाया गया है। हमें रूस में अपने विशेषज्ञ भेजने चाहियें। हमारे इंजीनियरों ने अब बहुत सीख लिया है और मेरा विचार है कि हमें अब विदेशी विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता नहीं। नदी घाटी योजनाओं से हमारी बहुत आशाएं बंधी हुई हैं। हमें पुरानी गलतियों से कुछ सीखना चाहिये और इन योजनाओं को व्यवस्थित करना चाहिये।

श्री एल० एन० मिश्र (दरभंगा व भागलपुर) : हमारी राष्ट्रीय योजना में देश के कृषि और विद्युत संसाधनों को बढ़ाने के लिए बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं को बहुत महत्व दिया गया है। इन परियोजनाओं से न केवल भूख की मूल समस्या का हल मिलेगा वरन् देश के उद्योग का आधार भी दृढ़ होगा।

हमारी राष्ट्रीय योजना की १४० सिंचाई योजनाओं और सौ विद्युत परियोजनाओं से ८५ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई और १०.८ लाख किलोवाट अतिरिक्त विद्युत प्राप्त होने की आशा है जिससे अन्न के उत्पादन में २१ लाख टन की वार्षिक वृद्धि होगी। इस योजना के पूरे होने पर देश को बहुत लाभ होगा।

मैं अनुभव करता हूं कि सिंचाई की बहु-प्रयोजनीय योजनाओं में संतोषजनक प्रगति हुई है और विद्युत के सम्बन्ध में भी जितनी आशा थी उससे अधिक प्रगति हुई है। हमें त्रुटियां निकाल कर आलोचना करना सुगम है। परन्तु सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय को यह श्रेय है कि उसने अपने कार्य में बहुत शीघ्र प्रगति की है। १९४८ में इस दिशा में नियमित प्रयास आरम्भ हुआ था। उस समय बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा क्योंकि स्थान-वर्णन और जलविज्ञान संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त हमारे इंजीनियर इतनी बड़ी नदी घाटी योजनाओं के लिये नये थे। उन द्वारा कहीं कहीं गलतियां होना स्वाभाविक था।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय एक और कार्य के लिए श्रेय का अधिकारी है। उस ने नदी घाटी योजनाओं से सम्बन्धित इंजीनियरों की गोष्ठियां आरम्भ की हैं। इन गोष्ठियों से, सामग्री नष्ट होने के कारण उत्पन्न होने वाली आर्थिक समस्याओं का हल प्राप्त होगा और सब विभागों में समन्वय उत्पन्न होगा। इस के अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों की नदी घाटी परियोजनाओं के कार्य में संसद के सदस्यों को साथ रखने के लिए मैं आभार प्रगट करना चाहता हूं। इस से बहुत सी गलत धारणाएं दूर हो सकेंगी।

सदन में और बाहर वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में यह शंकाएं प्रकट की गई हैं कि योजना के इस पहलू के लिये ७६५ करोड़ रुपये की राशि नियत करना कहां तक वांछनीय है। परन्तु यह कहने से पूर्व, यह अनुभव करना चाहिये कि नदी घाटी परियोजनाओं में बहुत परिवर्तन हो चुका है। पहले केवल बांध और नहरों की रचना होती थी परन्तु अब बड़े बांध और जलाशय बनाए जा रहे हैं। बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं के अनुभव के फलस्वरूप विश्व में इन के प्रति नई निष्ठा उत्पन्न हुई है और इसलिए विश्व इन्हें अपना

नदी घाटी परियोजनाओं के प्रत्यक्ष वित्तीय लाभों का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं। बाढ़ों के नियंत्रण और कृषि उत्पादन तथा विद्युत की वृद्धि द्वारा अप्रत्यक्ष लाभों का पता लगाने के लिए दूरदर्शिता की आवश्यकता है। सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि इन परियोजनाओं से खाद्यान्न की गहरी समस्या हल हो जायगी और हम प्रति वर्ष १५० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त करेंगे।

सुधार कर की बहुत आलोचना की गई है। मैं नहीं समझ सका कि इस आलोचना में क्या औचित्य है। यह कर उस अतिरिक्त आय पर लगाया जाता है जो राज्य द्वारा सिंचाई इत्यादि के रूप में दी गई सुविधाओं के कारण समाज को प्राप्त होता है। हमारे देश में नदी घाटी परियोजनाओं की उपयोगिता को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को चाहिये कि इस कर को लोकप्रिय बनाए। विदेशों में परियोजनाओं द्वारा भूमि की उपज बढ़ जाने से लाभ प्राप्त करने वाले लोगों ने स्वेच्छा से यह कर दिया है। अमरीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इत्यादि बाहर के देशों में सुधार कर किसी न किसी रूप में है। कुछ देशों में एक समान दरें हैं और कुछ में मूल्यानुसार करारोपन की व्यवस्था है। सिंचाई की सुविधाओं से हमारी कृषि प्रकृति की इच्छा पर निर्भर नहीं रहेगी अपितु हम वैज्ञानिक आधार पर उनका ठीक अनुमान लगा सकेंगे। इस से प्राप्त होने वाले लाभ के बहुत कम अंश को कर भार का रूप दिया गया है। इस लिए मैं समझता हूं कि प्रत्येक नागरिक को इस उचित मांग का समर्थन करना चाहिये।

कोसी नदी के सम्बन्ध में ४० करोड़ की योजना स्वीकार करने के लिए मैं भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूं। उस प्रदेश के लाखों लोग बहुत प्रसन्न हैं और उत्कंठा से उस नव प्रभात की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब कोसी की बाढ़ों के कारण उत्पन्न होने वाली तबाही और दुःख की कहानियों का अन्त हो जायेगा।

परन्तु मैं यह शिकायत करने के लिए बाध्य हूं कि इतने बड़े कार्य के लिए जितनी गंभीरता की आवश्यकता है वह दिखाई नहीं देती।

६ म० प०

इसे आरम्भ करने में बहुत देर की गई है। काम के लिए एक महीना बाकी रह गया है। जून में कोसी में बाढ़ आ जाती है तब अक्तूबर तक कोई कार्य नहीं हो सकेगा। इस लिए मेरा अनुरोध है कि यह शीघ्र आरम्भ किया जाये। मुझे ज्ञात है कि अभी तक परियोजना के कार्य निष्पादन के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई और औपचारिक वित्तीय मंजूरी नहीं दी गई है। मंत्री ने कहा है कि नेपाल की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये एक शिष्टमंडल वहां जा रहा है। मेरा विचार है कि नेपाल सरकार की स्वीकृति पहले ली जानी चाहिये थी। बिहार-नेपाल सीमा के दूर के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य के स्थान पर इतनी अधिक मात्रा में सामग्री ले जाने के लिए ट्राम तथा रेल की पटरी का भी उपबन्ध नहीं किया गया है।

सब से अधिक शोचनीय बात यह है कि कोई मुख्य इंजीनियर भी चुना अथवा नियुक्त नहीं किया गया है। ऐसी बड़ी परियोजनाओं का सफल कार्य निष्पादन मुख्य इंजीनियर और कार्य व्यवस्था पर निर्भर है। अभी तक इन दो मूल बातों की व्यवस्था नहीं की गई है। यह कहा गया था कि कोसी नियंत्रण बोर्ड भाकड़ा-नांगल या हीराकुड के समान बनाया जायेगा। मुझे यह व्यवस्था प्रणाली अपनाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

[श्री एल० एन० मिश्र]

मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि बिहार को इतनी बड़ी नदी घाटी परियोजना का कोई अनुभव नहीं है। इस लिए यह कार्य उस पर छोड़ देना उचित नहीं होगा। मेरा अनुरोध है कि वित्तीय तथा टेकनिकल मामलों का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर रहना चाहिये।

इसी सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि प्राक्कलन समिति ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को जो नदी घाटी परियोजना का कार्य करने से रोक दिया है यह ठीक नहीं है। इस प्रश्न पर पुनर्विचार कर के उसे ऐसी बड़ी परियोजनाओं का कार्य करने देना चाहिये जो किसी राज्य सरकार के लिए कठिन हों।

मेरे राज्य के कुछ समाचार पत्र बिहारी और गैर-बिहारी लोगों की नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में प्रचार कर रहे हैं। सरकार को इस से भयभीत नहीं होना चाहिये क्योंकि कोसी इलाके के लोगों को कार्यकौशल से रुचि है और उन्हें इस से कोई मतलब नहीं कि इंजीनियर अथवा ओवरसीयर कौन है। हम चाहते हैं कि परियोजना का सफल निष्पादन हो।

इस बात से कार्य में कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिये कि किसी घाटी परियोजना के प्रदेश में विद्युत उपभोग के लिए उद्योग नहीं हैं। क्योंकि मेरा विश्वास है कि मांग तभी होगी जब संभरण होगा। विश्व विद्युत सम्मेलन के वियना भाग में यह पता लगा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपभोग अधिक लोकप्रिय हो रहा है। हमारे देश में भी इस की मांग अधिक बढ़ सकती है।

नदी घाटी परियोजनाओं में लोगों की सहकारिता भी प्राप्त करनी चाहिये। लोगों में उत्साह है परन्तु उस का उपयोग करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं ने कोसी के लिए लोगों से मांग की कि वे स्वेच्छापूर्वक श्रम करें, और इस के उत्तर में लोगों ने जो उत्साह दिखाया, उस की आशा ही नहीं की जा सकती थी। लोकतन्त्रात्मक राज्य में लोगों और राज्य के बीच साझेदारी द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्निर्माण में सफलता आवश्यंभावी हो सकती है।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : मैं सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

मुझे यह देख कर बहुत प्रसन्नता होती है कि सिंचाई की अधिक सुविधाओं के उपलब्ध होने से हमारे खाद्य उत्पादन तथा कृषि सम्बन्धी कच्ची वस्तुओं के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुछेक परियोजनाओं के पूरा होने से बहुत से क्षेत्रों को लाभ पहुंचा है। हमारी पंच वर्षीय योजना का मुख्य ध्येय कृषि सम्बन्धी उत्पादन का बढ़ाना है। अतएव यह ठीक ही है कि योजना-निर्माताओं ने बाढ़ के नियन्त्रण तथा बाढ़ से होने वाली तबाही की रोक थाम पर अधिक ध्यान दिया है। परन्तु खेद है कि देश के अकाल पीड़ित क्षेत्रों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री को मालूम है कि बम्बई राज्य में विशेषत: पंचमहल में अहमदनगर, शोलापुर, बीजापुर तथा आंध्र राज्य में रायलसीमा में सदैव दुर्भिक्ष रहता है। इस क्षेत्र पर प्रथम पंच वर्षीय योजना में ध्यान दिया जाना चाहिये था। इन क्षेत्रों की हालत बहुत खराब है। महाराष्ट्र के आठ जिलों के लोगों ने हाल में बहुत कष्ट उठाये हैं। अतएव मेरा यह विनम्र निवेदन है कि इन विपत्तियों से लोगों को बचाने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जाना चाहिये। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद दुर्भिक्ष पीड़ित लोगों को इन

कठिनाइयों से बचने की बहुत कुछ आशा बंध गई थीं, परन्तु उन के कष्टों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

निस्सन्देह इन क्षेत्रों में बड़ी अच्छी परियोजनायें चल रही हैं, परन्तु मूला तथा कुकड़ी जैसी सिंचाई की बड़ी योजनाओं की नितान्त आवश्यकता है । कुकड़ी परियोजना से पूना, अहमदनगर तथा शोलापुर आदि जिलों को दुर्भिक्ष से बचाया जा सकता है परन्तु इस दिशा में बहुत कम काम किया गया है । इस क्षेत्र में पिछले वर्ष भी दुर्भिक्ष रहा है तथा इस वर्ष भी दुर्भिक्ष है । स्वयं अहमदनगर में लाखों रुपये पानी की कठिनाई को दूर करने पर खर्च किये जा रहे हैं दूसरे तालुकों तथा ग्रामों में भी यही कठिनाई है ।

इस के अतिरिक्त घोड़ानदी परियोजना भी है जिस से दो जिलों के नौ या दस तालुकों को लाभ पहुंच सकता है । यदि दो बार भी वर्षा हो जाय तो इन तालुकों से बहुत अधिक फसल मिल सकती है । कुकड़ी को दक्षिण का अन्न-भण्डार कहा जाता है, परन्तु खेद है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । जब तक इस योजना को पूरा नहीं किया जाता है, इस क्षेत्र के लोगों के कष्ट दूर नहीं होंगे । वह पिछले कितने ही वर्षों से विपत्तियों को झेलते आ रहे हैं । अतएव योजना मंत्री तथा सिंचाई मंत्री से मेरी यह प्रार्थना है कि वह इन परियोजनाओं की ओर विशेष ध्यान दें ।

संक्षिप्त विवरण में मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि दुर्भिक्ष से प्रायः पीड़ित क्षेत्रों के लिए स्थायी प्रबन्धों के किये जाने पर भी ध्यान दिया जायगा । मेरा विचार है कि इस काम को केन्द्र द्वारा किया जाना चाहिये, क्योंकि बम्बई सरकार के पास इतना रुपया नहीं है । मैं चाहता हूं कि सरकार इन परियोजनाओं की ओर ध्यान दे क्योंकि ये दुर्भिक्ष से प्रायः पीड़ित क्षेत्रों के मध्य में स्थित हैं ।

इस के अतिरिक्त आन्ध्र तथा बन्दरधारा की जल विद्युत योजनायें भी हैं । यदि इन पर तीन या चार करोड़ रुपये की साधारण धन राशि व्यय की जाय तो नासिक, अहमदनगर तथा खानदेश जिलों के अनेक ग्रामों को बिजली मिल सकेगी । यह एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिस में आदिवासी बसते हैं । यह एक आवश्यक बात है कि इस क्षेत्र को ऐसी योजनाओं से सहायता दी जाय जिस से वहां के उद्योगों का विकास हो सके । जब तक केन्द्र से वित्तीय सहायता नहीं मिलती, इन का पूरा होना सम्भव नहीं है ।

इस के बाद मुझे यह कहना है कि सामुदायिक परियोजनाओं से बहुत कुछ लाभ हुआ है । इन से कई हज़ार एकड़ भूमि में कृषि हुई है । हमारे राज्य में इन की संख्या थोड़ी होने पर भी कृषि के विकास में इन से बहुत सहायता मिली है । लोग अब पहले से अधिक समृद्ध हैं तथा प्रसन्न हैं ।

मुझे प्रसन्नता है कि सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय इस दिशा में बहुत काम कर रहा है, यदि वे केवल दुर्भिक्ष से प्रायः पीड़ित क्षेत्रों की ओर कुछ अधिक ध्यान दे तथा वहां की ग़रीब दुखियारी जनता का अधिक ख़याल रखें तो उन्हें कष्ट, रोग तथा भूख से बचाया जा सकता है । माननीय मंत्री से मेरा इतना ही निवेदन है ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा): मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र के प्रति नितान्त उपेक्षा दिखाई जाने के बारे में अपने भावों को व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

निस्सन्देह बड़ी बड़ी बहुप्रयोजनीय योजनाओं को खाद्य के सम्बन्ध में स्वावलम्बता

[श्री राघवाचारी]

प्राप्त करने के लिए चलाया गया है परन्तु इतनी बड़ी योजनाओं के काम को बिना कोई उचित अनुसंधान किये तथा बिना वित्तीय बाध्यताओं की सीमा का विचार किये आरम्भ कर दिया गया है। सबसे बड़ी योजनाओं को बहुत शीघ्रता में चलाया गया है। स्वाभावतः परिणाम यह हुआ है कि बाद में टैक्नीकल परामर्श की आवश्यकता पड़ी जिससे मूल प्ररेचना आदि सभी को बदलना पड़ा है। इससे जनता के धन की बहुत हानि हुई है। एक बात और भी है। जैसा कि वित्त मंत्री ने स्वयं पिछले वर्ष स्वीकार किया था, शीघ्रता से करोड़ों रुपये के व्यय वाली परियोजनाओं के आरम्भ कर देने से योजना-निर्माण के अग्रेतर कार्य में भी बहुत कठिनाई उपस्थित हो रही है। इससे योजना के दूसरे पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना अनिवार्य है।

पिछले दो वर्षों में उत्तर भारत की परियोजनाओं के सम्बन्ध में धन के व्यर्थ नाश होने की सदन में काफ़ी आलोचना हो चुकी है। मैं इंजीनियरों या दूसरे व्यक्तियों को दोष नहीं देना चाहता हूं परन्तु मेरी अपनी धारणा यह है कि दक्षिण की बड़ी परियोजनाओं में—उदाहरणार्थ तुंगभद्रा के सम्बन्ध में—इस प्रकार का धन का नाश या कुप्रबन्ध देखने में नहीं आया है। निश्चय ही इसके लिए इंजीनियरों तथा कर्मचारियों की प्रशंसा की जा सकती है।

देश का सौभाग्य है कि अब सरकार ने छोटी तथा मध्यम योजनाओं पर अधिक ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया है। छोटी योजनाओं के बारे में कुछ कहने से पहले मैं एक दो शब्द आन्ध्र राज्य के बारे में कहना चाहता हूं। पंचवर्षीय योजना में 'कृष्णा' सम्बन्धी परियोजना शब्द आते हैं। दुःख की बात है कि इस मामले में निहित स्वार्थों के कारण यह परियोजना कागज़ पर ही चली आ रही है। इस सम्बन्ध में अभी तक अनुसंधान कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। अब श्री खोसला ने जनता की शिकायत में कुछ औचित्य देखा है तथा मैं माननीय मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने हमें उनके सामने तथ्य रखने का अवसर दिया है। 'परियोजना' के सम्बन्ध में मेरा अपना विचार है कि 'नंदीकोंडा' परियोजना का आरम्भ करना सबसे अधिक अच्छा रहेगा। इन परियोजनाओं को प्राप्त अभ्यावेदन पत्रों के प्रकाश में परिवर्तित रूप में लिया जाना चाहिये। ऐसा करने में सम्भव है कि दोनों सम्बन्धित सरकारें तथा अन्त में योजना आयोग सहमत हो जाये। इस परियोजना को सम्बन्धित सरकारों द्वारा साझी परियोजना के रूप में पूरा किया जाना चाहिये। यदि कृष्णा नदी के व्यर्थ जाने वाले जल से इस परियोजना को पूरा कर दिया जाय तो देश के इस भाग की एक बड़ी आवश्यकता पूरी हो सकेगी।

मैं सब से अधिक तुंगभद्रा परियोजना के महत्व पर ज़ोर देना चाहता हूं। सर्वप्रथम मेरी यह शिकायत है कि कई वर्ष पहले आरम्भ होने पर भी इसे पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है। परन्तु अधिक दुर्भाग्य की बात तो यह है कि यद्यपि जल जमा कर लिया गया है, परन्तु सिंचाई के लिए काफ़ी ज़मीन तैयार नहीं की गई है। सरकार को अधिक क्षेत्र में खेती करके इस समस्या को हल करने की चेष्टा करनी चाहिये। यदि आवश्यक हो तो इस मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की जा सकती है। मेरे विचार से तो ऐसी समिति की आवश्यकता है। वहां के बड़े बड़े ज़मींदार अब इसमें और धन-विनियोग नहीं करेंगे।

अब मैं के० सी० नहर के सम्बन्ध में कुछ किये जाने पर ज़ोर देना चाहता हूं। भट्टाचार्य समिति तथा खोसला समिति ने सिफारिश की है कि के० सी० नहर में ३००० कुसैक्स जल आना चाहिये। मुझे बताया गया है कि विद्यमान सामर्थ्य भी दो से ढाई लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। अब जबकि तुंगभद्रा बांध के बनने से काफ़ी जल उपलब्ध हो सकता है तो इस बारे में शीघ्र ही कोई फैसला हो जाना चाहिये।

एक और बात मुझे तुंगभद्रा की ऊंची नहर के बारे में कहनी है। तुंगभद्रा की एक बहुप्रयोजनीय योजना है। इससे ढाई लाख एकड़ अकालग्रस्त क्षत्र की सिंचाई की जाने की आशा की जाती है। बिना इस नहर के पूरा किये मेरे ज़िले को जल की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। इस पर दस करोड़ रुपये व्यय आयगा। मैंने सुना है कि मैसूर सरकार इसके लिए कोई उत्साह प्रकट नहीं कर रही है। ऐसा होते हुए भी हमें इस नहर के बनाने के वचन को पूरा करना चाहिये। तुंगभद्रा से इतना जल मिल सकता है कि इससे न केवल ढाई लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है बल्कि नंदीकोटा परियोजना के लिए भी काफ़ी जल मिल सकता है।

भाषण समाप्त करने के पहले एक बात मैं और कहना चाहता हूं। तुंगभद्रा बांध तथा के० सी० नहर के मोड़ के बीच रज़ूला बन्दा की एक और परियोजना है। हैदराबाद सरकार ने वास्तव में एक बांध तैयार भी कर लिया है। अब यदि इसके बायें किनारे पर प्रस्तावित नहर खोदी जाय तो ८०,००० एकड़ भूम की सिंचाई हो सकेगी।

छोटी परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी मुझे एक बात कहनी है। आन्ध्र राज्य में २८ में से १७ परियोजनाओं को लिया गया है। आपको अनुमानित ४० करोड़ रुपये के व्यय के ५० प्रतिशत तक का अर्थ-सहाय्य देना होगा। केवल इसी तरह देश के इन अकालग्रस्त भागों को बचाया जा सकेगा।

श्री के० सी० जेना (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति जी, आपने मुझे इस हाउस में जो बोलने का आज अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं मिनिस्ट्री आफ इरीगेशन एण्ड पावर की जो डिमांडस हाउस के सामने स्वीकृति के लिये पेश हैं, उनका समर्थन करते हुए कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

अभी हमारे देश को स्वतन्त्रता प्राप्त किए हुए केवल ७ वर्ष ही हुए हैं और अभी वह बच्चा ही है और उस के सामने अनेक समस्यायें हैं जिन को कि उसे हल करना है। मैं समझता हूं कि यह जो प्लान इरीगेशन एण्ड पावर का है, इस से देश में बहुत कुछ उन्नति हो सकती है और आज जो बेकारी की समस्या हमारे देश के सामने भयंकर रूप में खड़ी है, उस को हटाने के लिये यह एक सफल उपाय और तरीक़ा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बालासोर ज़िले में कम्युनिटी प्रोजेक्टस का काम हो रहा है और इस काम को चलते देख कर मुझे बहुत संतोष और आनन्द होता है। मैं देखता हूं कि उधर नये रास्ते बनाये जा रहे हैं, कुएं खोदे जा रहे हैं और स्कूल खोले जा रहे हैं यह सब काम हो रहा है और उस सब को होता देख कर मेरा हृदय आनन्द से भर जाता है और एक गर्व का भी अनुभव करता हूं कि हमारे देश में एक नये जीवन की हवा फैल रही है।

अब जो एक हमारी कठिनाई है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कठिनाई यह है कि वहां पर प्रोजेक्ट एरिया में बाहर से आदमी लाकर रखे जाते हैं। खास करके वे

[श्री के० सी० जेना]

हमारे विलेज लेवल वर्कर के काम आसानी से नहीं कर सकते हैं, जो लोग वहां पर अंचल में रहते हैं वे उधर के सवालों को और उधर की ज़रूरतों को आसानी से समझ सकते हैं। उधर के लोगों को विशेष कर्मी बनाना चाहिये। जब बाहर से आदमियों को लाकर वहां रखा जाता है तो उनको तकलीफ होती है। उन लोगों को यह समझने में देर लगती है कि वहां की क्या ज़रूरतें हैं। इस सम्बन्ध में एक बात और कह देना चाहता हूं कि वहां के ग्रामवासियों में कोई ढीलापन नहीं है। जो भी ढीलापन है वह सरकार की तरफ़ से है। जब हम किसी अफसर से कुछ पूछते हैं तो वह कहता है कि हम क्या करें, यहां की शासन प्रणाली जो है वह ऐसी ही है। मैं ऊपर के अफ़सरों के पास लिखूंगा। उनसे सैंक्शन आयेगा, रुपया पैसा आयेगा, तभी तो हम बनायेंगे। इस कारण से हमारा काम जरा पीछे पड़ जाता है। जितने काम की हम आशा करते हैं उतना काम नहीं हो पाता है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अकसर यह कहा करते थे कि उड़ीसा के लोगों को दूध मिलना कठिन है। किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। मैं देखता हूं कि उड़ीसा के लोग अब प्रोजेक्ट गावों और एरिया में अच्छे सांडों के होने से कुछ दूध पा सकते हैं। इसका इन्तजाम सरकार की तरफ़ से अब ही किया जा रहा है। हमारे यहां प्रोजेक्ट अंचल में डाक्टरखाने भी खोले जा रहे हैं और वहां बीमारों का इलाज हो रहा है। इससे मालूम होता है कि वहां पर नई हवा फैल रही है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हम में से बहुतों के पास चिट्ठियां आती हैं जिनमें कि शिकायतें आती हैं कि जो हीराकुण्ड प्रोजेक्ट उड़ीसा में चल रहा है, जहां तक मुझे पता है हमारी उड़ीसा सरकार यहां से उसके लिये रुपया लोन पर लेती है, उड़ीसा को वह लोन चुकाना पड़ेगा।

मैं समझता हूं कि उड़ीसा के आदमी ऐसे हैं जो इंजीनियर वगैरह नहीं हैं। इसलिये आप बाहर से आदमी बुलाते हैं। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि छोटे छोटे किरानी वगैरह उड़िया लोग जो वहां नौकरी करते हैं उनकी तादाद जो पहले थी वह अब घट गई है। जहां तक मुझे पता है वह आधी के क़रीब हो गई है। मैं माननीय मंत्री से यह प्रार्थना करता हूं कि वह जरा वहां के अधिकारियों के ऊपर कड़ी निगाह रखें ताकि वे भविष्य में ऐसा न करने पायें। कितने आदमी हटाये गये हैं और उनका क्या कसूर है। इसके बारे में मेरे पास शिकायतें आती हैं, लेकिन जो शिकायतें आती हैं उनका मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वह ऐनानिमस आती हैं, गुमनाम आती हैं। इसीलिये मंत्री जी को यह बात नहीं लिख सकता। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर अपना ध्यान ज़रूर दें।

उड़ीसा एक ऐसा सूबा है, जहां पर ख़ास तौर पर धान की प्रधान फसल होती है। आप यह भी जानते हैं कि उड़ीसा में हर साल बाढ़ आती है और उससे धान की फसल खराब हो जाती है। इस बाढ़ को रोकने के लिये हीराकुंड बांध जैसी और योजनाओं को आपको हाथ में लेना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं दो एक सुझाव भी देना चाहता हूं। बालेश्वर जिले में बैतरणी साहलिन्दी प्रोजेक्ट को गवर्नमेन्ट को हाथ में लेना चाहिये। सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट को भी इसी तरह से शुरू किया जा सकता है। इसके लिये तीन राज्य सरकारों, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से सलाह मशविरा करके काम शुरू कर देना चाहिये, क्योंकि इन तीनों का इससे सम्बन्ध है। सेन्ट्रल

गवर्नमेन्ट अगर बाढ़ को रोकने का इतना प्रबन्ध कर दे तो इससे हमारा बहुत लाभ हो सकता है ।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम (बेल्लारी) विरोधी दल के दो सदस्यों में से एक ने तुंगभद्रा परियोजना के इंजीनियरों को बधाई दी है तथा दूसरे माननीय सदस्य ने भाकड़ा नंगल परियोजना के इंजीनियरों को केवल बधाई नहीं दी है बल्कि तथ्यों को अनुचित रीति से मरोड़ तरोड़ कर पेश किया है । एक सदस्य ने हिमालय को नवीन पर्वत होने के कारण भाकड़ा नंगल परियोजना को असुरक्षित बताया है । यह ग़लत है । हिमालय पर्वत बहुत समय से चले आते हैं तथा सदैव वहां रहेंगे । इन परियोजनाओं के लिए ६०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और इस प्रकार से देश के इतिहास के एक शानदार अध्याय को लिखा जा रहा है ।

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, प्रारम्भिक प्राक्कलनों में कुछ ग़लतियां अवश्य हुई हैं । स्पष्टतः इसका कारण यह है कि प्रारम्भ में तथ्यों सम्बन्धी सामग्री तथा अनुभव की कमी थी । इन परियोजनाओं में काम आने वाली मशीनें भी बड़ी जटिल प्रकार की थीं तथा जिन देशों से इनका आयात किया गया था, उनमें इनके मूल्य भी बदलते रहते हैं । इन सब कारणों से प्रारम्भिक प्राक्कलनों को बदलना पड़ा है । हाल में नंगल में एक गोष्ठी हुई थी जिसके निर्णय के आधार पर देश में उपलब्ध योग्यता तथा अनुभव का संग्रह किया जायेगा तथा मशीनों आदि को बेकार नहीं रहने दिया जायेगा । यह सत्य है कि कुछ समय तक ४० प्रतिशत मशीनें ठीक प्रकार के पुर्ज़े न होने के कारण बेकार पड़ी रही थीं, यद्यपि दूसरे क्षेत्रों में पुर्ज़े उपलब्ध थे । इस कारण कुछ विलम्ब हुआ था । हाल ही में यंत्र तथा उपकरण समिति नियुक्त की गई थी जिसका उद्देश्य यंत्रों का मानदण्ड निश्चित करना और उपकरणों तथा पुर्जों को उचित ढंग से रखना और सर्वत्र विभिन्न परियोजनाओं को नियमित रूप से यंत्रों का सम्भरण करना है जिससे कि कार्य में विलम्ब न हो । एक दर समिति भी नियुक्त की गई है जो कि नींव खोदने, मिट्टी भरने, कंकड़ बिछाने इत्यादि सिंचाई सम्बन्धी परियोजनाओं की विभिन्न प्रक्रियाओं के मानदण्ड की दर अनुसूची तैयार करेगी । इससे भविष्य में इन परियोजनाओं के प्राक्कलन तैयार करने और परियोजनाओं को अधिक कुशलता तथा शीघ्रता से बनाने और पूरा करने में बड़ी सहायता मिलेगी ।

जैसा कि मैंने आरम्भ में बताया १९५५–५६ तक लगभग ८५ लाख एकड़ और भूमि में सिंचाई की व्यवस्था किये जाने का अनुमान लगाया गया है । परन्तु मेरे विचार में इसमें एक बाधा होगी । परियोजनाओं तथा बांधों का निर्माण तो निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हो जायेगा, किन्तु भूमि की सिंचाई की व्यवस्था करने में कुछ विलम्ब होगा । यह काम कृषकों को करना होगा और कई बार उनके पास इसके लिये न तो साधन होते हैं और न ही उन्हें इसका ज्ञान होता है । अतः सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि सबसे अधिक ध्यान इस बात की ओर दिया जाना चाहिये जिससे यह कार्य शीघ्रता से हो सके । १९५२–५३ में १८·९ लाख एकड़ में सिंचाई की व्यवस्था की जानी थी, किन्तु केवल १५ लाख एकड़ में ही की जा सकी । बिजली की शक्ति देने का काम तो नियत कार्यक्रम से भी पहले हो गया है, यह प्रसन्नता की बात है । अपने सिंचाई के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार को रैयतों की भूमि बन्धक बैंकों इत्यादि के द्वारा दीर्घकालीन ऋण देकर उनकी सहायता करनी चाहिये । सरकारको इस विषय में सबसे अधिक रुचि लेनी चाहिये

[श्री टी० सुब्रह्मण्यम]

और जहां कहीं आवश्यक हो ट्रैक्टर इत्यादि देकर तथा मज़दूरों द्वारा भी यह काम करवाना चाहिये । इससे बेकारी की समस्या के भी दूर होने की सम्भावना है । मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अतः मैं इस पर पुनः बल देता हूं ।

मेरे मित्र श्री राघवाचारी ने कहा था कि तुंगभद्रा परियोजना के अन्तर्गत उच्चस्तरीय नहर बनाई जानी चाहिये । इस परियोजना पर ४३ करोड़ रुपये व्यय आयेगा और बांध में उच्चस्तरीय नहर के लिये जो फाटक रखा गया है उससे दो लाख एकड़ और भूमि में सिंचाई हो सकेगी । अतः तुंगभद्रा परियोजना से अधिकतम लाभ उठाने के लिये मैं सरकार से इस उच्चस्तरीय नहर के कार्य को आरम्भ करने का अनुरोध करता हूं ।

हमारे देश में १९५० तक १७·२ लाख किलोवाट बिजली पैदा की जाती थी । १९५५-५६ तक सम्भवतः ११ लाख किलोवाट और पैदा होने लगेगी । अब तक ५०,००० और इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों में बिजली पहुंच चुकी है । देश में ५,००० से कम जनसंख्या वाले ५,५९,००० गांव हैं, जिनमें से लगभग २८०० में बिजली पहुंच चुकी है । मेरे विचार में सरकार को गांवों में बिजली पहुंचाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये और इस का लक्ष्य निश्चित करने के लिये एक विशेष अभिकरण नियुक्त करना चाहिये । यदि हमें अपनी कुटीर उद्योग योजना को सफल बनाना है और किसानों को खुशहाल बनाना है तथा गांवों की कृषि में सुधार करना है, तो हमें गांवों में बिजली पहुंचाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

मैं समझता हूं कि वितरक अभिकरणों तथा उपभोक्ताओं के लिये आवश्यक पदार्थों तथा उपकरणों के बनाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये । मैं जानता हूं कि यंत्र तथा उपकरणों के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई समिति बिजली लगाने के लिये अपेक्षित सामग्री के प्रश्न पर भी विचार कर रही है । मेरी यह प्रार्थना है कि ग्रामों में बिजली लगाने के लिये इस काम में भी शीघ्रता की जानी चाहिये ।

प्रत्येक परियोजना में कुछ भवन और कारख़ाने हैं जो काफ़ी पक्के हैं । मेरी यह प्रार्थना है कि इन भवनों को नष्ट न होने दिया जाये बल्कि उन्हें किसी टेकनोलोजिकल या इंजीनियरिंग कालेज अथवा इसी प्रकार की कोई संस्था खोलने के लिये काम में लाया जाये, क्योंकि बहुमुखी परियोजनाओं में ऐसे कारख़ाने भी होंगे जिन का प्रयोग किया जा सकता है ।

प्रविधिक कुशलता को बढ़ाने तथा सारे अनुभव को इकट्ठा करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है । यदि इस विषय में कोई प्रयोग किया जा रहा है, तो मैं यह सुझाव दूंगा कि भारतीय इंजीनियर सेवा का, जो कुछ समय पूर्व समाप्त कर दी गई थी, भारतीय प्रशासन सेवा के ढंग पर पुनर्गठन किया जाये ।

डा० नटवर पांडे : मैं माननीय सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री से भूमि के अधिग्रहण तथा प्रतिकर की समस्या के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं और भूमि के अधिग्रहण, प्रतिकर तथा पुनः संस्थापन की समस्या के बारे में कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं । जब प्रधान मंत्री ने हीराकुण्ड बांध का शिलान्यास किया था तो बड़े बड़े वचन दिये गये थे । किन्तु आठ मास पश्चात् ही अर्थात् ११–१२–१९४८ को उड़ीसा के राजस्व मंत्री ने वहां की विधान सभा में एक विधेयक पुरःस्थापित किया जिसके द्वारा अधिगृहीत भूमि का बाज़ार भाव १९३९ के भाव से ५० प्रतिशत

अधिक निश्चित कर दिया गया। यदि १९३९ का मूल्य देशनांक १०० माना जाये तो १९४८ में मूल्य देशनांक ४०० हो गया था। इससे लोगों में बड़ा असन्तोष फैला। किन्तु उड़ीसा के तत्कालीन राजस्व मंत्री तथा मुख्य मंत्री श्री महताब ने विधान सभा के सदस्यों को यह आश्वासन दिया कि लोगों को अच्छे घर तथा अच्छी भूमि और पर्याप्त प्रतिकर देने के सम्बन्ध में जो वचन दिये गये थे उन्हें पूरा किया जायेगा। वह विधेयक पारित कर दिया गया था, किन्तु अभी तक उनमें से कोई भी वचन नहीं पूरा किया गया है।

इस १९४८ के उड़ीसा अधिनियम १८ में यह दिया हुआ है कि जब किसी व्यक्ति की भूमि का अधिग्रहण किया जाये तो सबसे पहले प्रतिकर का निश्चय भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी तथा उस व्यक्ति के बीच, जिसकी कि भूमि का अधिग्रहण किया गया हो, पारस्परिक समझौते से होगा। यदि वह व्यक्ति असन्तुष्ट रहे या दोनों के बीच कोई समझौता न हो सके, तो वह मामला किसी निर्णायक को सौंपा जायेगा। निर्णायक बाज़ार भाव से अधिक प्रतिकर नहीं दे सकता है और निर्णायक का नियत बाजार भाव उसके मूल्य तथा उसके ५० प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। सरकार ने सरकारी अधिसूचना द्वारा भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी को एक रुपया लगाने वाले भूमि के टुकड़े के लिये २८८ रुपये से ५०० रुपये तक प्रतिकर देने की छूट दे दी थी और रैयत की भूमि में से उसे इसमें से भी सरकार और भूस्वामी के भाग के रूप में २० प्रतिशत काट लेना होता था। भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी को इतनी अधिक छूट देने से बहुत असन्तोष, भेदभाव और भ्रष्टाचार फैला। १९३२-३३ में सरकार ने सम्बलपुर जिले में एक रुपया लगान वाली अधिगृहीत रैयती भूमि के लिये १९२ रुपये पर्याप्त प्रतिकर निश्चित किया था। १९४ में इसमें ५० प्रतिशत जोड़ कर यह २८८ रुपये की राशि निकाली गई।

यदि किसी व्यक्ति और भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी में समझौता न हो तो उसका मामला निर्णायक को सौंपा जाने को था और यद्यपि भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी एक रुपया लगान वाली भूमि का २८८ रुपये से ५०० रुपये तक प्रतिकर दे सकता है, किन्तु निर्णायक को २८८ रुपये से एक पाई अधिक देने का अधिकार नहीं है। यह आप देख सकते हैं कि यह कितना अन्यायपूर्ण है।

इससे हीराकुण्ड बांध से प्रभावित क्षेत्र के लोगों में बड़ा असन्तोष फैला हुआ है। आपको विश्वास नहीं होगा कि जमदा नामक गांव में जहां कि इस समय हीराकुण्ड की बस्ती बसी हुई है एक एकड़ भूमि के लिये १८ रुपये १२ आने तक प्रतिकर दिया गया है। बेचारे अनपढ़, आदिवासी ग्रामीणों की सरलता से अनुचित लाभ उठा कर उन से अंगूठे लगवा कर उन्हें नाममात्र राशियां दे दी गई हैं।

आरम्भ में ८४,९६० एकड़ कृषि योग्य तथा ६५,००० अकृषि योग्य भूमि के लिये कुल ५३७ लाख रुपये प्रतिकर का अनुमान लगाया गया था। संशोधित प्राक्कलनों के अनुसार १,४२,२९० एकड़ कृषि योग्य तथा ६५,६२४ एकड़ अकृषि योग्य भूमि १,२४७ लाख रुपये का प्रतिकर देकर जलमग्न कर दी जायेगी। यदि सरकार उपरोक्त ढंग से कार्य करेगी तो वह बहुत थोड़े प्रतिकर से काम चला लेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि उड़ीसा सरकार हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है और मुझे आशा है कि आप उड़ीसा सरकार से इस असन्तोष को दूर करने के लिये कहेंगे।

पुनर्वास के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हीराकुण्ड बांध परियोजना

[डा० नट्वर पांडे]

लिये जिनकी भूमि ले ली गई है वे उतनी ही उपजाऊ भूमि खरीदना चाहते हैं, किन्तु इसमें दो बाधायें हैं :

(१) इस समय भूमि का बाज़ार भाव बहुत बढ़ा हुआ है; और (२) सम्बलपुर जिले में रैयती भूमि, जो सम्बलपुर जिले की कृषि योग्य भूमि की तीन-चौथाई है अपरिवर्तनीय है। अतः इससे उन लोगों को बड़ी कठिनाई होती है।

यदि उन्हें भूमि तथा घर के लिये स्वयं ही अन्यत्र व्यवस्था करने के लिये न कहा जाये, तो उन्हें अन्यत्र भूमि देने का विकल्प ही शेष रह ही जाता है। इसके लिये विभिन्न कृष्यकरण केन्द्रों में बड़े परिश्रम से भूमि कृषि योग्य बनाई जा रही है। किन्तु वहां की भूमि इतनी उपजाऊ नहीं है अतः लोग वहां जाना नहीं चाहते हैं। अधिकारियों का यह कहना ठीक नहीं है कि लोगों को अपने घरों से बहुत मोह है, अतः वे अन्यत्र जाना नहीं चाहते हैं। १९५० में सरकार ने हीराकुण्ड से चार मील दूर लाम डुंगरी कृष्यकरण केन्द्र में परीक्षण के तौर पर छः एकड़ में धान बोया था, किन्तु वहां अनाज का एक दाना भी नहीं हुआ।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं माननीय सदस्य को इस प्रकार भाषण पढ़ने की आज्ञा नहीं दे सकता हूं। उनका समय समाप्त हो गया है वे अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री एस० सी० देव (कचार लुशाई पहाड़ियां) : मैं माननीय योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री को बधाई देता हूं और उनकी मांगों के समर्थन के साथ साथ एक-दो बातें कहना चाहता हूं :

एक सर्वहितकारी राज्य तथा मिश्रित अर्थ व्यवस्था को विकसित करने के लिये हमें छोटे तथा बड़े उद्योगों के विकास में समन्वय स्थापित करना चाहिये और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहिये। हमारी अर्थव्यवस्था की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिये जिससे लोगों के जीवन का मानदण्ड ऊंचा उठे और उनके दैनिक कष्ट दूर हों तथा बेकारी की समस्या हल हो जाये। हमारी योजना में देश और समाज के सभी भाग सम्मिलित होने चाहियें और हमें सभी वर्गों के बेरोज़गारों तथा कम काम मिलने वाले नवयुवकों के प्रश्न की ओर ध्यान देना चाहिये। सभी का साथ साथ विकास होना चाहिये तभी उत्पादन बढ़ सकता है।

नदी घाटी परियोजनाओं तथा जल विद्युत विकास के सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय को आसाम और कचार लुशाई पहाड़ियों के क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देने के लिये कहूंगा।

आसाम सरकार यह अनुभव करती है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग उस के साथ न्याय नहीं कर रहा है। वहां कुछ नदियों के सम्बन्ध में तुरन्त अनुसंधान कार्य होना चाहिये। मेरे क्षेत्र में बारक नदी बहती है जिसमें प्रायः बाढ़ आ जाती है। यह मनीपुर से निकलती है। इसकी बाढ़ से बहुत बड़े क्षेत्र में फसलें नष्ट हो जाती हैं। अतः इसके विषय में तुरन्त अनुसंधान किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि युद्धोत्तर विकास योजना में बारक जल विद्युत् परियोजना को द्वितीय स्थान दिया गया था।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात सभा बुधवार ७ अप्रैल १९५४ के दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

GIPD—HS—78 PSD—6 9-54—285